विषय सूची

सत्र-1 (भाग 4) शुक्रवार, 26 जून, 2015/आषाढ़ 05, 1937 (शक) अंक-10

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	3-37
3.	नियम 89 के अन्तर्गत प्रस्ताव	37-94
4.	अति विशेष उल्लेख	95-103
5.	नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव	103-132

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 (भाग 4) शुक्रवार, 26 जून, 2015/आषाढ़ 05, 1937 (शक) अंक-10

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री मोहेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. सुश्री राखी बिड़ला
11. श्री विजेन्द्र गुप्ता
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री इमरान हुसैन
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान
19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी

21. श्री जगदीप सिंह
22. श्री जरनैल सिंह (ति. न.)
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. श्री कैलाश गहलोत
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. सुश्री भावना गौड़
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालका जी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री अमानतुल्लाह खान
45. श्री राजू धिंगान
46. श्री मनोज कुमार
47. श्री नितिन त्यागी
48. श्री ओम प्रकाश शर्मा
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
52. सुश्री सरिता सिंह
53. श्री हाजी इशराक
54. श्री श्रीदत्त शर्मा
55. चौ. फतेह सिंह
56. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 (भाग 4) शुक्रवार, 26 जून, 2015/आषाढ़ 05, 1937 (शक) अंक-

---

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : नमस्कार। आज सत्र के चौथे दिन आप सबका हार्दिक अभिनन्दन स्वागत। विशेष उल्लेख राखी बिड़ला जी नहीं है, सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखबीर सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान गांव की एक बहुत ही ज्वलन्त समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। गांव में एक लालडोरा शब्द आपने भी सुना होगा लालडोरे के बारे में। यह लालडोरा क्या चीज है? इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। लालडोरा हम बचपन से सुनते आये हैं, लालडोरा। लेकिन इसका सही मायने मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने इसके बारे अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि 1908 में जब अंग्रेजों ने चकबन्दी के लिए कोई प्रावधान किया था, उसमें गांव के सिजरे को लाल स्याही से चिन्हित करके और उसमें एक लाल सर्कल बना दिया और उसी का नाम लालडोरा कर दिया गया और उस लाल डोरे के अन्दर ही बताया गया कि यहां रहने के लिए मकान, स्कूल जो व्यवस्था होगी,

वो इसी में रहकर कर सकते हैं। बाकी जमीन किसी योग्य नहीं। दिल्ली की आबादी केवल 3,60,000 के करीब थी। आज दिल्ली की आबादी आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ 82 लाख है, लेकिन मैं मानता हूं कि अनुमान से वो 2 करोड़ से ऊपर है। इसी तरह गांव की भी आबादी बढ़ती गई। लेकिन वहां किसी भी सरकार ने चाहे वो भाजपा की थी, चाहे कांग्रेस की थी, कभी लालडोरे की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर भी मैं बताता हूं 1954 में शुरू में डीएलआर एक्ट बना उस टाइम चकबन्दी का प्रावधान किया गया। जो दिल्ली में 362 गांव थे। आज आपको बताना चाहता हूं केवल इस अखबार के माध्यम से आज आया है कुल 112 गांव ही बचे हैं। बाकी गांव को शहरीकृत करने के नाम से ऐसा स्लम बना दिया गया है कि जहां शायद दो घण्टे से ज्यादा कोई आदमी रहेगा तो नाक सिकोड़ कर ही आयेगा। एक मुनीरका गांव है, दूसरे छोटे-छोटे गांव जिनको दिल्ली में शहरीकृत का नाम दिया गया है जिसकी हालत इतनी खराब है कि वहां एक आदमी कार से तो क्या मोटरसाईकिल पर भी नहीं जा सकता। उसी के लिये मैं आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि गांव में लालडोरे बढ़ाने का प्रावधान किया जाये जो पिछली सरकारों ने 1988 में 15 गांव के लिये, 1993 में 12 गांव के लिये और 1996 में 53 गांव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन उन सरकार की नाकामी की वजह से उनमें से केवल मुटठीभर गांव ही चकबन्दी में लाल डोरा बढ़ाया गया। बाकी गांव आज के दिन भी, उसी तरह रह रहे हैं। जहां 10-10 गज के मकान पर झुग्गी वाले रहते हैं। जबकि उनके पास अपनी कई एकड़ जमीन खेतों में होती है। लेकिन वो दिल्ली के कानून के तहत अपना मकान नहीं बना सकते। अगर कोई मकान बना भी लेता है तो उसके ऊपर धारा 81 इस तरह से खड़ी कर दी जाती है, जब वो रात को सोता है तो

उसको सपने में भी एसडीएम दिखाई देता है कि कल मेरा मकान गिरा न दिया जाये। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि उन गांव का लालडोरा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाये क्योंकि पिछली सरकार ने एल.जी. के माध्यम से जब गांव वाले यह सपना संजो रहे थे कि हम कल मुख्यमंत्री को शपथ दिलायेंगे जो गांव का लालडोरा बढ़वाने के लिए ऐसा मुख्यमंत्री आया है। उसी 13 फरवरी की रात को एल.जी. ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 103 गांव को भी नोटिफाई कर दिया। लालडोरे से वंचित करने के लिये। उसी वजह से पता लग रहा है उन सरकारों की नीयत काम करने की नहीं थी। आज जब उसी की वजह से आज आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि सुखबीर दलाल और उस जैसे कई भाई जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो हमारी आम आदमी पार्टी का घोषणा-पत्र था, उसमें लिखा था कि हम लालडोरा बढ़ायेंगे और लालडोरा की हमारी प्राथमिकता उसमें थी। उसी की वजह से हमें 100 प्रतिशत जीत दिलाई और आज हम गांव से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, 24 विधायक इस विधान सभा में आपके सामने बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सुखबीर जी कनकलूड करें प्लीज। शार्ट करें।

श्री सुखबीर दलाल : लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में जल्दी से ध्यान दिया जाये क्योंकि लोगों को हमसे बहुत आशायें हैं कि यह काम सबसे पहले हो। इसी तरह जैसे दिल्ली का मास्टर प्लान हर 20 साल में बनाया जाता है।

लेकिन दिल्ली का लालडोरा 1908 से जिसको 107 साल हो गये, किसी गांव में एक बार भी नहीं बढ़ाया गया, ऐसे कई गांव मेरे सामने उदाहरण के तौर पर हैं और अभी भी मुझे यह लगता है कि हमारी सरकार में इस बारे में मैंने लिखकर दिया है, शायद काम चल रहा होगा। उसी का आशवासन लेना चाहता हूं कि यह काम कितनी जल्दी हो जायेगा

दूसरा अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने कल बजट में जो कृषि योग्य जमीन है उसके लिए 125 प्रतिशत सर्कल रेट बढ़ाने का जो गांव वालों को तोहफा दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं सुबह आज सोकर उठा हूं तो मेरे घर के सामने इतने लोग थे वो मुझे कहने लगे, बेटा अब हमें एहसास होने लगा है कि 11 अप्रैल को जब 20,000 किसानों को मुआवाजा दिया और एक आज दिन है हमें पता लग गया कि हमारा भी कोई बेटा विधान सभा में हमारी आवाज उठाने वाला है और आज सुबह मुझे बधाई देने के कितने आये। इसी के माध्यम से मैं कहता हूं मेरी इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाये और गांव के लालडोरे को जल्दी बढ़ाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया 280 के अर्न्तगत बोलने का। मैं आज जो मुद्दा सदन के समक्ष रख रही हूं और अगर यह कहा जाये कि दिल्ली की दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखते हुए आज मैं सदन में लोगों के सामने समस्या उठा रही हूं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अध्यक्ष साहब, हमारी दिल्ली में काफी संख्या में किरायेदार लोग

निवास करते हैं। वो लोग जो कि यूपी से, बिहार से दिल्ली के आस-पास जितने क्षेत्र हैं, वहां से आकर दिल्ली में बसे हैं, अपनी रोजी-रोटी बसर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनके साथ आज तक अमानवीय व्यवहार होता आया है। उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई राईट नहीं मिलता है। उनके जो Important documents जो मूलभूत कागजात होते हैं, उनके वो नहीं बन पाते। मैं हमारी सरकारी को इस बात के लिये बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को सरकार बनते ही तोहफा दिया बिजली और पानी के रूप में कि बिजली के दाम उन्होंने आधे किए और पानी मुफ्त किया। यह फायदा जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, उन लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन जो किरायेदार हैं उन लोगों को यह फायदा नहीं मिल रहा है। आज भी मकान मालिक उनसे वही पैसा वूसल कर रहे हैं बिजली का भी और पानी का भी, जब आज से पहले यह छूट नहीं मिली थी। जब यह तोहफा दिल्ली के लोगों को नहीं मिला था। जो पिछले समय का था उसी को आगे फोलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमेशा कई पार्टियों को इन लोगों ने जिताया है जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी को सत्ता का ताज पहनाया है। सत्ता पर बिठाया है। उसी प्रकार से पिछले कई वर्षों में चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी पार्टी रही हो। सभी लोगों ने इन लोगों को एक वोट बैंक की तरह प्रयोग किया है लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इनके बच्चों की एडमिशन की बात होती है, इन लोगों की पेंशन की बात होती है, इनके राशन कार्ड की बात होती है तो इनको यह कहकर दुत्कार दिया जाता है कि ये लोग किरायेदार हैं और ये लोग इसका अधिकार नहीं रखते। हम लोग, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरी वाल जी आज तक तमाम ऐतिहासिक काम करते आये हैं। चाहे वह बिजली का काम हो, पानी का काम हो या फिर इस देश के अंदर जो

दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीट दी है, वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक mandate है तो मैं हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब समेत पूरी सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जब आप लोग तमाम लोगों के लिए काम कर ही रहे हैं तो हमारी दिल्ली में जो किरायेदार लोग हैं, उनके लिए ये आप लोग कोई रूप रेखा तैयार करें कोई कार्यप्रणाली बनाई जाये। मेरे ऑफिस में अगर मैं आज सुबह की बात करूं, रोज कोई ना कोई किरायेदार महिला पुरुष आते हैं, वो गिड़गिडाते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। भारत देश जहां पर मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार है कि देश में हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिये। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, प्राइमरी ऐजूकेशन का अधिकार है लेकिन ऐसे में किरायेदार लोग अभी भी वंचित है। उनका अगर रेन्ट एग्रीमेंट नहीं होता तो उन्हें धक्के खिलाये जाते है, आधार कार्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट सिरे से नकार चुकी है कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आधार कार्ड कम्पलसरी किया हुआ है। राशनकार्ड बनवाने के लिये जाओ तो भी उन्हें कहा जाता है कि आप अपने मकान मालिक से बिजली का बिल लेकर आइये। मकान मालिक बिजली का बिल नहीं देते तो जो एक गरीब को राशन का लाभ चाहिये, वे उस सारे लाभ से वंचित है। अगर जो उनकी पेंशन की बात की जाये, चाहे वे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृदावस्था पेंशन हो। एक किरायेदार होने के नाते उन्हें उन सब लाभों से वंचित रहना पड़ता है तो मानीनय अध्यक्ष साहब, मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन के तमाम सदस्यों के सामने ये बात रखना चाहती हूं, सरकार के सामने ये बात रखना चाहती हूं। हमारे सदन में आज जितने भी विधायक हैं, हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी समय में

किरायेदार रहे होंगे और आज भी हमारे कुछ विधायक किराये पर रहते हैं, वे जानते हैं इस पीड़ा को कि किरायेदार की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, कितना अपमान उसे सहना पड़ता है तो माननीय अध्यक्ष साहब, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि जो इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे किरायेदारों के साथ, दिल्ली के किरायेदारों के साथ, वे भी इंसान हैं। अभी पिछले दिनों सेशन के अंदर झुग्गी झोंपड़ी के लोगों के उत्थान के लिये बात हुई अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के विकास के लिये बात हुई। तो मैं कहना चाहती हूं कि कल माननीय उपमुख्यमंत्री साहब ने बजट पेश किया है तो उस बजट में भले ही हम इस बार यह प्रावधान ना ला पाये हो लेकिन अगली बार हम किरायेदारों के लिये भी प्रावधान लेकर आयें, उनके बच्चों के लिये भी सुरक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान और अन्य जो लाभ हम लोगों को मिलते हैं, उनको वही लाभ मिलने चाहिये। बिजली के दाम आधे हुए, पानी मुफ्त हुआ लेकिन वह आज भी इन चीजों से वंचित हैं, उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है, राशन हो, शिक्षा हो तमाम फायदों के लिये। ऐसा लगता है जैसे वो चोरी का जीवन व्यतीत कर रहे हों। चाहे आजकल हॉस्पिटलस में जितनी भी प्रेगनेंट महिलायें होती हैं, जब उनकी डिलीवरी होती है तो उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है उसके लिए आधार कार्ड कम्पलसरी किया हुआ है। किरायेदारों के पास आधार कार्ड ना होने की वजह से उन महिलाओं को डिलीवरी के दौरान जो बेनीफिटस मिलने चाहिये वो उन बेनीफिटस से वंचित रह जाती है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है ये किरायेदार भी हमारी दिल्ली का हिस्सा है। हमारी सरकार को बनाने में हम लोगों को इस पद पर पहुंचाने के लिये इस आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाने में दिल्ली में किरायेदारों की भी बहुत

महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार महाराष्ट्र के कुछ राजनेता कहते हैं कि यूपी बिहार के लोगों को यहां से निकाल देना चाहिये क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र को बर्बाद करा है लेकिन मैं कहना चाहती हूं...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी कनकलूड कीजिये।

कुमारी राखी बिड़ला : अध्यक्ष साहब, मैं कहना चाहती हूं कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं जो हमारी शादी में, हमारी बर्थडे पार्टी में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो नल लगवाना हो, चाहे वो सफाई करवानी हो। ये लोग मजदूर का रूप करके हमारी मजदूरी के रूप में काम करते हैं। अध्यक्ष साहब, ये बहुत ही गंभीर पीड़ा है। तमाम मेरे साथी इस बात से इत्तेफाक रखते हुए।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी कनकलूड कीजिये।

कुमारी राखी बिड़ला : उनके क्षेत्र में भी किरायेदार हैं और आये दिन वे भी किरायेदारों की समस्या से दो चार होते होंगे। तो मेरा बस आपसे विनम्र निवेदन है कि किरायेदारों के लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसी होनी चाहिये जो कि ऐतिहासिक कदम होगा आम आदमी पार्टी का और यह आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाईम दिया। जय भारत

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी,...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी आज इस चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण दिल्ली की रिहायशी क्षेत्रों में जो

छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लगी थी उनको वहां से हटाने का एक आदेश हुआ और आप उस समय उस सदन के...

अध्यक्ष महोदय : 1996 में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 1996 में गणमान्य सदस्य थे और पूरी दिल्ली में हा-हाकार हो गया था कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, आये दिन सैंकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की रोजी रोटी जा रही थी और तब उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा स्वयं हाई कोर्ट गये थे। कोर्ट के समक्ष अपीयर हुए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई थी कोर्ट के आगे हाथ जोड़ के कि मैं देश का मुख्यमंत्री हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम इन सबको इन रिहायशी इलाकों से निकाल करके नये औद्योगिक क्षेत्र बसायेंगे और वहां चले जायेंगे। हमको कुछ समय दीजिये। तब नरेला, बवाना और घोघा। यहां पर लगभग 10 से 15 हजार जहां तक मेरे ध्यान में है इन्डस्ट्रीयल प्लाटस जो है इन इन्डस्ट्रीयल एरिया में नये तैयार किये गये और उनको वहां पर बसाने का प्रावधान हुआ क्योंकि ये नजरूल लेण्ड है और उस समय के हालातों के अनुसार एक एग्रीमेंट हुआ रिलोकेशन का और 33 साल की लीज पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन क्षेत्रों में फैक्ट्री के प्लाटस दिये गये उनको बसाया गया। जो रिन्यूएबल है लेकिन नान ट्रासंफरेबल है। 33 वर्ष के बाद रिन्यू तो हो सकता है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन इन लगभग 17 वर्षों में हमने देखा कि उनके विकास की गति बहुत धीमी रही। दिल्ली की सरकारों ने 1998 में ये योजना क्रियान्वित हुई थी और तब से लेकर अब तक पूरी तरह इन औद्योगिक क्षेत्रों का ना तो विकास हो पाया और ना ही जिस भावना से इन

तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को बसाया गया था, वो भावना ही चरितार्थ हो पाई। वास्तविकता में स्थिति ये हुई कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वहां से उजाड़ दिये गये, वहां से निकाल दिये गये और नई जगह आज तक उन तमाम लोगों को सही तरह से बसने का मौका नहीं मिला लेकिन 17 साल बीत गये, 18 साल बीत गये अब फिर से रिन्यू करने की बात आयेगी। हमारे कहने का अर्थ ये है कि लाल फीताशाही के शिकार ये तमाम औद्योगिक क्षेत्र अगर स्वच्छन्द वातावरण में अपना व्यापार, अपना व्यवसाय कर सके, इसके लिये आवश्यक है कि इनको फ्री होल्ड किया जाये। लीज होल्ड से इनको फ्री होल्ड किया जाये और न्यूनतम कन्वर्जन चार्जिज पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में सर्कल रेटस की जो स्थिति सरकार ने बनाई है वे वास्तविक जमीन की कीमत से ज्यादा हो गई है कई सालों में और उसी में ये क्षेत्र भी गिने जाते हैं जहां वास्तविक भूमि की कीमत कनवर्जन चार्जिज से सर्कल रेट से कम है और सर्कल रेट पर आधारित है कनवर्जन चार्जेज तो इसलिए न्यूनतम कनवर्जन चार्जेज लगाए जाए। 100-100 मीटर के आस-पास छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं वो, इसके लिए जो भी तरीका हो, निर्णय लिया जाये। इनको फ्री होल्ड किया जाये और उनके ऊपर ये तमाम तलवारें जिनके कारण न वे फैक्ट्री बना पाते हैं, न ढंग से चला पाते हैं इतने नियम और कानून में और लालफीताशाही में वे बंधे हुए हैं, उससे उनको बाहर लाया जाये और मैं चाहूंगा यहां पर हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी मौजूद हैं अगर वो इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जरूर कोई न कोई हल निकल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। नियम 280 में लिखित में आएगा, अभी

निर्णय भी हुआ था कमेटी की मीटिंग में। ओम प्रकाश जी भी उसमें उपस्थित थे। तीस दिनों के अंदर सभी विभागों की ओर से लिखित में 280 के उत्तर प्राप्त होंगे। पंकज पुष्कर जी, आप बोले इससे पहले मैं एक बात कह रहा हूं। 280 में क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैंने सब के पढ़े हैं टोटल और इसमें क्वेश्चन के रूप में आपने दिया है इसको समाहित करें। क्वेश्चन में न लेकर जायें, प्लीज।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना यह करना चाहूंगा कि जो भी नियम है वो वस्तुतः जिस उद्देश्य के लिए हम यहां पर बैठे हैं उसकी पूर्ति के लिए, उसकी सहायता के लिए हैं, तो इस नियम में हल्की सी छूट मिलें, केवल इस आशय से लेना चाहिए कि कम अवधि का सत्र बुलाया गया है, उसमें प्रश्न काल केवल दो दिन रखा गया है। अगर हम सदन में निर्वाचित सदस्य अपनी कार्यपालिका से प्रश्न पूछने के पर्याप्त अवसर और अवकाश नहीं पाते तो यह थोड़ी सी चिंता पैदा करने वाली बात है कि हम जनसामान्य में यह विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं कि आपके सामने एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार है। मैंने इस बात को विनय के साथ कहा, इस बात को हम संज्ञान में लें...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, कमेंट्स नहीं प्लीज।

श्री पंकज पुष्कर : मैं इस टिप्पणी के बीच यह भी अनुरोध कर दूं कि हम राजनीति को यथासम्भव पक्ष और विपक्ष के बीच के खेल से कुछ ज्यादा कड़ा बनाने की तरफ आगे बढ़े। यह मामला मैं इसी दृष्टि से अनुरोध कर रहा हूं। मैंने जो विषय उठाना चाहा उसमें प्रार्थना यह है माननीय उपमुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री सदन में नहीं हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे पर्याप्त रूप

से इसका संज्ञान लेंगे कि कल के समाचार-पत्रों में आपने देखा होगा कुछ चिंताजनक समाचार इस तरह के हैं कि कुछ कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कोर्सेस में 100 प्रतिशत कट ऑफ चाहिये एडमिशन के लिए। यह स्थिति कुल मिलाकर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती है इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से यहां बैठा कोई सदस्य अपने मनचाहे विषय में प्रवेश नहीं ले पाता अगर वह आज उच्च शिक्षा का आकांक्षी होता है तो यह एक युवा के अंदर कितना डर और कितना परायापन पैदा करता है, इस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का और एक दूसरा तथ्य जो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबको समटने वाला दिल्ली में है, उसमें स्नातक स्तर पर तीन लाख आवेदन आये हैं और 54 हजार हमारे पास कुल मिलाकर सीटें हैं सभी कॉलेज, सभी कोर्सेस को मिलाकर। तो इसका मतलब यह है कि लगभग ढाई लाख छात्र-छात्राएं जो हैं, वे उच्च शिक्षा का अधिकार से आज की तारीख में वंचित है। हमने बजट में प्रावधान दिया है, मैं उसको संज्ञान में लेते हुए केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे सामने समस्या का आकार कितना बड़ा है। कोई भी एक नया विश्वविद्यालय कुछ हजार छात्रों को समावेश कर पाता है, हमारे पास आज की तारीख में ढाई लाख छात्र हैं जो कि उच्च शिक्षा के दरवाजे पर खड़े हैं। ये जो छात्र-छात्राएं हैं, ये उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे या फिर यह शिक्षा का स्लम कहे जाने वाला जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, एस.ओ.एल. जो है, वो वहां भरती होंगे। पूरे दिल्ली के अंदर सभी विश्वविद्यालय और सभी महाविद्यालयों में साढ़े तीन लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। अकेले एस.ओ. एल. में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उससे कहीं ज्यादा छात्र समाविष्ट है।

उनकी दशा और दुर्दशा के बारे में किसी अन्य दिन चर्चा करनी होगी। मैं केवल यह कह रहा हूं वे शिक्षा को स्लम कहा जाता है तो इस संदर्भ में मेरी जो प्रार्थना है इस सदन से या माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से वो यह है कि कम से कम 29 महाविद्यालय सीधी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है पूर्णत: या अंशत:। इन सभी महाविद्यालयों की दूसरी पाली में इनविंग कॉलेज खोला जाये, यह हमारा एक वायदा था, आश्वासन था, उस दिशा में क्या प्रगति हुई है? यह मैं प्रार्थना करता हूं, सदन इसको संज्ञान में लें। शिक्षा मंत्री संज्ञान में लें। इसके अलावा व्यावसायिक केन्द्र या कम्युनिटी कॉलेज जैसी चीज बहुत नई-नई बातें हमने कल बजट में की है, उसी दिशा में मेरा अनुरोध यह है कि किस तरह से जो हमारे पास हम नया बजट लाये लेकिन हमारे पास जो अभी साधन है, उसका अधिक से अधिक सदुपयोग कैसे हो सकता है, उस दिशा में कैसे बढ़ा जायें, अभी तक क्या प्रगति हुई है, यह सदन की सूचना में होना चाहिए। यही जो विद्यालय हैं 28-29 कॉलेज हैं जो सीधी तरह से दिल्ली सरकार के देख-रेख में आते हैं उसमें Governing Body बनाने का प्रावधान दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और चुनाव होते ही, नई सरकार आते ही माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय ने सभी विधायकों को विश्वास में लिया था, उनसे अनुरोध किया था लेकिन अभी तक Governing Body बनने की दिशा में क्या प्रगति हुई है, इससे मैं अवगत नहीं हूं। इस दिशा में क्या प्रगति हुई है यह एक जानने योग्य बात है कि Governing Body जो सभी महाविद्यालयों में बनें, वे निर्विवाद रूप से शिक्षा के समर्पित लोगों के द्वारा बनें। पुरानी जो परिपाटियां हैं, उससे आगे बढ़कर कुछ काम करें। ऐसा भी मंतव्य माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने व्यक्त किया था। उस दिशा में उसको सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा

के प्रति समर्पित लोगों के द्वारा शिक्षा संचालित करने वाली Governing Bodies बनें। क्या प्रगति है, यह जानने योग्य बात है। मैं आखिरी दो बातें जो इस सारे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली में पूरे देश से युवा आते हैं और वे जब आते हैं तो उनके लिए जो होस्टल की रहने की सुविधा उपलब्ध है अभी कुल जमा स्थिति यह है कि कई लाख छात्र होते हैं कुल मिलाकर हमारे पास 10 हजार स्टूडेंट्स के लिए होस्टल फैसिलिटी अधिकतम है। सभी जो हमारे पास केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनकी कुल कैपेसिटी इतनी है। इसका फिर मतलब यह है कि दो लाख के करीब छात्र बिल्कुल अनाथ की तरह से, किराये पर, बाजार की रहम पर दिल्ली में रहते हैं, उनकी जो असुविधायें हैं, वो बहुत गम्भीर हैं। सभी को आवासीय सुविधा मिल सकें, इसके लिए हमारे अगले दो वर्ष, चार वर्ष की क्या प्राथमिकताएं हों, कैसे इसको सम्भव बनायें, यह एक प्रश्न है जिस पर सदन को और शिक्षा मंत्री महोदय का आश्वासन देना होगा और इसी संदर्भ से जुड़ी बात है कि यही किराये पर रहने वाले छात्र लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि दिल्ली में जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसके अमल को सुनिश्चित किया जाये। उसमें उनके लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति है। उसको सुनिश्चित करने, उसको अमल में लाने की दिशा में सरकार की क्या स्थिति है, यह बात मैं नियम 280 के अंतर्गत प्रार्थना करना चाहता था। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री अखिलेश त्रिपाठी जी। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण

विषय उठाने के लिए 280 में मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि हम सभी लोग एन.डी. एम.सी. एरिया में जाते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के एरिया के अंदर भी पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे कुछ मित्र जो कि हिन्दुस्तान में बाहर से आये हुए थे और हम वहां पर गाड़ी चलाते हुए पहुंचे और क्योंकि थोड़ा सा बरसात का टाइम था, एकदम से गाड़ी मोड़ते हुए जब देखा तो डिवाइडर बीच में आया जो कि बिल्कुल दिखाई भी नहीं दिया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अक्तूबर के महीने के अंदर एन.डी.एम.सी. ने जो curved stone होता है जो कि डिवाइडर और platforms में लगाये जाते हैं जो साइड के फुटपाथ हैं, उस पर लगाये जाते हैं। उनको सेफ्रॉन और ग्रीन कलर में कर दिया जो कि रात में लगभग दिखने नामुमकिन हो जाते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जब खास तौर पर सर्दियों का मौसम होता है तो बहुत धुंध पड़ती है। उसको देखना लगभग नामुमकिन है। रंग प्रकृति की देन है। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग उसको जाति में, धर्म में या पार्टियों में ही बात किया करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि सफेद और काला हमारे झंडे के रंग हैं तो इसलिए उन्होंने उसको सेफ्रॉन और ग्रीन में कर दिया। मेरा अनुरोध है कि उसको क्यों न पीले और काले में कर दिया जाये। मैं इसके ऊपर यह भी आपको बताना चाहूँगा according to Indian Road Congress, the National Body of Technical Highway engineers yellow, white and black are the standard colours used for markings. The same is stated by the united Traffic and Transportation Infrastructure, Planning & Engineering, Centre of International

Vienna Convention on Road Science & Signals of which India is a ratified member. पूरी दुनिया में पीला, काला या सफेद रंग यूज होता है जिसके लिए उसको हमने राजनीतिक रंग देने के लिए ऐसे रंगों में तब्दील कर दिया, जिन्हें दिन में भी ही देखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, रात में दिखना तो लगभग नामुमकिन है और आप देखिये कि दिल्ली को जो हिन्दुस्तान की राजधानी है उसे पूरी दुनिया में रोड ऐक्सीडेंट की राजधानी माना जाता है। सबसे ज्यादा ऐक्सीडेंट्स यहां पर होते हैं। सबसे ज्यादा रोड रेजेज के केसेस यहां पर होते हैं और उसको रोकने के लिए कुछ काम करने की बजाय हमने क्या करने की कोशिश की कि उसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। Dr. S. Velmurugan says that white, yellow and black are the most visible in folk and in dark surroundings. यह हिन्दुस्तान के जाने-माने साइंटिस्ट कहते हैं HOD of Traffic Engineering Safety and Central Road Research Institute ये कहता है not using them lowers visibility and increases glare and results in more accidents. पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे की इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं, हम सभी जानते हैं कि ब्राईट कलर से हम देख पाएंगे, बच पाएंगे और अदरवाईज इससे accident का खतरा बढ़ता है सबसे कमाल की बात अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा की उसी क्षेत्र की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी जी, वो इसमें कहती हैं कि can DMC member herself to cut the issue with the Police and Delhi Police chief and NDMC Chairperson, I wrote to them a week ago but haven't received any reply yet I have clearly stated that this is against road safety norms, the paint should

have been bright so that drivers who have colour or night blidness do not face any difficulty जहां तक मेरा ख्याल है, सर मैं कहना चाहूंगा इसमें जल्दी से जल्दी जवाब आये क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें थोड़ा सा पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी, हैल्थ होने के नाते मेरा ये कर्त्तव्य बनता है कि देखें की रोड एक्सीडैंट कम हों, क्योंकि जितने ज्यादा फैटल एक्सीडैंट दिल्ली में होते हैं, जैसा की में पहले भी कह चुका हूं इतने और कहीं नहीं होते अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान विज्ञापन के नाम पर दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई से एकत्र किए गये राजस्व में से करोड़ों रुपये खर्च करने की और आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार यहां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली नगर निगम को धनराशि मुहैया नहीं करा रही है। दिल्ली में विकास के कार्य रुके पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर मात्र अपने गुणगान हेतु विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। कांग्रेस के शासन काल में भी भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन पर भारी-भरकम धन राशि खर्च करने का विरोध करती रही है और अब तो इस मामले में माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि विज्ञापनों में किसी भी मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होगा। उसके बावजूद भी अनेकों स्थान पर वे फोटो दिखाई दे रहे हैं। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन में भले ही फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रही परन्तु एक

विज्ञापन में लगभग 10 बार मुख्यमंत्री जी के नाम का बखान किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय की भावना का उल्लंघन है। दिल्ली में जगह-जगह अधिकारियों को गिरफ्तार करने व निलंबित करने के पोस्टर और होर्डिंग लगाए गये हैं। उसके ऊपर भी धनराशि खर्च की गई है। पिछली बार भी इसी सदन में सरकार से आपके माध्यम से निवेदन किया था कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, कृपया उनके नाम देने का कष्ट करें। जहां तक मेरी जानकारी है शराब के ठेके पर काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों पर जो ठेकेदार के लोग होते हैं, उनपर भी कार्रवाई की गई और उनका नाम भी उसमें जोड़ा गया। दिल्ली के आर्यभिक्षु अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक के खिलाफ ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन न दिये जाने की जो एफआईआर दर्ज कराई गई, वो भी नाम इसमें शामिल किये गये हैं, इसके अलावा अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टचार की घोर विरोधी है, इसके विषय में मुझे कहना है. **..(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : थोड़ा और हंसो थोड़ा योग हो जाएगा भाई।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, आप जारी रखिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : साइलैंस प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सब सुनते हैं, सब कहते हैं करता कोई आघात नहीं, चलते चलते सूर्य पर मरने वाली रात नहीं।

तो भ्रष्टाचार का आलम इस देश में और विशेष रूप से इस सदन में बैठे हैं परन्तु सरकार द्वारा मात्र अपनी...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : प्लीज मैं एक बात कह रहा हूं सभी सदस्यों से सदन की परम्परा को कृपा बनाकर रखें, नो कमैंटस प्लीज, वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं और आप फिर वही बात कर रहे हैं, अब शांति से बैठिए प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : परन्तु सरकार द्वारा मात्र अपना महिमा मंडल करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आज भी मैंने अखबार देखें हैं, सभी बड़े-बड़े अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन छापकर पंजाब केसरी है, दैनिक जागरण है, ये अपनी जो महिमा मंडल जनता के कमाई के पैसों से जो आप कर रहे हैं, ये निंदनीय है। माननीय लोकायुक्त ने भी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती दीक्षित को विज्ञापनों पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए फटकार लगाई थी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकार विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए जो पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है, वो जनहित में खर्च किया जाए जिससे की दिल्ली में रहने वाले लोगों को पैंशन इत्यादि मिल सकें, नमस्कार, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद श्री वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं आज आपको सदन के माध्यम से एक ऐसी विधान सभा के बारे में बताना चाहूंगा शायद आपने हिन्दुस्तान के किसी भी एरिया में छपरा, पटना, बिहार किसी में भी नहीं देखी होगी। हमारे बवाना विधान सभा क्षेत्र में सन् 1974 में एक डिपो खोला गया था। वो डिपो पहले पूरे क्षेत्र का कम से कम 25-30 किलोमीटर 40 किलो मीटर के एरिया के लोगों के लिए आवागमन का साधन था। लेकिन पिछले

15-20 सालों से कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की भी रही। किसी ने भी उस डिपो की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, काम करना तो दूर की बात है, वहां पर आज टोटल 76 बसें हैं, लेकिन वे बसें केवल नाम के लिए है और चलती फिरती लाश ही हैं, कभी भी 40 बसों से ज्यादा रोड पर नहीं निकलती, उसमें से 20-30 शाम तक खराब हो जाती है, अब मुझे 20 बसें दी गई थी, उन बसों में से भी 10 बसों के इंजन बिल्कुल डैमेज पाये गये और 35 किलोमीटर विधान सभा है हमारी, कुछ ऐसे गांव हैं, जैसे हरेवली, कटेवड़ा, माजरा, चांद पुर, चटखोड, सुलतानपुर, कडकड खेड़ा। जवान बहन-बेटियां, स्कूल से या कॉलेज से शाम को पांच बजे आती है। पांच-पांच, चार-चार किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने घर पहुंचती हैं। उनको घर पहुंचते-पहुंचते शाम हो जाती है। वहां पर टोटल 72 बसें हैं। डीटीसी का एक नॉर्म्स है कि जो भी बस या तो पांच साल या फिर पांच लाख किलोमीटर या फिर आठ साल, जो पांच लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाती है वो डैमेज स्क्रैप में आ जाती है। आठ साल बाद भी स्क्रैप में आ जाती है लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है। 72 की 72 बसें सात लाख किलोमीटर चल चुकी है, कुछ 8 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और 12 से 14 साल पुरानी बूढ़ी बसें हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो अभी वहां पर तीन एकड़स का डिपो है और माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय से भी मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा मेरी विधान सभा 35 किलोमीटर लम्बी विधानसभा है वहां पर न तो कोई मैट्रो का साधन है, और न ही कोई फिडर बस सेवा है और इको रिक्शा भी नाममात्र की है। 15 सालों से मैट्रो सबसे पहले वहां जानी थी लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने दाएं बाएं सैटिंग कर गांव देहात को एक तरफ छोड़ दिया। मैं

आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं वहां पर सबसे पहले 1992 में बवाना तक ही पास हुई थी वो बीच में रोक दिया गया, मुंडका चली गई, दायं-बाएं बहुत बड़ा जाल फैल गया लेकिन जहां से शुरूआत होनी थी जहां पर प्रथम चरण था उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। ना ही बवाना विधान सभा में कोई फीडर बस सेवा है, मैट्रो बस सेवा भी नाममात्र है। जो भी आप लोगों ने मुझे 50 बस देने का वायदा किया था, आपसे हाथ जोड़के अनुरोध है कि जितना जल्दी हो वे बसें मुहैया करवाई जो ओर प्राईवेट स्कूलों में जितनी भी सरकारी बसें लगी हैं, वे सभी कांग्रेस और भाजपा की सरकारों की सैटिंग से लगी हुई हैं। वहां के लोग अमीर हैं और पैसा दे सकते हैं। प्राईवेट बसें भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरी विधान सभा बहुत गरीब, किसानों की और मजदूरों की विधान सभा है। सरकारी स्कूलों की बहुत बड़ी तादाद है। न तो उन लोगों के पास प्राईवेट वैन लगाने के पैसे हैं और न ही उनके पास प्राइवेट बस करने के पैसे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि प्राईवेट स्कूलों की सरकारी बसें तुरन्त हटाई जाए और सरकारी स्कूलों की दी जाएं। ताकि एक हमारे छोटे-छोटे बच्चे तीन-तीन किलोमीटर हरेवली गांव से स्कूल की दूरी तीन किलोमीटर पर है, आज भी पैदल चलकर जाते हैं। मैंने तो सुना था कि गुजरात में ही मोदी की सरकार है। कुछ बच्चे वहां नदी पार करके जाते हैं या कुछ बच्चे आठ-आठ किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। लेकिन दिल्ली जो कि मोदी की नाक के नीचे है, जहां कि शीला का 15 सालों का शासन रहा है। एक साल से बीजेपी और गवर्नर की मिलीजुली सरकार रही है, किसी को भी आज तक गांव देहात के बारे में, इतनी बड़ी समस्या के बारे में कोई भी ध्यान नहीं

दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि हर रोज बवाना थाने में, बेगमपुर थाने में कुछ ऐसी घटनाओं की एफआईआर दर्ज करायी जाती है कि बेटी स्कूल से आ रही थी, उसके साथ छेड़खानी हो गयी या कोई और बड़ी घटना हो गयी। ये सभी चीजें आन-दि-रिकार्ड हैं। आप जाकर या सदन के माध्यम से चेक करवा सकते हैं। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं कि इस समस्या के बारे में जितना जल्द हो क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं और जैसे ही स्कूल खुलेंगे गांव देहात के गरीब बच्चे फिर तीन-तीन किलोमीटर, चार-चार किलोमीटर पैदल जाएंगे। क्या पता किस बच्चे के साथ क्या घटना घट जाएं और जो वहां की बस सेवायें हैं।

अध्यक्ष महोदय : वेद प्रकाश जी कन्कलूड करें प्लीज। शार्ट करें।

श्री वेद प्रकाश : मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस समस्या का जितना जल्दी हो समाधान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा गांधी नगर की ओर दिलाना चाहता हूं। गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेन्ट मार्केट है जिसमें सुविधाओं के नाम पर आज भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस विधान सभा क्षेत्र में इस मार्केट के अन्दर देश के नहीं विदेशों से भी लोग कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं और बड़ी शर्मनाक बात है कि आज भी महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, आज भी जेन्टस के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। लोगों ने अपने मकानों के अन्दर टॉयलेट बनाए थे। लोग उसको यूज कराते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां पर मार्केट हमारी

मार्केट से कनवर्ज़न चार्जेज के नाम पर, सेल्स टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार को हम लोग देते हैं, केन्द्र सरकार को देते हैं, उतनी सुविधाएं हमारे यहां व्यापारियों को नहीं है। आज भी सीलिंग का डर, हमेशा उनको सताया जा रहा है। हर पन्द्रह बीस दिन बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों को धमकाया जाता है एमसीडी के द्वारा कि आपकी दुकानों की सीलिंग कराई जाएगी। मैं समझता हूं कि आप भी गांधी नगर में आते जाते रहते हैं। स्वयं भी वहां की समस्याओं से, व्यापारियों से हम लोग व आपका सम्बन्ध रहा है, वहां से। इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। एक भी पार्किंग नहीं है वहां पर। आज से साढ़े तीन वर्ष पूर्व भूतपूर्व मंत्री ने वहां पर महावीर स्वामी पार्क, कैलाश नगर के अन्तर्गत ये कहके उद्घाटन कराया गया था कि यहां पर मल्टीनेशनल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 6 महीने वहां पर काम किया गया, 6 महीने वहां ये कहके काम रोक दिया गया कि यहां पर सोनिया विहार से वाटर लाईन अण्डर ग्राउन्ड आ रही है। उस समय में मैं आरडब्ल्यूए में था और मैंने ये क्वेश्चन बड़ा जोर-शोर से उठाया, उसकी मैंने जांच भी कराई लेकिन कितने करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, आज तक उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। मैं आज कपिल मिश्रा साहब भी यहां बैठे हैं, मैं उनका भी इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महावीर स्वामी पार्क काफी बड़ा पार्क है। अगर एक हिस्से में अगर वाटर लाईन यहां आ रही है तो उसका दूसरा हिस्सा है अगर उस पर माननीय मंत्री जी, आदरणीय कपिल मिश्रा साहब गौर करें तो मैं समझता हूं कि एक मल्टीनेशनल पार्किंग वहां पर बनायी जा सकती है। एशिया की बिगेस्ट मार्केट है और वहां पर रोडों की हालत ये है कि बहुत सारे गड्ढे पड़े हुए हैं। माननीय सत्येन्द्र जैन साहब से एक दिन मैंने रिक्वेस्ट की थी इनके कार्यालय में कि सर, हमारे यहां मार्केट में काफी गड्ढे

पड़े हुए हैं और उनके कार्यालय से फोन करके अधिकारी को कहा गया और इतना काम तो हो गया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जैन साहब को कि रात-रात में जो पीडब्ल्यूडी के लोग थे, उन्होंने उन गड्ढों को वहां पर भरा। लेकिन आज भी मैं ये चाहता हूं कि आप पुश्ते के ऊपर चले जाइए, कम से कम दो हजार गाड़ियां पुश्ते के ऊपर खड़ी होती है और पीडब्ल्यूडी की जगह है। मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जैन साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में अगर उसकी सारी ही अवैध उगाही होती है और सारा पैसा नम्बर दो में जाता है। अगर दो हजार गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं और उन दो हजार गाड़ियों के लिए मल्टीनेशनल पार्किंग उस पुश्ते पर बना दी जाए पीडब्ल्यूडी की ओर से, तो मैं समझता हूं कि सरकार का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दिल्ली सरकार को मिल जाएगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय जैन साहब से कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में अच्छी पार्किंग बनाने की व्यवस्था करें। इसी से सर, एक संबंधित और भी है पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक जाम रहता है और वहीं से अगर आप जाए तो शास्त्री पार्क की रेड लाईट है, एक लाख से अधिक लोग शास्त्री पार्क से गुजरते हैं। जब सर आप भी अपनी विधान सभा क्षेत्र से और दिल्ली विधान सभा की ओर जाते है तो आपका ध्यान आकर्षित होता होगा कि शास्त्री की आबादी एक लाख से अधिक लोगों की आबादी वहां से गुजरती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय जैन साहब से अनुरोध है कि एक फुटओवर ब्रिज वहां पर बना दिया जाए, कई एक्सीडेन्ट वहां पर हो चुके हैं, कई लोगों की डेथ हो चुकी, कई लोग बिचारे डिसएबल्ड भी हो चुके हैं। अगर एक फुट ओवरब्रिज वहां पर बना दिया जाए, मेरी ही विधान

सभा क्षेत्र में नहीं बल्कि बगल वाली सीलमपुर की विधान सभा क्षेत्र में, तो लाखों का उसका फायदा होगा। आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा हैरान हूं कि सरकार बनने के करीबन साढ़े चार-पांच महीने बाद हमारे माननीय सदस्य भाई कैलाश गहलौत ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। पूरी दिल्ली के अन्दर खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कल बजट पेश हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दिल्ली की जनता कल के बजट से इतनी खुशी में है कि इसका अन्दाजा शायद लगाया नहीं जा सकता। मैं जिस देहात क्षेत्र से आता हूं, मैं ये जो विषय रख रहा हूं उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको अगले दो महीने के अन्दर किया जाए, उसके लिए समय लग सकता है थोड़ा। थोड़ा समय लगे चाहे एक साल लगे, डेढ़ साल लगे लेकिन इस विषय में सोचे सरकार, क्योंकि पिछले चार महीने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, दिल्ली देहात के काम करने के लिए चाहे वो बीस हजार रुपया प्रति एकड़ मुआवजा हो या कल जो सर्कल रेट दिल्ली सरकार ने जमीनों के बढ़ाये हैं, किसानों में खुशी की एक लहर है। मेरा कहना ये था अध्यक्ष महोदय, कि इससे पहले कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की बुरी नजर हमारी ग्राम सभा जमीनों पर पड़े, जैसा कि पूरी दिल्ली की जमीनों पर पड़ी हुई है। आज अगर हमें किसी भी सम्बन्ध में अगर जमीन खरीदनी पड़ती है तो औन-पौने दामों पर हमें जमीन दी जाती है लेकिन फिलहाल दिल्ली देहात के अन्दर ग्राम सभा जमीनें सीधी-सीधी दिल्ली के अधीन

होती हैं। वीडीओ के पास उसका पूरा राइट होता है और अगर 2021 मास्टर प्लान से पहले जब तक कि डीडीए उन सारी जमीनों पर कब्जा करे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम बड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो बड़े स्टेडियम की हम लागत देखें तो 100 से 150 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया खर्च एक बड़े स्टेडियम में आता है। लेकिन मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला, मैंने सोचा कि क्या यह सम्भव है कि दिल्ली देहात के अन्दर 360 गांव हैं और अब तो जो रूलर बेल्ट बची है, वहां पर 170-80 गांव ही बचे हैं, लेकिन 360 गांव हम मानकर चलते हैं। अगर हर चार गांव में दो ढाई एकड़ जमीन के अन्दर 50/70 का एक हाल बना दिया जाए जिसकी हाईट 50 से 60 फीट ऊंची हों। इसकी वुडन फ्लोरिंग कराके अगर जितने भी इन्डोर गेम्स है उनको खेलने के लिए वहां पर सभी खिलाड़ियों को ये सुविधा दी जाए तो मैं ये समझता हूं कि खेल की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय कदम दिल्ली सरकार का होगा। मैंने कई सारे इंजीनियर्स से बात की है, तो करीबन सवा करोड़ रुपये के आसपास इसकी लागत आती है। तो जिसके अन्दर आप बैडमिन्टन, टेनिस और भी कई तरह के इन्डोर गेम्स खेल सकते हैं। उसके बाहर में थोड़ा सा ग्रास लगाकर फुटपाथ बनाकर और छोटा सा यहां पर जिम बनाकर मैं देखता हूं कि दिल्ली देहात में 15 साल पहले खूब कसरत हुआ करती थी। जब हम शाम को घूमने निकला करते थे। बहुत सारे पहलवान लंगोट बांधकर बड़ी जोर अजमाइश करते थे अखाड़ों के अन्दर। ये इसी दिल्ली के अन्दर देखा है। लेकिन ये सारी चीजें आज खत्म हो गयी। ऐसा नहीं है कि आज भी जहां पर दूध दही का खाना नहीं है। आज भी वो सब कुछ है। बस मेरी इतनी सी विनती है अगर इस विषय में हम यह देखें कि मैंने एक एस्टीमेट लगाया था

कि 80-90 से छोटे-छोटे से मिनी स्टेडियम बनेंगे और उनकी लागत करीबन 100 करोड़ रुपये के आसपास होगी। पूरी दिल्ली में खेल की दिशा में सराहनीय कदम होगा। अब हम उम्मीद करते है कि ओलम्पिक जब खेला जाता है कि टीवी पर शायद कोई हिन्दुस्तानी मेडल्स जीत कर आएगा और बड़ी शर्मींदगी भी महसूस करते हैं जब वह हार जाते हैं। अगर सुशील पहलवान कहीं से निकला तो नजफगढ़ की वो भूमि थी, विरेन्द्र सहवाग कहीं से निकला तो नजफगढ़ की वो भूमि थी, राजू जो इन्टरनेशल हॉकी प्लेयर निकला तो वो मेरे क्षेत्र से निकला, वो घुम्मनहेड़ा गांव के उस क्षेत्र की भूमि थी दिल्ली की भूमि थी, इस देहात की भूमि थी। सुनीता शर्मा से लेकर मंजू चौधरी तक ये सारी लड़कियां उस देहात क्षेत्र से दिल्ली की टीम से खेलते हुए हिन्दुस्तान की हॉकी टीम का नेतृत्व किया और आज कम से कम यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि दिल्ली देहात के खास तौर से नजफगढ़ से लेकर बवाना क्षेत्र के करीबन 400 के आसपास बच्चे इंडियन रेलवे, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की टीम में आज उनके खेल में प्रतिनिधित्व करते हुए कहने में मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, इसलिए मैं चाहता हूं सरकार से मेरी विनती है कि इस विषय में जरूर ध्यान दें और अन्तिम बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि अभी माननीय भाई विजेन्द्र गुप्ता ने अखबार दिखाया, मैं कोई कमेन्टस नहीं कर रहा हूं उस पर बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये तो कभी किसी के विज्ञापन छपते हैं, कोई भी सरकार जब कार्य करती है तो निश्चित तौर पर लोगों के पास संदेश जाना चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। तो ये विज्ञापन भी आते हैं। एक बार चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है इस सदन को जो मधुमक्खी जो शहद खींचकर लाती है फलावर से इस सदन को नेताओं ने मधुमक्खी का छत्ता

समझ लिया है। लेकिन ये जो जनता बाहर बैठी है वो बड़ी मधुमक्खी जैसी है। काटती बड़ी बुरी है। चुनाव से कुछ दिन पहले कई सारे नेताओं ने सपना देखा मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। कई सारे भागकर वो उस मधुमक्खी के छत्ते की तरफ भाग लिए और लो भई, तुम शहद चूस लो मुख्यमंत्री के चक्कर में उनमें से ज्यादातर नेता रूपी बन्दर भी कह सकता हूं। उस बन्दर का नाम था हटटी। वो हटटी भागा और मधुमक्खी के छत्ते को चूसने लगा और बहुत सारे बन्दर भी पीछे पीछे भाग लिए उन्होंने देखा कि वो सबसे पहले चढ़ गया, चढ़ गया तो थोड़ी देर में मधुमक्खी का छत्ता उसने चूसना शुरू किया लेकिन मजे मजे में यह भूल गया कि मधुमक्खी बैठी है, वहां पर। थोड़ी देर हटटी का ना मुंह दिखाई दिया न अगवाडा दिखाई दिया और न पिछवाड़ा दिखाई दिया। सारा सूज गया।

अध्यक्ष महोदय : चलिए गुलाब जी क्नक्ल्यूड कीजिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंह : जितने भी और बन्दर बैठे थे बोले, भई हटटी क्या हुआ हाल? तो अब या तो हटटी जिएगा नहीं और जिएगा तो रस की पिंडी पिएगा नहीं या तो ये नेता चुनाव मंत्री बनेंगे नहीं और बन गए तो आगे चुनाव लडेंगे नहीं। तो इनका तो सौभाग्य नहीं था कि इस बार सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर यहां बैठे तो इस बार बन्दर वाली हालत कई सारे नेताओं के साथ हो गयी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं इस सदन का ध्यान और आपका ध्यान एक बहुत बड़ी

जो समस्या है मेरे क्षेत्र में और मैं कहना चाहूंगा मेरे क्षेत्र से लगी वहां पर पांच से छह विधानसभा क्षेत्र में लगती है। मेरा मुददा आज रोड का है और मैं आपका ध्यान एक ओर बीआरटी कोरिडोर के नाम से जिसे जानते है जो सिर्फ साढ़े छह किलोमीटर के स्ट्रैच में है और पहले जो गवर्मेन्ट थी उन्होंने साढ़े छह किलोमीटर रोड को बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और उस 150 करोड़ रुपये को खर्च करने के बाद आज उसके बनाने के तुरन्त बाद पिछली गवर्मेन्ट को एक बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उस रोड की प्लानिंग उस रोड को बनाने में जो टैक्नोलॉजी या स्पेस यूज किया गया है वो बहुत ही बेकार सा मुझे लगता है। क्योंकि वहां आए दिन बड़े-बड़े जाम लगते हैं और अगर कोई व्यक्ति उस रोड पर 9 बजे से 11 बजे के बीच में निकल जाए तो कम से कम 35 से 40 मिनट तक खड़े रहना पड़ता है। और रोड इस तरीके से है एक लेफट से जाएगा और दूसरा राइट से जाएगा और लेफट वाले को भी राइट लेना है और राइट वाले को भी लेफट लेना है और वो दोनों मिल जाएंगे और दोनों एक्सीडेन्ट होंगे। तो हाल फिलहाल में इसी साल में 13 वहां मौतें हो चुकी है। मैंने हमारे परिवहन मंत्री जी को यह गुजारिश की थी उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी और इस विषय में मैंने उन्हें कहा था कि हमें यह रोड नहीं चाहिए। हमारे और एमएलए भी मिले, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उस पर कुछ पुरजोर कदम नहीं उठाया गया तो मैं यह गुजारिश करता हूं कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री जो बहुत ही पुरजोरता के साथ बाकी कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि आज हमें पता है कि हमारी बसों में 2000 मार्शल की नियुक्ति हो गयी है। 10 हजार बस रोड पर लाने का वादा किया जिनमें से हजार बस रोड पर आ चुकी है। तो मैं इनसे यह गुजारिश करता हूं कि इस

रोड को भी निकाल दिया जाए रोड बहुत चौड़ा है अगर हम उसे जैसे और जगहों पर रोड की सुविधा बनी हुई है वैसे ही बनी रहे। जो 13 मौतें हो चुकी हैं 40 से ज्यादा एक्सीडेन्ट हो चुके हैं, वो रुक जाए और इस रोड को सुनिश्चित तरीके से चलाया जाए। एक रोड के बाद इस रोड के साथ ही दूसरा रोड आता है, उसे हम एमबी रोड कहते है। इस रोड के इर्द गिर्द भी पांच विधानसभाएं लगती है संगम विहार, देवली, अम्बेडकर नगर, महरौली और कालकाजी। तो पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जैन जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने दिल्ली को गढ्ढे रहित रोड दिए है आज वहां पर कोई गढ्ढा नहीं है लेकिन उस रोड की एक समस्या यह है इस रोड पर ट्रैफिक अगर आप संगम विहार से चलना शुरू करें और अम्बेडकर नगर आए तो उसमें जनरली 2 बजे के करीबन आए तो वहां पर 5 मिनट लगते हैं और अगर हम 8 बजे से 12 बजे के बीच में आए तो वहां करीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं करीबन एक घन्टा भी लग जाता है। तो उस रोड का समाधान किया जाए। जनता कहती है कि हमने आपको वोट दिया। हम चाहते हैं कि आप उसको बदलें, बदलाव लाए। हम 35 साल से यही देख रहे हैं। आपके पास क्या सोलुशन है। तो मैं अपने परिवहन मंत्री और पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री है जैन साहब, से यह गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से महोदय साहब कि इस रोड को कोई ऐसा सोलुशन दिया जाए या तो इस पर फ्लाईओवर बनाया जाए या मैट्रो का प्रावधान किया जाए। बदरपुर से साकेत तक क्योंकि वहां पर अभी मैट्रो नहीं आ रही है। हमारे यहां पर फिर उसको और वाइड किया जाए। वहां पर जगह अवेलेबल है। वायुसेनाबाद करके एक कॉलोनी है बहुत बड़ा स्ट्रैच अवेलेबल है। यहां एक और समस्या है बारिश के दिनों में अगर पानी भर जाए

तो लोगों को लिटररली आधा पेन्ट ऊपर करके जाना पड़ता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आज हमें नहा कर या स्विम करके जाना है। तो मेरा यह आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस रोड को ठीक कराया जाए अगर 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसको 45 मिनट 40 मिनट में तय किया जाए तो बहुत दुख का विषय है और इसको किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश व प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसको सुधारें जिससे कि हमारी जनता ने हमारे पर जो विश्वास किया है हम उस पर पूर्ण तरीके से कार्य करके उनको दिखा सकें कि हां, आम आदमी पार्टी के आने से समाज में शहर में बदलाव आया है और आयेगा इसके साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अमानतुल्लाह खान : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक ओखला विधान सभा से है और ओखला विधान सभा में एक इलाका है जामिया नगर जहां का मैं भी रहने वाला हूं और जामिया नगर हिन्दुस्तान में मुसलमानों का सबसे ज्यादा तालीमयाफता इलाका है वहां जामिया मिलिया इस्लामिया है और हिन्दुस्तान में कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से यहां पर वहां का आदमी न रहता हो और कोई ऐसा शहर नहीं है जहां यहां का आदमी वहां नौकरी न करता हो, लेकिन जामिया नगर को जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से नहीं जाना जाता बल्कि बटला हाउस की वजह से जाना जाता है। 29 दिसम्बर 2008 को जामिया नगर में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ। जिसमें आतिफ और साजिद दो लोगों का कत्ल हुआ और उसके ऊपर बड़े सारे सवाल उठे। लेकिन असल बात

ये है कि उसमें उसके बाद 30 सितम्बर को तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक शकील अहमद जो जामिया से बी टैक कर रहा था, एक साकिद निसार जो एमबीए कर रहा था और एक जियाउ रहमान जो बीए कर रहा था। स्पैशल सैल ने उन लोगों को ये कहा जिसमें मारे गये लोग थे आतिफ और साजिद। उनको भी ये कहा कि तुम लोगों ने दिल्ली का बलास्ट और अहमदाबाद का सीरियल बलास्ट किया। इन लोगों को यही कह कर उठाया गया। स्पैशल सैल ने अपने ब्यान में कहा कि हमने जब इन लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा कि दिल्ली के पांचों बलास्ट हमने किये। जब हमने इनसे पूछा, टार्चर किया तो इन्होंने कहा कि हमने अहमदाबाद के भी 21 बलास्ट किये। 26 जुलाई, 2008 को हम आश्रम एक्सप्रेस से अहमदाबाद गये 27 को वहां पहुंचे और बलास्ट किया और आ गये। स्पैशल सैल ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं था सिर्फ एक सबूत था कि इन लोगों ने आश्रम एक्सप्रेस से जो रिजर्वेशन कराया था रिजर्वेशन की स्लिप अपने हाथों से भरी थी अब वो रिजर्वेशन स्लिप हमारे पास सबूत है उस रिजर्वेशन स्लिप को हम सबूत के तौर पर स्पैशल सेल ने उनको चार्जशीट के अंदर लगाया। उस रिजर्वेशन स्लिप के बारे में की कहा कि हां हमें साबित हो गई, हमें मिल गई और इन लोगों ने अपने अपने हाथ से भरी थी। जब उस रिजर्वेशन स्लिप का फारेंसिक हुआ तो उसमें पाया कि किसी एक बच्चे का भी साइन नहीं है कोई एक भी सबूत इनके पास नहीं था। टेलीफोन के बारे में उन लोगों ने कहा कि ये ओखला के अंदर छोड़कर चले गये थे। कोई एक सबूत नहीं था और इन लोगों की प्रेजेंस का अहमदाबाद के अंदर भी कोई एक भी सबूत नहीं था लेकिन वे लोग पिछले पांच साल से जेलों के अंदर हैं। 20 साल 25 साल जेल में रहते हैं और इन लोगों से इन के

घरवाले अक्सर मुझसे मिलते हैं। उनका कहना है कि हमारी गिरफतारी के बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मिलना छोड़ दिया, हमारी बेटियों की शादी होना बंद हो गई, हमारे बेटों की शादी होना बंद हो गई, हमारे कारोबार टूट गये, हमारी तालीमें छूट गई, 20 साल हमें 5-6 साल हो गये अभी तक कुछ केसिज शुरू हुए, कुछ नहीं हुए। अभी दो दिन पहले मेरे पास एक मोहम्मद आमिर नाम का लड़का आया जो 20 फरवरी 1998 को गिरफ्तार किया गया था। उसने कहा कि मुझे दिल्ली की स्पैशल सैल ने गिरफ्तार किया था 20 और 27 को कोर्ट में पेश किया था। सात दिन बाद उसे पेश किया गया। उस वक्त में उसके साथ में टॉर्चर किया गया और उस पर 19 ब्लास्ट केस लगाये 14 साल बाद सन् 2012 में वो लड़का सारे मुकददमों से बरी हुआ। उसका कहना था कि मेरे गिरफ्तार होने के डेढ साल बाद मेरे फादर की डैथ हो गई। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो मैं 18 साल का था और मैं बारहवीं क्लास में पढ़ रहा था। अपने साथ में खिलौनों का कारोबार करता था। मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे बाप का कारोबार बंद हो गया, मेरा घर छूट गया और मेरे बाप की डेढ साल बाद डैथ हो गई उसके कुछ साल बाद मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ और वह आज बिस्तर पर है। 14 साल में छूट कर आया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा रिश्तेदार मुझसे नहीं मिलता, मेरा घर बार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं अब 14 साल छूटकर आया हूं तो मैं सरकार से चाहता हूं कि क्यों कि मैं बेकसूर हूं, सरकार ने मुझे बरी किया है तो सरकार मुझे रिहेबिलेट करे, सरकारी नौकरी दे। मेरा कहना है कि जो भी लोग दहशतगर्दी के नाम गिरफ्तार हुए और फिर 20-25 साल बाद छूटते हैं तो हमारी सरकार से अपील है कि पर्टिकूलर इन केसिज के अंदर और खासकर इस तरह के केसिज के अंदर, क्योंकि उसकी

पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो उनको सरकार रिहेबीलेट भी करे, सरकारी नौकरी भी दे और जो लोग, जो अफसर इन बेकसूरों को फसाने वाले हैं उनकी भी कहीं न कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज पूरे हिन्दुस्तान में तकरीबन 300 केस होंगे, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान का मुसलमान आज अपने आपको दहशत में महसूस करता है। आज वह महसूस करता है कि उसका कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसके माँ-बाप परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई एजेंसी उसको उठा न ले। जबकि बी.के. बासू गाइडलाइन्स का सीधा-सीधा कहना है कोई भी शख्स अगर गिरफ्तार होता है तो उसमें जो लोकल पुलिस इंवोलव होगी, वे वर्दी के अंदर होगा और उस शख्स को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके साथ में एफआईआर भी दर्ज हो पुरानी और वो वहां पर भी एन्टरी करे और अगर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है तो 107 का नोटिस देकर उसको पूछताछ के लिए लेकर जाये, लेकिन इन केसिज में ऐसा नहीं होता। पुलिस इनको उठाती है, मारती है, पीटती है और उसके बाद इनको गिरफ्तार करती है। मेरा यह कहना है कि इस तरह के केसिज में मेरे इलाके में अक्सर इस तरह की गिरफ्तारियां होती रहती हैं और वहां के 15 से 20 लोग इन केसिज के अंदर हैं। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि जो भी जेलों के अंदर दहशतगर्दी के नाम पर बंद हैं, उनके लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट कायम किया जा सके। अगर वे कसूरवार साबित होते हैं तो खुलेआम उनको फांसी हो जाये, हम उनके साथ नहीं हैं। खुलेआम फांसी दें, हम उनके साथ नहीं हैं। और जो ये मोहम्मद आरिफ है इसको सरकारी नौकरी दी जाये। जिस तरह से नरेन्द्र मोदी जी पर इल्जाम था गुजरात फसाद का। वो बरी हुए और आज वे प्रधानमंत्री है। ठीक उसी तरह से अगर वे बेकसूर है और अगर वह बरी हो गया तो उसको भी सरकारी नौकरी दी जाये, अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

नियम-89 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, धन्यवाद। नियम 89 के अंतर्गत संकल्प। श्री जगदीश प्रधान जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगदीश प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से दिल्ली का ध्यान, आपका ध्यान दिल्ली की जो अन-अथोराइज कालोनियां हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद लोग दूर दराज से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आते रहे और मैं कहूंगा कि डीडीए की नाकामी की वजह से अवैध बस्तियां बसती चली गईं। 1975 में 666 कॉलोनी पास की गई और 1975 के बाद आज तक दिल्ली में करीब 1900 कॉलोनी और डेवलप हुई जिनमें करीब 40 से 50 लाख इन अन-अथोराइज बस्तियों के अंदर रहते हैं। वहां मूल-भूत सुविधाओं की बहुत कमी है। न वहां स्कूल हैं, न वहां अस्पताल हैं, न वहां आने जाने के रास्ते हैं। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो पिछली सरकारें रही हैं चाहे वह किसी भी पार्टी की रही हो और अब तक लम्बे समय कांग्रेस की सरकार रही जिसकी वजह से दिल्ली आज स्लम बनने की ओर बल्कि मैं कहूं कि दिल्ली स्लम बस्ती बन चुका है। दिल्ली में आज अन-अथोराइज बस्तियों के अंदर मैं शिक्षा की बात करूं करीब 15 से 20 विधान सभाएं ऐसी हैं जहां 80 परसेंट से लेकर 99.5 परसेंट तक अन-अथोराइज बस्तियां हैं। मैं अपनी विधान सभा की बात करता हूं, यहां करीब 5 लाख की आबादी है और उसके अंदर, केवल आधा परसेंट एक गांव आता है बाकी 99.5 परसेंट अन-अथोराइज बस्ती है। यहां इस विधान सभा के अंदर शिक्षा के नाम पर

एक सैकेण्डरी विद्यालय है और एक सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय है। एक विद्यालय के अंदर 3 हजार बच्चे पढ़ते हैं और दूसरे सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय के अंदर करीब 11 हजार बच्चे पढ़ते हैं। यहां बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि एक तरफ जो कल के भाषण में मैंने यह पाया कि 1011 विद्यालय दिल्ली सरकार चला रही है जबकि उनका आंकडा देखा जाये जो अभी गोपाल राय जी माननीय मंत्री जी ने भाषण के बीच में कहा था कि हम दिल्ली का समान विकास चाहते हैं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम दिल्ली का समान विकास चाहते हैं, हमने माननीय मंत्री जी की भी तारीफ की और मुख्यमंत्री जी की भी। हमें प्रसन्नता हुई कि समान विकास करने की बात कह रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दो विद्यालयों से 5 लाख की आबादी में काम चल सकता है, नहीं चल सकता। किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। हम अपनी जो बात करना चाहते हैं यहां मैं कई बार देख रहा हूं कि जो अपनी बात हम पांच मिनट में बोलकर समाप्त कर सकते हैं, उसको यहां रोका टोकी में हम बोलेंगे, आप कहेंगे नहीं बोलेंगे, इसमें समय बर्बाद होता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि कल भी हम बाहर बैठकर सुन रहे थे कि हमारे माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से हैं, वे भी अपने क्षेत्र की समस्या उठाना चाहते हैं। हम उनकी समस्याओं को भी सुनना चाहते हैं। वो दिल्ली के हित में कितनी बात कर रहे हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र की कितनी बात कर रहे हैं और जब यहां शोर शराबा होता है हम यहां नारे लगाते हैं आपके खिलाफ भी लगाते हैं। हम उसको महसूस करते हैं कि हमें वो नारे नहीं लगाने चाहिए हमें मजबूर होकर

नारे लगाने पड़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके लोग यहां अच्छी बातें कह रहे हैं तो उनको हम सुनें और उनसे कुछ सबक लें ताकि अध्यक्ष महोदय मैं आपसे सबसे पहले रखना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा कि हम दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बजट बढाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। बाकी उसको मैं तब अच्छा मानूंगा जब समानता की बात दिल्ली में की जाए जैसे मैं अपनी विधान सभा का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे भाई कपिल मिश्रा जी शायद बाहर चले गये हैं। चौधरी फतेहसिंह जी यहां बैठे हैं। बुराड़ी से विधायक यहां बैठे होंगे, तिमारपुर से यहां बैठे हैं और बहुत सारी अनॉथराइज बस्तियों से विधायक यहां बैठे हुए हैं। जो स्थिति मेरी है वही स्थिति उनकी भी है। शायद वे अपनी बात यहां पर न कह पायें पर वो सत्ता पक्ष से हैं और सत्ता पक्ष दिल्ली की हकीकत को शायद यहां नहीं रख पायेगा, डरते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन पर चर्चा हुई है, अभी तीन दिन पहले।

श्री जगदीश प्रधान : सर मैं भी बड़ी शालीनता के साथ थोड़ी सी प्रार्थना कर रहा हूं आपसे।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल-बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।

श्री जगदीश प्रधान : पर मेरा आपसे आग्रह सर्वोदय विद्यालय को लेकर है। जो कल मैं भाषण सुन रहा था कि हमने शिक्षा के लिए जो 900 करोड़ रुपये बजट रखा है और मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी कि इन विधानसभाओं के अन्दर स्कूल बनाने

के लिए जगह नहीं हैं वहां जगह खरीद कर स्कूल बनाने का प्रावधान करें ताकि वहां बच्चों को शिक्षा मिल सके। जहां तक अस्पतालों की बात है अनॉथराइज कॉलोलियों के अन्दर कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। आने जाने के साधन नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं मेरी एक दो बार बात भी हुई है कि मेरी विधानसभा के अन्दर करावल नगर गांव है। आधा गांव मुस्तफाबाद विधानसभा में और आधा मिश्रा जी क्षेत्र में है। वहां हमने 1987 के अन्दर एक बस डिपो से लेकर आज उसमें एक डिपो बना हुआ है, वहां बस तो आती नहीं, वहां कुत्तों की लाईन लगी रहती है। मैं यह सत्य बता रहा हूं आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां कोई बस नहीं आती और एक बस आती भी है जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि बवाना से सात लाख किलोमीटर चली हुई बस एक आती है जो कभी रास्ते में बंद हो जाती है या कभी डिपो में खड़ी रहती है। विद्यालय न होने की वजह से वहां से जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं अगर बस आ गई और वो बस से चले गये तो रास्ते में जाम और बस कहां खराब हो जाए, बच्चा स्कूल पहुंचता हो या न पहुंचता हो। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे यहां बसों की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे बच्चे अगर क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो दूसरी जगह पढ़ने के लिए जा सकें। अस्पताल की भी यही हालत है कि हॉस्पिटल हमारे यहां नहीं है। अभी खोलने की बात कही गई है, हर विधानसभा के अन्दर, हॉस्पिटल खोले जाएं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसे आदेश दें कि दिल्ली को समान विकास की तरफ ले जाएं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। 1998 में आप शायद इस विधानसभा के सदस्य होंगे और दिल्ली में जो अनॉथराइज बस्तियां हैं उनका इतना बुरा हाल था कि वहां गंदे पानी के निकास की कोई सुविधा भी नहीं थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वो जो मुख्यमंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी जिन्होंने उन अनॉथराइज

बस्तियों की हालत देखी और 1998 में हाईकोर्ट गये और वहां से जो स्टे था, जो स्टे चल रहा था कि अनॉथराइज कॉलोनियों में काम नहीं होगा। उन्होंने वहां से उसके लिए आदेश लिये गंदे पानी की निकासी का साधन इन कॉलोनियों में हो ताकि वहां कोई बीमारी न फैले। आज हम उनका धन्यवाद करते हैं और अनॉथराइज बस्तियों में आज सीवर के काम चालू हुए 5-6 महीने पहले, मेरी जानकारी भी है कपिल मिश्रा जी भी शायद बाहर चले गये वे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आज वे काम बंद पड़े हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो सीवर के काम चालू हुए थे, उनको तुरन्त चालू करवाया जाए। अवैध निर्माण की बात कई बार यहां सदन में उठी। अभी मेरे एक साथी सुखबीर सिंह दलाल जी ने लालडोरे की बात कही। क्योंकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और 1908 के बाद कोई लालडोरा नहीं बढ़ा है। आज तो गांव का आदमी अपना मकान बनाना चाहता है अपने खेत के अन्दर तो उसको आज हम अवैध निर्माण कहते हैं। लालडोरा बढ़ा नहीं, नक्शा पास वहां होता नहीं और कल उप-मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया था, उसमें यहां अवैध निर्माण है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं मानता हूं अवैध निर्माण न हो, बाकी अवैध निर्माण कई किस्म के हैं। अनॉथराइज बस्तियों में लोगों ने जो मकान बना रखे हैं, उनमें से किसी का मकान नीचा पड़ गया उसको ऊपर उठाना भी है तोड़कर बदलना है वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आयेगा या किस श्रेणी में उसकी जानकारी यहां सदन में होनी चाहिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं अनॉथराइज बस्तियों की तरफ आपका ध्यान रखते हुए, आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव तो रखें।

श्री जगदीश प्रधान : अच्छा प्रस्ताव ये है कि जैसे अभी सीवर की, बिजली की, पानी की व्यवस्था वहां सुचारू रूप से हो और जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए जिससे लोन की सुविधा हो और वहां नक्शे पास हो सकें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में भाग लेने के लिए जो मेरे पास नाम आये हैं उनमें श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर बोलने का मौका दिया। आरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जगदीश प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। वैसे तो कल माननीय उप-मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने भी अधिकतम जानकारी दे दी थी। अनधिकृत कॉलोनियों के लिए अलग से 950 करोड़ रुपये का एलान किया गया है लेकिन ये कुछ कम लग रहा है। कम है। छह कॉलोनियों को मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनधिकृत कॉलोनियों की देन किस सरकार या किस निकाय की है ये कॉलोनियां क्यों बसीं इसके जिम्मेदार भी डीडीए, पुलिस व एमसीडी आदि विभाग ही हैं। डीडीए विभाग अपनी जमीन का कब्जा क्यों नहीं देता सही तो ये है कि डीडीए को आज तक मालूम है ही नहीं की डीडीए की जमीन कहां-कहां पर है और सरकारें आज तक गरीबों के रहने के लिए एक छत नहीं दे सकी। परेशान होकर गरीब आदमी भोलेपन में औने-पौने दामों में जमीन खरीद कर एक छत बना लेता है और वो छत धीरे-धीरे एक कॉलोनी का रूप ले लेती है। सन्

1993 से लेकर 2014 तक कांग्रेस व बीजेपी कॉलोनियों को अधिकृत करने के नाम पर भोली-भाली जनता को ठगती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने कॉलोनियों को पक्का करने का वादा किया था, क्या आज तक कॉलोनी पक्की हुई हैं? कॉलोनियों को बसाने में पिछली सरकारों का काफी हाथ रहा है, किसानों को उचित मुआवजा न देना। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मेरे ही गांव गावड़ी की जमीन को सन् 1973 में एक्वायर किया गया था। उस जमीन का मूल्य केवल 50 पैसे प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया था यानि की 1000 गज का 500 रुपये मुआवजा दिया गया था। इस मुआवजे को देखते हुए किसानों ने अपनी जमीन को दो रुपये तीन रुपये गज के रेट से प्लॉट काट दिये और एक कॉलोनी और नई बस गई। भाजपा के सदस्यों से मैं आज पूछना चाहता हूं कि एमसीडी को अनधिकृत कॉलोनियों के नक्शे बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या एमसीडी ने नक्शे बनाए? भाजपा के सदस्य एमसीडी से नक्शे बनवाने की जिम्मेदारी लेंगे? सच तो अध्यक्ष महोदय यह ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनो पार्टियां वोटों की राजनीति कर रही हैं। पहले भाजपा ने अनधिकृत कॉलोनियों को वोटों की राजनीति की और 2013 में भाजपा ने एलान किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। क्या आज सभी के लिए मकान बने हैं? भोले-भाले गरीब लोगों से कॉलोनियों को अधिकृत करने के नाम पर वोट लिए खुद सोनिया जी ने रामलीला मैदान में आरडब्ल्यूए को प्रोविजनल सर्टीफिकेट सत्ता हासिल करने के लिए वोट दिये थे। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, उस पर गहन विचार कर रही है। जल्दी से जल्दी कॉलोनियों को अधिकृत किया जाएगा अनधिकृत कॉलोनियों में सीमाओं को तय करने का काम प्रारंभ है।

छह कॉलोनियों के मॉडल तैयार हो चुके हैं वहां काम लगभग समाप्त होने जा रहा है सीवर शुल्क और पानी के शुल्क में 20 परसेंट का कॉस्ट 80 परसैट माफ किया गया है। ये हमारी सरकार काम कर रही है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप ये हटाइये।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अनॉथराइज्ड कॉलोनी बनकर आपके सामने बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे (बैनर लगी टी शर्ट) बिल्कुल हटा दीजिए।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा का सदस्य होने के साथ-साथ अनधिकृत कॉलोनी बनकर आपके बीच में अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी बोल रही हूं। मैं आज से बीस साल पहले बहुत छोटी थी। अगर उस समय मेरे माई-बाप चाहते तो मेरा विकास हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे माई-बापों ने मुझे जो अलग अलग नामों से जो जन्म दिया। परन्तु जन्म देने के बाद मेरी परवरिश के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतने भर से बात नहीं बनी। पिछली 15-20 सालों में हर पांचवें साल में...कृपया मेरी इन बातों का मजाक में न लें और ध्यान से सुनें। मैं आपके बीच में अनॉथराइज्ड कॉलोनी बोल रही हूं। पिछले 15 बीस साल के हर पांचवें साल में मेरी चौखट पर शहनाई बजी। बाराती ढोल नगाड़ों के साथ

आये और मैंने हर बार दहेज के रूप में खूब वोट दिए। हर 5 साल बाद दूल्हे बदलते रहे, मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। किसी भी दूल्हे ने एक दुल्हन की तरह मेरा शृंगार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से और कोई हरियाणा से। हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आकर मेरी गोद में बस गये। अध्यक्ष महोदय, बड़े कमाल की बात है कि मेरी गोद में बसे लोगों की वजह से ये सदन हर 5 साल बाद यूंही चलता है। मैं क्या करूं अध्यक्ष महोदय? ये सभी लोग मुझे ताने मारते हैं। कोई कहता है कि मैं गन्दगी का ढेर हूं। कोई कहता है कि मैं नहाती नहीं हूं और अगर नहाती भी हूं तो अपनी ही कीचड़ में दोबारा गंदी हो जाती हूं। पता नहीं, पिछले 15 सालों से किस किस तरह के ताने सुन-सुनकर मैं शर्मिन्दा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने जो तीन एक्स और प्रजैन्ट दूल्हें बैठे हैं, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अपने छोटे भाई नगर निगम को कहकर मेरा शृंगार करने की बजाय मेरी आबरू ही उतार दी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है कि ये आपकी अदालत है, यहां इन्साफ होता है। यहां इन्साफ होता है। दुहाई हो, दुहाई हो अध्यक्ष महोदय, खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वाहे गुरु के नाम पर मुझे मेरे हिस्से का इन्साफ दे दीजिए, अध्यक्ष महोदय। मुझे मेरी हिस्से का इन्साफ दे दीजिए। आखिर में एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करती हूं अध्यक्ष महोदय : बिजली हो जिसमें लगी हुई, पाइप से पानी आता हो।

सीवर लाइन हो बिछी, न नगर निगम का डर सताता हो।

स्वास्थ्य और शिक्षा हो जिसमें, रहने को आप ऐसा घर दें।

अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा वर दें।

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल देवेन्द्र सहरावत जी।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनॉथराइज्ड कॉलोनीज पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, बहुत समय तक दिल्ली की राजनीति उन लोगों ने चलाई, जो कि अनॉथराइज्ड कॉलोनी बनाते थे और उसके बाद उतने ही समय के लिए लगभग उन लोगों ने चलाई, जो कि अनॉथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करवाते थे। आज अनॉथराइज्ड कॉलोनीज की क्या दुर्दशा है, और हम यहां पर कैसे आ गये, उसकी तरफ एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि जो बात श्री जगदीश प्रधान जी ने कही थी कि 1947 के समय दिल्ली में विकास का जिम्मा डीआईटी दिल्ली इम्पोर्टेन्ट ट्रस्ट के जिम्मे था। दिल्ली की जनसंख्या शरणार्थियों पंजाब से आने के बाद और अन्य राज्यों से आने के बाद लगभग 14 लाख हो गई थी। जो प्राइवेट कॉलोनीज थी, जिसको हॉज खास, साउथ एक्सटेंशन, नीति बाग आदि ये सब कॉलोनियां हैं। इन्हें प्राइवेट ऑपरेटर्स ने विकसित किया था। 1957 में डीडीए का विकास हुआ और डीडीए के बनने के बाद दिल्ली में 1963 में दिल्ली में मास लैण्ड एक्विजिशन पॉलिसी पास हुई संसद द्वारा। जिसके तहत दिल्ली की लगभग 7 हजार एकड़ जमीन का एक्विजिशन हुआ और पूरे देहात का जो इलाका है। ये डीडीए के तहत आया। 1957 से 1963 के बीच में आपके आर.के. पुरम वगैरह ये जो सरकारी निवास हैं, बीस हजार यूनिट ये दिल्ली में बनें। तो इस समय पर क्या हुआ कि पूरी दिल्ली की जमीन फ्रीज हो गई। ये बात तय हो गई थी पूरी दिल्ली पर कि जो विकास होगा, उसे डीडीए करेगा और जैसे मेरे साथी ने भी कहा था कि सैक्शन 4 और

सैक्शन 6 के नोटिस होने के बीच में लगभग दो साल का समय होता था। जिसमें कि एक किसान जिसको कि 50-60 पैसे प्रति मीटर अपनी जमीन के मिल रहे थे, उस पर प्लॉट कटने लगे और इस तरीके से अनॉथराइज्ड कॉलोनीज बनने लगी। इसमें एक बड़ा जिम्मा डीडीए के हाथ ही आता है, क्योंकि डीडीए जब बनाई गई थी, उसका जिम्मा था कि वह क्रॉस सब्सिडी दे। यानी कि वह जो जमीन अमीरों को देती है महंगे भाव पर, उसका फायदा गरीबों को मिले। परन्तु डीडीए खुद प्रापर्टी डीलर बन गई। और डीडीए ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और जो उसका परपज था, वह डिफीट हो गया। उसी से यह अनॉथराइज्ड कॉलोनीज बननी शुरू हुई। आप इसके बाद अगर देखेंगे तो 1975 से 1977 में इमरजैन्सी के दौरान तुर्कमान गेट तक डेमॉलिशन हुआ। वे झुग्गी वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको रिसेटलमैन्ट कॉलोनीज में बसाया गया। ये एक्सपेरीमैन्ट पूरी तरह से फेल हुआ। क्योंकि लोग पुनः वापस आकर अपने कार्यस्थल पर बसने लग गये। रेगुलराइजेशन की पहली जो लहर थी। वह 1993 से काफी हद तक चली और 1071 कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया और इसका 80 फीसदी मामला चुनाव से पहले जो कांग्रेस सरकार ने किया था, उन्होंने 895 कॉलोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था और वह बड़ा दिलचस्प सर्टिफिकेट है। अगर आप उसको देखें तो उस पर लिखा हुआ है ''इलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन'' यानी कि आप नियमितीकरण के लिए योग्य है। नियमितीकरण नहीं है। वो एक चुनाव कर दिया गया और उसमें से भी सिर्फ 312 ऐसी कॉलोनियां थी जो कि क्लीयर थी। जो कि निजी जमीन पर थी। 583 ऐसी कॉलोनियां थी, जिनको कि नियमित तभी किया जा सकता था जब उस जमीन की कीमत दे दी जाये क्योंकि वह सरकारी जमीन पर आंशिक

या पूर्ण रूप से बनी हुई थी। और वह 575 रु. प्रति वर्ग मीटर जमीन की कीमत और 200 वर्ग मीटर के हिसाब से डेवलपमैन्ट चार्जेज। और 323 कॉलोनीज को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया कि वे रिज पर बनी हुई थीं। इसका कोई कारण महिपाल पुर इत्यादि इस इलाके के बहुत सारी कॉलोनियां हैं, जिनको कि इन कारणों से रेगुलराइज नहीं किया गया। अब मैं आता हूं कि जो पैसे खर्च हुए, यह बड़ा दिलचस्प मामला है और सीएजी ने भी उठाया है कि जो आपने 2012 में रेगुलराइजेशन किया था। उससे एक वर्ष पहले आपने दिल्ली जल बोर्ड, डीएसआईडीसी, इरिगेशन एण्ड फ्लड कण्ट्रोल को एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी। पैसे खर्च करने के लिए अनाथराइज्ड कॉलोनीज में और सीएजी कहते हैं कि 635 करोड़ रु. का खर्चा इन अनाथराइज्ड कॉलोनीज पर हुआ। और उस खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसको फाइनेन्शियली/ एडमिनिस्ट्रेटिवली एप्रूव नहीं किया जा सकता। वह पैसा कहां पर खर्च हुआ, यह सारा लिखित में है। यह सारी बातें अखबारों में, प्रैस में भी आयी थी। अब आगे की तरफ क्या बात हुई। बात ये है कि हमारी सरकार ने इस पर बहुत सकारात्मक रवैया अपनाया है। एक धनराशि इसके लिए दी गई है। जो ले आउट प्लान थे, उनको एमसीडी को भेजा गया है और इस प्रक्रिया को तेज करने की भी बात सरकार ने उठाई है। और बजट में भी जो प्रयास इसके लिए किया गया है, वह भी सराहना के योग्य है। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्तिगत रूप में एक सवाल है कि दिल्ली में जो जियो स्पेक्टिकल कम्पनी लि. है, उसने पूरी दिल्ली का डिजिटल मॉडल कर रखा है। आज अगर हम लकीर से हट कर देखें। तो कहां गांव खत्म होता है, कहां अनाथराइज्ड कॉलोनीज शुरू होती हैं, कहां जेजे कलस्टर्स शुरू होता हे, ये सारी वेबसाइट बिक चुकी है। ये सब एक

इकाई बन चुके हैं। और ज्यादातर जैसे पूरे इलाके हैं, वह एक सैन्सेस टाउनशिप बन चुके हैं। इन सेन्सेस टाउनशिप का डिजिटल मैप्स पर डिसाइड करके इनका विकास किया जाये नये सिरे से और बड़ी तीव्रता से वो काम किया जा सकता है। तो ये मेरा अनुरोध था। मैं प्रधान जी का स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक और बात जो कल के बजट में हुई थी, उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो बात थी कि किसानों का जो मुआवजा कल के बजट में बढ़ाया गया, वह सचमुच में एक बधाई योग्य फैसला था और वह ऐतिहासिक फैसला का दिन था दिल्ली के लिए। ऐतिहासिक इसलिए था कि 2007 में आखिरी बार श्री मंगत राम सिंघल जी की अध्यक्षता में ये मुआवजा बढ़ाया था और तब से आज तक किसानों को वही 53 लाख एकड़ की दर पर मुआवजा मिल रहा था। जिसमें कि दिल्ली में विश्वभर में सबसे महंगे फ्लैट हैं। लेकिन किसान को यहां पर सबसे कम मुआवजा मिल रहा था। गुड़गांव और उत्तर प्रदेश से भी कम मुआवजा दिल्ली के किसानों को मिल रहा था। ये जो कम हुआ है। मैंने आपको एक महीना पहले पत्र लिखा था। वह पत्र भी इसमें शामिल किया था। हमने इसका आकलन किया था कि इस मुआवजे को अगर देखा जाये, सर्किल रेट से अगर इस मुआवजे को देखा जाये अनॉथराइज्ड कॉलोनीज के इस रेट से जो आप खुद ले रहे हैं। तो किसान का मुआवजा दो करोड़ से लेकर 11 करोड़ के बीच में कहीं न कहीं आता है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने उसी तरह आंकड़े लेकर तीन वर्गों में वह मुआवजा दिया। बड़ी अच्छी बात है कि उप मुख्यमंत्री जी अभी अभी पधारे हैं। तो मैं पुनः ये बधाई देना चाहूंगा कि जो कल दिल्ली के किसानों को

ये मुआवजा दिया गया था, ये पूरे दिल्ली देहात के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा फैसला था। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : राजेन्द्र पाल गौतम।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। ये जो अनाधिकृत कॉलोनियां बसी हैं, इतने बड़े पैमाने पर मैं समझता हूं, ये डीडीए और एमसीडी का फैलियर है। डीडीए को जब 1957 में बनाया गया, इसका गठन किया गया। उसका purpose ये था कि वे दिल्ली को दिल्ली में जगह को एक्वायर करे, और उसको विकसित करके शहरों का निर्माण करे। क्योंकि डीडीए इसमें फेल हुआ और जनसंख्या बढ़ती गई। रोजगार के लिए लोग दूसरे प्रदेशों से दिल्ली में आकर माईग्रेट होकर बसते रहे। तो उनको कहीं न कहीं तो रहना था। किसी ने झुग्गी बनाई। किसी ने खेत की जमीन खरीद के बनाया। और वे मजबूरी में अपने खून पसीने की कमाई पूरी लगाकर किसी तरीके से उन्होंने अपने सर को ढकने के लिए छत का निर्माण किया। लेकिन उनको इतने नरक वाली स्थिति में जीना पड़ रहा है कि उस पे मुझे एक शेर आता है कि "मुर्दे को बड़ा घमण्ड था अपनी नींद पर, अगर मेरी किस्मत से शर्त लगा कर सोये तो जानूं। इतनी बुरी हालत हमारी इन कॉलोनियों की है, और इन कॉलोनियों पर सालों से केवल और केवल राजनीति हो रही है। क्यों नहीं पिछली सरकारों ने विधिवत तरीके से इनको रेगूलराईज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया? क्यों नहीं पिछली सरकार ने जो एमसीडी में पिछले कई सालों से जमी हुई है, उन्होंने इन जगहों का निशानदेही करके, इनको डिमारकेशन करके इनके नक्शे क्यों पास नहीं किये? मैं समझता

हूं एमसीडी को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आज के ये एक जो नवभारत टाईम्स के सम्पादकीय में आर.के. लक्ष्मण का बहुत अच्छा कार्टून छपा है। उसमें एक नेता जी कह रहे हैं अपने साथियों से कि देखो ये कॉलोनी कितनी पिछड़ी है। यहां पर गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है। सीवर नहीं है। मैं बार-बार यहीं से चुनाव लड़ता व चुनता आया हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कामेंट्स हमारे पॉलिटिशिन्स के ऊपर है कि बार उन्हीं जगह से चुने जाते हैं, उसके बावजूद उन क्षेत्रों का विकास फिर क्यों नहीं करते तो मैं समझता हूं कि ये जो विषय जगदीश प्रधान जी ने रखा है, ये विषय तो बहुत अच्छा है। उसका मैं समर्थन तो करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो नियम 99 के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि जो इस प्रस्ताव को आगे से इसमें जोड़ दिया जो पहले से रखा गया है। पिछली सरकारों के खराब नीतियों के कारण नारकीय जीवन जी रहे जनता के हित में इसके बाद जो विषय इन्होंने रखा है, उसको जोड़ दिया जाए। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में वहां पर मूलभूत सुविधाएं तुरन्त प्रदान की जाए। इसको इसके साथ में अध्यक्ष जी, जोड़ दिया जाए और एक चीज और मैं कहूंगा कोई भी अनाधिकृत कॉलोनी बसती है, कहीं पे कोई कब्जा होता है। वहां पर पुलिस, डीडीए और एमसीडी के अधिकारी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वे अपनी रिश्वत के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन उसको अनाधिकृत होने से रोकते नहीं। अवैध कब्जे को होने से रोकते नहीं और स्थिति ऐसी आती है फिर पोलिटिक्स काम करती है और एक दिन फिर उसको रेगूलराईज करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं अगर डीडीए, दिल्ली पुलिस, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी को समझें तो मैं समझता हूं इस तरह की

बीमारी को रोका जा सकता है। अनाधिकृत पैदा क्यों हो। और डीडीए अपनी जिम्मेदारी समझे। कॉलोनियों को बसाए। पूरा डवल्पमेंट करें और आने वाले समय में जो लोग किराए पर रह रहे हैं, या जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, या जो लोग बाहर से आए हैं। उनको इस तरह के फ्लेट्स बनाकर उनको दें ताकि इस तरह की अनाधिकृत कॉलोनियां न बसे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन यह जो एमेंडमेंट इसमें जोड़ने के लिए इसमें कहा है कृपया उसको उसमें जोड़ दिया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जगदीश प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प व राजेन्द्र पाल गौतम जी द्वारा लाए गए संशोधन सदन के सामने हैं-

जो इसके पक्ष में वो हां कहें

जो विरोध में वो ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

यह संकल्प स्वीकार किया गया। अब इसी 89 नियम के अन्तर्गत श्री संजीव झा।

श्री राजेश गुप्ता : रखना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा मिले तो। यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : विषय आपने दिया है।

श्री राजेश गुप्ता : जी मैंने आपको देने की कोशिश की थी। जब आखिर के टाइम में पहुंच गया हो तो देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अभी ये 89 के पूरे हो जाए फिर मैं उस पर आता हूं। प्लीज। संजीव झा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। श्री संजीव झा।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज अध्यक्ष महोदय एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपना संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक ऐसा विषय है, जिससे दिल्ली के समग्र विकास जिस पर निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय, डीडीए (दिल्ली डेवलपमेंट आथोरिटी) दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार को चुनती है और इस सरकार को दिल्ली जनता ने अपार बहुमत दिया है। लेकिन दिल्ली की डब्लपमेंट के लिए जमीन के लिए आथोरिटी किसी और के पास है। ये तो अजीब विडम्बना है। 1957 से आज तक जिस काम के लिए दिल्ली में डीडीए को बनाया गया था, उस काम में डीडीए पूरी तरह फेल रही। डीडीए का काम था दिल्ली को सुन्दर बनाना, लोगों को हाउसिंग सॉल्यूशन देना, आज तक दिल्ली को डीडीए ने 3 लाख 94 हजार...सॉल्यूशन

उपाध्यक्ष महोदया (श्रीमती बन्दना कुमारी) पीठासीन हुईं।

श्री संजीव झा : बहुत-बहुत स्वागत है, मैम आपका। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली को आज तक डीडीए ने 3 लाख 94 हजार के करीब घर निर्माण करके दिये है। जबकि आबादी, जैसा अभी हमारे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि अनओथोराईज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या 60 से 80 लाख के करीब है। 30 प्रतिशत आबादी बढ़ी है। यानि जो काम डीडीए को करना था वो काम डीडीए कर नहीं पाई। 1962 से लेकर जिसकी बात अभी हमारे माननीय

सदस्यगण कर रहे थे। 1962 में, 1990 में, फिर 2007 में मास्टर प्लान रिवाईज होता रहा। लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला और जिसका यह परिणाम है, जिसकी चर्चा पहले भी अनओथोरिईज कॉलोनी के मुद्दों पर पहले भी बहस हुई है और आज भी यह चर्चा जोरों पर है। सदन अनओथोराईज कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बारे में चिन्तित है। आज अगर अनओथोराईज कॉलोनी की यह दशा और दिशा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो डीडीए जिम्मेदार है। आज अगर अनओथोराईज कालोनी में रहने वाले लोगों का जीवन नरक में है, तो एक मात्र जिम्मेदार कोई है तो वो डीडीए है। अध्यक्ष महोदया, आज इस सरकार को दिल्ली की जनता ने अपार बहुमत दिया है। और कल बजट और पिछले चार महीनों के काम से ऐसा लगता है कि यह सरकार दिल्ली की जनता की आशाओं पर खरी उतर रही है। लेकिन विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। आज विडम्बना ये है कि अगर जमीन दिल्ली की सरकार को चाहिए ये रिकवेस्ट डीडीए को देना पड़ेगा। डीडीए पहले से ही फेल बाडी है, उसकी सुनवाई ठीक से नहीं होती है। अगर जमीन मिले भी तो उसकी अपार कीमत देनी पड़ती है। अभी मैं देख रहा था नार्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में रैवन्यू डिपार्टमेंट को अपना ऑफिस खोलने के लिए जमीन की जरूरत थी और उसके लिए सालों भागदौड़ के बाद 3 हजार जमीन मिली। 3 करोड़ प्रति एकड़ जमीन की कीमत उसको पे करनी पड़ी। उसके बाद ढाई परसेंट प्रीमियम का प्रति ईयर उसको रेंट पर करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो दिल्ली का विकास कैसे होगा आज मैं अभी डीडीए का लैंड पुलिंग पॉलिसी देख रहा था। एक तो इसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी में कोई क्लीयरिटी नहीं है। अनअथोराइज्ड कॉलोनी की

चर्चा हो रही थी। अनअथोराइज्ड कॉलोनी में कैसे लैंड पुलिंग होगी, वो कहीं दिखता नहीं है। मैं अपने साथ हुआ एक वाक्या बताता हूं, एक साल पहले का, क्योंकि अनअथोराइज्ड कॉलोनियों से बसी हुई मेरी विधानसभा है। यूडी ने एक आर्डर पास किया था जिसमें 133 कॉलोनी की एक लिस्ट निकाली जिसमें हमारे यहां 12 कॉलोनी आती थीं। उसमें कहा गया कि कॉलोनी आप डेवलप कर सकते है बशर्ते आपको एनओसी डीडीए से मिल जाए। मैं लगातार लिखता रहा, डीडीए से कोई जवाब नहीं आया। मैं उपाध्यक्ष महोदय से मिला। उसके बाद उन्होंने डीडी का मुझे नंबर दिया। डीडी से जाकर मैं मिला। जब मैं डीडी के ऑफिस गया तो पता चला डीडी साहब नहीं है, मैं बोला, कब आएंगे तो बोले लंच करने आते हैं यहां। यानि काम की बजाय केवल लंच के समय डीडी साहब रहते है। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारी कॉलोनी है चलो मैं लंच तक रुका। लंच के बाद हमारी बातचीत हुई। हमने कहा ये हमारी 13 कॉलोनियां हैं, इन 13 कॉलोनियों का एनओसी हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो मास्टर प्लान देखने पर पता चलेगा। मैंने कहा इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं कि मास्टर प्लान देख लें और मुझे एनओसी दे दें। उनका ये कहना था कि अभी हमारे पास मास्टर प्लान का रॉ डेटा है उसका फाइनल ब्लू प्रिंट नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि आपकी कौन सी कॉलोनी डीडीए के लैंड पर है, कौन सी कॉलोनी डीडीए के लैंड पर नहीं है। इतनी ambiguity कि मास्टर प्लान बनता तो है उसका कुछ निकलता नहीं है और उसके कारण दिल्ली सरकार को काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। रैवन्यू डिपार्टमेंट को बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं अपने डीसी से बात करता बड़ी समस्याएं हो रही है उनको। ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। तो मेरा तो यही

सिनसियर निवेदन है सदन के माध्यम से कि दिल्ली का समुचित विकास या दिल्ली की अपेक्षाओं पर हम तभी खरे उतर सकते हैं, सरकार तभी खरी उतर सकती है जब जमीन विकास के लिए जमीन की जरूरत अगर हो तो दिल्ली सरकार के पास ही हो। अभी मैं कल का बजट सुन रहा था कि 500 स्कूल खोलने हैं, बस स्टाप चाहिए हमें पर जमीन नहीं मिल रही। अगर कभी मिलेगी भी तो उसकी बड़ी सारी कॉस्ट देनी पड़ेगी तो इसीलिए आज उपाध्यक्ष महोदया, मैं ये संकल्प प्रस्तुत करता हूं, यह सदन यह संकल्प करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं एवं संशोधन भी दे सकते हैं। श्री दिनेश मोहनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : माननीय अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि दिल्ली के विकास कार्य के लिए जमीन चाहिए। सबने अपनी-अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि अनअथोराइज्ड कॉलोनियां बस गई जैसे अभी गुलाब भाई कह रहे थे कि स्पोर्टस के लिए चाहिए। स्पोर्टस के लिए, स्टेडियम के लिए जगह चाहिए लेकिन सारी जो दिल्ली की जमीन है, सारी दिल्ली की जमीन का जो मालिकाना हक है वो एक तरह से आज डीडीए के पास है और दिल्ली सरकार को विकास कार्यों के लिए जितनी भी जमीन की आवश्यकता है, वो डीडीए से लेनी पड़ती हैं। ये कितनी अजीब सी स्थिति है

कि जिस दिल्ली के लोगों की ये जमीन है उनको अपनी जरूरतों के लिए एक एजेंसी को पैसे देने पड़ते है, दिल्ली सरकार को पैसे देने पड़ते हैं कि वे अपने जो जन हित के कार्य हैं जैसे- स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, स्टेडियम खोलना है उसके लिए भी उनको एक बहुत मोटी धनराशि डीडीए को पे करनी पड़ती है। जैसे कल बजट में था कि 210 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार दे रही है केवल जगह लेने के लिए डीडीए को। वह अस्पताल के लिए जमीन है, स्कूल के लिए है। अगर वह जमीन दिल्ली सरकार की होती और डीडीए का अगर इसमें रोल नहीं होता तो 210 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास कार्यों में खर्च हो सकते थे। उसकी जगह कुछ और हॉस्पीटल्स, कुछ और स्कूल्स हम खोल सकते थे। लेकिन जिस स्थिति में आज चल रहा है कि इतनी बड़ी धनराशि केवल जमीन के लिए खर्च करनी पड़ रही है कि उसके लिए दिल्ली का विकास प्रभावित हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो कि अपने विकास कार्य के लिए दूसरी एक एजेंसी पर डिपेंड है, दूसरी एक एजेंसी पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि सदन को ये विचार करने की आवश्यकता है कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा और जमीन के लिए दिल्ली सरकार लगातार पैसा खर्च करती रही तो दिल्ली का विकास कितना बाधित होता है इस वजह से। तो हमें ये चाहिए कि आज ये जो संकल्प प्रस्तुत हो रहा है, उसको सदन समर्थन दे कि ये जो डीडीए है, वह तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार के अधीन हो। इसमें एक महत्वपूर्ण और चीज है कि जो दिल्ली की जनता है, उसने वोट दिया दिल्ली सरकार को वो चाहती हैं कि दिल्ली सरकार विकास कार्य करें, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें। लेकिन जो डीडीए है उसका पूरा उत्तरदायित्व एल.जी. साहब के प्रति है, दिल्ली

सरकार के प्रति नहीं है। जब एल.जी. साहब दिल्ली के विकास के लिए किसी तरह से भी दिल्ली की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो वो किस प्रकार विकास कर पाएंगे, जबकि जनता जिसने सम्मानित सदस्यों को चुनकर भेजा है वो उनसे पूछते है कि भाई आप स्कूल कब खोलेंगे, कॉलेजिस कब खोलेंगे, अस्पताल कब खोलेंगे। लेकिन आज हम अपने आपको बड़ा लाचार महसूस कर रहे हैं जैसे मेरी ही विधानसभा की बात की जाए। संगम विहार है पूरी अनअथोराइज्ड कॉलोनी है और जितनी भी जमीन है वो जो थोड़ी सी जमीन बची हुई है वो भी आज डीडीए के पास है और पिछले डेढ़ दो साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक स्कूल के लिए जमीन मिल जाए। लेकिन पिछले डेढ़ साल की मेहनत के बावजूद भी आज ये स्थिति है कि हम जमीन नहीं ले पाए और उस काम को आज भी हम initial phase में भी नहीं ला पाए कि स्कूल बनाने के लिए कोशिश की जा सके। बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि लोग बाग मेरे पास आते है और कहते है कि जी स्कूल खोलिए, पूरी constituency में आज केवल एक स्कूल है। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, लगभग साढ़े तीन हजार बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और जबकि जनसंख्या हमारे यहां कम से कम डेढ़ लाख तो वोटर्स हैं और अनअथोराइज्ड कॉलोनी का हाल है, वो तो आपको पता ही है जी। जहां जितने वोटर हैं उतने ही नान वोटर लोग रहते हैं। तो करीबन 3 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक स्कूल है तो आप उस स्थिति का अंदाजा लगा सकते है कि हम क्या कर रहे हैं। और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, जनता की नजर में तो जिम्मेवार हम है। उन्होंने तो वोट हमें दिया है लेकिन जो actual में जिम्मेवार है डीडीए वे किसी

तरह जनता के प्रति responsible नहीं है, वे किसी तरह उत्तरदायी नहीं है उसके लिए। मैं एक चीज और महत्वपूर्ण रखना चाहता हूं कि जो ये जमीनें हैं वे जमीनें दिल्ली के लोगों की ही है। दिल्ली के गांव की थी तो urbanize village होने की वजह से आज डीडीए को ट्रांसफर हो गई और उन लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए ही जमीनें चाहिए तो आज स्थिति है कि अगर मेरी जमीन थी और डीडीए ने एक्वायर कर ली तो अपने बच्चों के स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए आज फिर वे जमीन डीडीए से वापस मांगता हूं। मतलब मेरी ही जमीन का पैसा मुझे ही देना पड़ रहा है डीडीए को कि वो मेरा विकास कार्य करे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है और मुझे लगता है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य ऐसा होगा जहां पर ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए और जन हित के कार्यों की पूर्ति के लिए डीडीए को तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। डीडीए (दिल्ली डवलमेन्ट अथोरिटी)। बड़ी हैरानगी की बात है कि नाम तो डीडीए है दिल्ली की अथोरिटी डवलपिंग के लिए और वही अथोरिटी दिल्ली सरकार के पास नहीं है। ये कुछ ऐसा लगता है कि सरकार रूपी पति तो है लेकिन डीडीए रूपी पत्नी उसके पास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इस सदन के माध्यम से थोड़ी सी जरूरी बातें करना चाहूंगा। संजीव भाई ने बड़ी अच्छी बातें रखी हैं कि 57 साल

पहले जब डीडीए का एक ढांचा बनाया गया था, उस वक्त जब पहली मीटिंग हुई थी तो यह तैयार किया गया था कि इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके फिर दिल्ली सरकार को दे दिया जायेगा। लेकिन आज 57 साल बीत चुके हैं यह ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले 15 साल से डीडीए ने भी एक प्राईवेट लि. कम्पनी की तरह काम शुरू कर दिया है। आज माल बनाने में तो ध्यान दे रही है, आक्शन करा रही है, बड़े-बड़े बिल्डर्स को जमीनें दे रही है, लेकिन छोटे-छोटे फुटकर दुकानदार जो अपने घर में छोटी सी दुकान चला रहे हैं उनके लिए कोई ट्रेड सेन्टर नहीं बनाया जा रहा है। आज उन सड़कों को खाली कराना चाह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, सड़कों पर इतना कंजक्शन बढ़ता जा रहा है। जब तो यही कांग्रेस सरकार ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि कॉमन वेल्थ गेम्स से पहले-पहले हम एक ट्रेड सैन्टर बना देंगे वहां पर दुकानें शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ कुछ आक्शनस कुछ मंत्रियों ने उस माल को खरीद लिया और उनको दुकानदारों को बेच गया दूसरी तरफ छोटे-छोटे दुकानदारों को सीलिंग का डर देकर उनको मजबूरन उस मॉल में वह जगह खरीदनी पड़ी। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अगर यह जमीन, यह डीडीए की अथोरिटी अगर दिल्ली सरकार के पास आ जाये और कल जो बजट में रखा हमने अस्पताल बनाने हैं, हमने स्कूल बनाने हैं, हमने डिस्पेंसरियां बनानी हैं, हमने लाइब्रेरी बनानी है, यह सारी चीजों को हम बड़ी आसानी से बना पायेंगे। जो दिल्ली सरकार का पैसा बच जायेगा, वह दिल्ली के विकास कार्यों में हम लगायेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से

गुजारिश है कि डीडीए को जितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार को दिया जाये क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी कहलाती है, आज डीडीए की जमीनों पर अनअथोराईज कॉलोनियां वोट बैंक के नाम से बसा दी गई और दिल्ली का मुखौटा जो है, वे खराब कर दिया गया। आज Foreign से जो लोग आते हैं, वह देखते हैं कि ये भारत की राजधानी है। हम इसको एक सुन्दर चेहरा देना चाहते हैं, एक अच्छा मुखौटा पहनाना चाहते हैं। इसे सुन्दर दिखना चाहिये। आज जितने विकसित देश हैं उनमें जा कर देखिये वहां की Capital जो हैं सबसे सुन्दर दिखती है तो दिल्ली को मॉडल सिटी बनाना चाहते है। हमारे नरेन्द्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री तो सबसे पहला काम उनको करना पड़ेगा कि डीडीए जो है, वे उनको दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। जिन मॉडल सिटीज का नाम नहीं है उसमें वो कैपिटल ऑफ इण्डिया दिल्ली को भी रखें और दिल्ली की जमीन दिल्ली को दें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदया : ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदया जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऊपर जो आज इस सदन में बहस हो रही है, मुझे लगता है लोगों में भ्रम की स्थिति है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था है और दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम-1957 के तहत इसका जन्म हुआ। इससे पहले जो दिल्ली में जमीन की देखभाल का कार्य जो ऐजेन्सी करती थी, दिल्ली में सबसे पहले 1937 में नजूल ऐग्रीमेन्ट के तहत मेनटेन्स और केयर के नाते तब के

क्राऊन ने डीडीए से पहले की जो ऐजेन्सी थी, उसको यह अधिकार दिया। उसके बाद 1955, 56, 57 में दिल्ली के डेवलपमेन्ट के लिये तीन प्लान बने जिनका आधार था How to Develop Delhi और उसी के आधार पर पहला मास्टर प्लान 1962 बना। दिल्ली के अन्दर जो भी एक्वायर की हुई जमीन है उसके मालिक दिल्ली के राष्ट्रपति हैं और दिल्ली के राष्ट्रपति उस जमीन के मालिक होने के नाते उनका केयर और मेनटेन्स का काम दिल्ली में उनके ऐटोरिनी, उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी करते हैं और यह जो सारा कार्य उसमें आज 62 से लेकर 221 तक का जो प्लान बना है, इन प्लान्स के अन्दर स्कूल, अस्पताल और इंस्टीट्यूशन लैण्ड के बारे में बिल्कुल Clear Cur गाईडलाईन है। आज भी मेरा यह कहना है कि दिल्ली में जो जमीन है क्योंकि उसके मालिक देश के राष्ट्रपति हैं और जो चीज जिसका मालिकाना अधिकार राष्ट्रपति का होता है, वो किसी यूनियन टेरिटरी को नहीं दी जा सकती। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : उप मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

सदन पुनः अपराह्न 4.30 पर समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : नियम 89 में जरनैल सिंह जी (राजौरी गार्डेन) संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन संकल्प करता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में आपात काल, श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन**) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये संकल्प

प्रस्तुत करने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं केवल आजाद हिन्दुस्तान के एक नागरिक के तौर पर, राजनीति शास्त्र में एक स्टूडेन्ट के तौर पर क्योंकि एम.ए. मैंने राजनीति शास्त्र में की। मुझे बहुत दुख होता है कि आज 67 साल बाद भी 1947 में देश को आजाद हुए आज 67 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी आपातकाल की यानी इमरजेन्सी की आशंकाओं से ये देश जो है उबर नहीं पाया और आज भी ऐसी आशकाएं बार-बार व्यक्त होती हैं। देश के संविधान के अन्दर जब इस अनुच्छेद को रखा गया अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक, और खासतौर पर दुरुपयोग जो 352 का 1975 में देखा और 356 अनुच्छेद का दुरुपयोग इस देश ने देखा है, मुझे बहुत शर्म आती है यह कहते हुए कि संविधान के इन अनुच्छेदों का जितना दुरूपयोग हुआ है, स्वतंत्र भारत में संविधान के किसी और अनुच्छेद का नहीं हुआ है। हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो विषय है, आज केन्द्र की दादागिरी का पर्याय बन चुका है। जब देश की स्वतंत्रता की जंग चल रही थी तो स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसा भारत सोचा था, किस लोकतंत्र की परिकल्पना की थी और जब संविधान सभा बैठी थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या सोचा था उस संविधान सभा के समरूप जब ये प्रारूप आया था और जब ये कहा गया था कि अनुच्छेद 352, 356 रखे जाए तो उस वक्त भी उस संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों ने बहुत विरोध किया था और जब विरोध किया था तो मैं कोड करता हूं बी.आर. अम्बेडकर जी जो उन्होंने कहा था infact I share sentiments expressed by the Hon'ble members we out to expect it is that such articles will never be called into operation and that done

would remain that letter उन्होंने कहा था संविधान के ये अनुच्छेद मैं आशा करता हूं कि कभी भी इनको एक्शन में नहीं लाया जाएगा और यह एक मृत्यु पत्र के तौर पर संविधान में रहेंगे लेकिन इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। I hope persident will take proper precautions he will give warning to the state and it should be the last resort कोई अन्तिम विकल्प होगा तो इमरजेन्सी लगायी जाएगी। अन्तिम विकल्प होगा तो किसी राज्य के अन्दर चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया जाएगा। ये भावना बी.आर. अम्बेडकर की थी और वे सोचते थे कि इस देश में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, किसी राज्य में नहीं लगेगा लेकिन अफसोस इस बात का है कि 67 साल में इस देश के अन्दर 100 से अधिक दफा राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सन् 2002 में ही 100 से ऊपर चला गया था। सही आंकड़ा तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन 110 से 125 के बीच मेरे ख्याल से होगा। और ये अनुच्छेद रखा क्यों गया। जब अंग्रेजों का शासन काल था तो उस समय डिवीजन ऑफ पावर्स की बात थी। अंग्रेजों ने अपने यहां ब्रिटेन में एक दूसरे तरह का प्रावधान किया और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 उसके तहत उन्होंने सेक्शन 93 और 45 में उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और चूंकि अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी हो जाए या उनके खिलाफ कोई बात हो जाए तो पूरा कन्ट्रोल करने के लिए उन्होंने ये अनुच्छेद रखे थे और उसी को जब हमारी संविधान सभा बनी उनको अपना लिया गया लेकिन ये सोचते हुए कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन अफसोस सन् 1991 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा दिया गया उसके बाद मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं।

1950 से 1954 तीन दफा राष्ट्रपति शासन लगे। 1955 से 1960 तीन दफा। 1960 से 1964 में दो दफा। 1965 से 1970 में कहते है न कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। 1965 से 1970 के बीच नौ दफा राष्ट्रपति शासन लगा। 1970 से 1974 में 19 दफा राष्ट्रपति शासन लगा जब तक इन्दिरा गांधी का प्रादुर्भाव हो चुका था। एक तानाशाही प्रवृत्ति बनने लगी। 1975 से 1979 के बीच 21 दफा राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 1980 से 1987 के बीच 18 बार। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा वक्त भी आया। 1977 और 1980 में जब नौ-नौ सरकारें चुनी हुई इस देश के अन्दर राज्यों की एक ही दफा में अपदस्थ कर दी गयीं। लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया। ये विषय आज भी रिलेवेन्ट है। आज भी वैसे ही तानाशाही प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। आज भी वैसे ही दादागिरी दिखाई दे रही है। इमरजेन्सी कब लगती है, जब तानाशाही प्रवृत्तियों का उभार होता है और इस वक्त ये प्रादुर्भाव हो रहा है। और ये कोई और नहीं कह रहा है देश के उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी जी कह रहे है देश में फिर से इमरजेंसी लग सकती है। वे क्या कहते हैं मैं कोड करता हूं a commitment to democracy and all other aspects related to democracy is lacking. I think there is no adequate awareness about and commitment to civil liberty and the freedom of Press from what I can see the number of people in this nation who are committed to democracy and civil liberty is going down as compared to वे कहते हैं कि एशियन अफ्रीकन कंट्री के मामले में हम थोड़ा ठीक है, वहां हमारे आस-पास देखेंगे कि अगर देखें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,

और देश है वहां पर। कई बार कभी संघीय तानाशाही आती है, कभी कुछ आता है। हां उनके मुकाबले हम ठीक है but that cannot be a reason for us to satisfy at the present यह बात बड़े ध्यान देने योग्य है जो अडवाणी जी कह रहे हैं। at present, the forces की बात कर रहे हैं वर्तमान में जो शक्तियों की बात कर रहे हैं किन शक्तियों की ओर इंगित कर रहे हैं at the present, the forces that can crush democracy are stronger वे ताकतें जो लोकतन्त्र को ध्वस्त कर सकती है, वे इस समय में मौजूदा समय में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है बहुत मजबूत हो चुकी है। Today I don't say that the political leadership is not mature but कमियों के चलते विश्वास नहीं होता अडवाणी जी, आपको मोदी जी पर विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है। भाजपा खुद के लोग ही दुखी है, और वह कहते हैं कि I don't have the confidence that it cannot happen again और मुझे यह विश्वास नहीं है कि यहां दोबारा नहीं होगा अगर देश के उप प्रधानमंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति यह कहता है कि देश में फिर से इमरजेंसी लग सकती है, फिर से इसका दरुपयोग हो सकता है। फिर से विपक्ष के नेताओं को जेलों में बन्द किया जा सकता है जैसा हुआ था कि पूरे विपक्ष को 1975 में बन्द कर दिया गया था ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में अब तक 8 दफा राष्ट्रपति शासन लगा, बिहार में 9 दफा लग चुका है, यूपी में 9 दफा लग चुका है, जम्मू कश्मीर में 5 दफा लगा है, वेस्ट बंगाल में 4 दफा लगा है, गुजरात में 5 दफा लगा है कर्णाटक, केरल, आसाम सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है जबकि भीम राव

अम्बेडकरजी यह कहते थे कि संविधान सभा यह कहती थी, प्रारूप समिति यह कहती थी कि एक डेड लेटर होगा, मृत्यु पत्र होगा इसको एक्शन में कभी नहीं आएगा। कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। गुजरात में तो 1999 में सिर्फ इस बात पर राष्ट्रपति शासन लग गया कि उसकी विधानसभा के अन्दर कुछ सदस्यों में आपस में झगड़ा हो गया था। सिर्फ इसको लेकर लड़ गए कितनी अशोभनीय बात है और सोलिसिटर जनरल सॉली सोहराब जी को कहना पड़ा कि हमें संशोधन करना पड़ेगा नहीं तो इतनी छोटी-छोटी बातों पर अगर राष्ट्रपति शासन लगने लगा तो संविधान की भावना का कत्ल हो जाएगा ये उनको कहना पड़ा। यहां एक बात मैं 2002 में जो बहुत बड़े विधिवेता संविधान विशेषज्ञ सॉली नरीमन जी ने कहा 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो उन्होंने कहा "when one lakh people are taken shelter in relief camps and thousands have been charge-sheeted, is it not the situation deemed fit to impose article 356?" जब लाखों लोग राहत शिविरों में है जब हजारों लोग मारे गए है तो क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी एक सेकेण्ड बैठ जाइए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे व्यवस्था मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर दे रहा हूं बैठिए। वे एक आपातकाल की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। एक सेकेण्ड बात सुनिए। ओम प्रकाश जी, बात सुन लीजिए। किसी भी विषय पर जब चर्चा होती है, एक्जाम्पल पूरे देश के क्या पूरे विश्व के कोड किए जा सकते हैं वे एक्जाम्पल कोड कर रहे हैं। अब जरा संक्षेप में करिए जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : मुझे लगता है कि जिस तरह से अडवाणी जी की नहीं सुनी जा रही है उनकी पार्टी में और शायद वो जो चेतावनी दे रहे है उसको ओम प्रकाश जी सुनना नहीं चाह रहे हैं। दुखी इसलिए हो रहे है क्योंकि इस देश के अन्दर...**(व्यवधान)**। अध्यक्ष महोदय जब ये बीमारी बढ़ती गयी तब इस तरह से सरकारें अपदस्थ होने लगी मुझे थोड़ी सी भूमिका देनी पड़ेगी क्योंकि आज भी वैसी स्थितियां बन रही है। इस सरकार के बनने से पहले एक साल तक जो हालत थे जिस तरह से यहां पर इलैक्शन नहीं कराए गए, जिस तरह से हमें कोर्ट जाना पड़ा हमें अपने संवैधानिक हक के लिए और उसके बाद जिस तरह सरकार को चलना नहीं दिया जा रहा है। तो आज भी आशंका है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कहीं न कहीं साजिश रची जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो 1983 में सरकारियां आयोग का गठन किया गया तो सरकारियां आयोग ने जो पहले एक प्रावधान था 356 के तहत a situation has arisen in which the Government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution. भई, ये सरकार संवैधानिक दायरे में नहीं चल रही है तो उसको अपदस्थ कर दिया जाए तो सरकारियां आयोग ने कहा ये एक वेग स्टेटमेन्ट है each and every breach and infection of constitutional provision irrespective of significant extent and effect cannot be treated as Constitutional failure of the Constitutional machinery. Article 356 should be imposed only when there has been an actual breakdown of Constitutional machinery. छोटी मोटी बातों को

लेकर आप संवैधानिक संकट नहीं बता सकते आप। उसको यह नहीं कह सकते संवैधानिक तन्त्र जो है वो विफल हो चुका है क्योंकि हमें बू आ रही है इस तरह की। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से ट्रांसफर और पोस्टिंग करनी हो तो एक चीफ मिनिस्टर अपने मुख्य सचिव को नहीं लगा सकता है तो उनको मालूम है कि इसका विरोध होगा, इसका प्रतिरोध होगा तो ये जान बूझकर एलजी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं ओम प्रकाश शर्मा जी जब सरकार आपकी आयी केन्द्र के अन्दर उस समय उसने कहा कि संविधान की समीक्षा होगी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जस्टिस वैंकेट चलैया उस समय उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया और क्या कहा एनसीआरडब्ल्यूसी ने संविधान समीक्षा आयोग ने अध्यक्ष जी, मैं इस पर ध्यान चाहता हूं President should appoint or remove the Governor in consultation with the chief Minister of the State अगर गवर्नर को लगाना है अगर गवर्नर को हटाना है तो चीफ मिनिस्टर के साथ कंसलटेशन की जानी चाहिए। और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उस समय जो संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था, उसकी सिफारिशें कम से कम ये सिफारिशें तो मान लीजिए और इसमें this may act as a restraint on the misuse of power of Office of the Governor तो मैं यह कहना चाहता हूं बड़े विन्रमता के साथ लेकिन इसके बाद जो एक लैण्ड मार्क जजमेन्ट आयी एस.आर. बोमई का केस 1989 में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह क्नक्लूड करें प्लीज।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** अध्यक्ष जी बहुत गंभीर विषय में सिर्फ

दो चार मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एसआर बोमई का केस था जनता दल की गवर्नमेन्ट बनी और उसको अपदस्थ कर दिया गया। अध्यक्ष जी रोमेश भण्डारी काण्ड इस देश ने देखा है किस तरह से मजाक बनाया गया है, यह बहुत ही गंभीरता का विषय है और हमें यह आशंका है कि दिल्ली के अन्दर एक अघोषित इमरजेन्सी केन्द्र सरकार की तरफ से लगा दी गयी है। इसलिए इस सवाल को उठाना बहुत जरूरी है और उस समय एस.आर. बोमई इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मद्रास हाईकोर्ट के जज थे उसको तमिलनाडू सरकार ने सेन्ट्रल स्टेट रिलेशनशिप में पी.वी. राजामन्नार चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी वही कहा था जो सरकारिया आयोग ने कहा था और उसके बाद एस.आर. बोमई केस के अन्दर बहुत बड़ी ये गंभीरता से सुन लीजिए अगर आप adventurism में आना चाहते है अगर कोई मंशा बना रहे हैं सुन लीजिए एस.आर. बोमई केस क्या कहता है। एस.आर. बोमई केस क्या कह रहा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी देखिए डायरेक्ट प्लीज। आप मेरे से समय ले लीजिए ना। आप नोट करिए और मेरे से समय ले लीजिए। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं आपको। विजेन्द्र जी का आया है मैंने एक्ससेप्ट किया है। आप लिखकर भेज दीजिए मैं कर लूंगा एक्ससेप्ट।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** एस.आर. बोमई केस में 1993 में जजमेन्ट आयी और ये लैण्ड मार्क जजमेन्ट थी। इसके बाद अपने सॉली सोहराब जी ने कहा कि मुझे लगता है कि अनुच्छेद 356 की भावना क्या है, ये हमेशा के लिए परिभाषित कर दी गयी है। लेकिन उसके बाद भी आशंकाएं बनी हुई है क्या कहता है assembly should be dissolved after approval of

both Houses of Parliament राज्यसभा में अभी आपका बहुमत नहीं है। ध्यान रखिएगा कोई डिसोल्व करने की अगर आप सोच रहे हो...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भई, इधर से नहीं प्लीज।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** proclamation under Article 1 is not immune from judicial review अगर कोई सरकार अपदस्थ आप कर देते हैं तो न्यायधीश, देश की अदालतें इसको रिव्यू कर सकती है। और एस. आर. बोमई कहता है कि अगर not only that Supreme Court or High Court can strike down the proclamation if it is found to be malafide or besed on wholly irrelevant extraneous ground अगर उसके पीछे दुर्भावना है और अगर आपने सरकार किसी को अपदस्थ कर दिया है तो दुर्भावना है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जूडिश्यिल रिव्यू कर सकता है सिर्फ जूडिश्यिल रिव्यू नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट ये पाती है कि वाकई दुर्भावना थी तो चाहे असेंबली डिसोल्व कर दी गयी हो। चाहे सस्पेंशन हो, मैं यह प्वाइन्ट बहुत रखना चाहता हूं not only that if the court strikes down the proclamation it has the power कोर्ट के पास ये पावर है to re-store the dismissed Government to office and revive and reactivete the legislative assembly उसको दोबारा से उसको कर सकता है चाहे it may have been dissolved or kept in abeyance अगर ये कोई adventurism सोच रहे है। अगर जो आपातकाल लगा था मैं फिर यह कहना चाहता हूं कोर्ट चाहे तो चाहे आप अपदस्थ...

अध्यक्ष महोदय : क्नक्लयूड करें प्लीज।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** विषय तो यह बहुत महत्वपूर्ण था पर मैं चाहता था कि इस पर और भी कहा जाए लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगायी गयी थी, इस देश के ऊपर और उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठी थी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी हुई उस मुहिम को दबाने के लिए इमरजेन्सी का जोर पड़ता गया था आज उस जयप्रकाश नारायण के तौर पर अरविन्द केजरीवाल हमारे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मसीहा के तौर पर खड़े हैं। और अगर आपने वही गलती दोहरायी जो इंदिरा गांधी ने दोहरायी थी, तो फिर आप जान लीजिएगा जो हाल 1970 में हुआ था वो हाल आपका अगली सरकार अगले पांच साल में होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, चलिए जरनैल जी प्लीज कनकलूड करें अब।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** मैं सर कन्क्लूड ही कर रहा हूं, मैं इनको यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इनको नहीं, आप अब कनकलूड करें, विषय की गंभीरता को समझिए। आप कनकलूड करिए।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** मैं दो मिनट में मैं कनकलूड कर दूंगा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतनी चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी तो अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इस दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं, अगर आपने दुस्साहस किया तो पूरे देश के अंदर भारत भ्रमण करेंगे। अभी तो राहुल

गांधी को आप काबू नहीं कर पा रहे अगर अरविंद केजरीवाल भारत भ्रमण पर निकल गये तो आपकी सरकार पांच साल चल भी पायेगी कि नहीं चल पायेगी, ये हम नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, कनकलूड करिये आप प्लीज, बहुत हो गया। इसको कनकलूड करिये आप।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** मैं सर बस कनकलूड कर रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ इस देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है

अध्यक्ष महोदय : नहीं ये हो गया, प्रस्ताव रखिये। अब आप प्रस्ताव रखिये तुरंत।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** मैं अंतिम बात कहके अपनी खत्म कर दूंगा एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो हमारे साथ है चाहे उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, चाहे वो केस साध्वी प्रज्ञा का निकल के आ गया हो, चाहे, वे केस कर्नल पुरोहित का निकलकर आ गया हो, तो कहा जा रहा है वकीलों से, कार्यवाही मत करो। चाहे वो मीणा का केस निकलकर आ गया हो, ए.सी.बी. की कार्यवाही मत करो, लेकिन कोई अगर जो हमारे साथ में है, चाहे वसुंधरा राजे का केस निकल आये, चाहे सुषमा स्वराज का केस निकल आये, कार्यवाही नहीं होगी और जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध न भी किया हो तो 21 विधायकों की जांच करायेंगे। ये एक तानाशाही प्रवृति है और तानाशाही प्रवृति से ही एमरजेंसी आती है। आपातकाल आता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और मैं ये नहीं कह रहा, खुद

अडवाणी जी कह रहे हैं कि मीडिया की फ्रीडम के ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। ये लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं और चारों स्तम्भों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आज हम यहां से चेतावनी देते हैं कि ये चुनी हुई विधान सभा इस दिल्ली की, चेतावनी देती है कि आप लोकतंत्र की हत्या मत करना। ये लोग बैठने वाले नहीं है। ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये चुपचाप शांति से बैठेंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ एडवेंचरल किया तो जेलें भरने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी, आप कनकलूड कर दीजिए एकदम प्लीज।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन**) :** मैं यही कह रहा हूं कि यह सदन संकल्प करता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में आपातकाल जैसी स्थिति की संभावनाओं के मद्देनजर भारत सरकार संविधान में उचित परिवर्तन करके संघीय ढांचे व लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उचित कदम उठाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सरिता सिंह जी। संक्षेप में।

सुश्री सरिता सिंह : अभी तो शुरू भी नहीं किया थैंक यू स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जरनैल सिंह जी का जिन्होंने आज इतने इम्पोर्टेंट टापिक को हमारे बीच में उठाया जो दिल्ली के भविष्य 'दिल्ली' के वर्तमान सब को तय करता है। I would like to read this thing India is constitutionally a federal country जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपने अधिकार हैं और अपना लेजिसलेशन है and anything that has to be

changed can only be done by the Hon'ble Parliament और ये व्यवस्था बनाई क्यों गई आखिर ये फेडरल स्ट्रकचर दिया क्यों गया ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय बना रहे और एक सही तरीके से राज्य और देश दोनों प्रगति की तरफ काम करें और स्टेट और सेंटर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करें। पर ऐसा शायद अगले पिछले एक दो साल से दिल्ली की पृष्ठभूमि में नहीं देखा। जब पिछली बार 49 दिन की सरकार बनी, तब भी यही मंजर था और आज जब आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी है, तब भी यही मंजर है। कल जब हमारा बजट आया तो हमने ये उम्मीद की थी कि जनता का बजट है, स्वराज का बजट जब जनता के बीच में आया है यहां पर एजूकेशन, हैल्थ सबके बारे में चर्चा की गई तो हमें कहीं न कहीं से कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमियां ढूंढी गईं। मुझे बिल्कुल याद नहीं उस समय तो मैं थी भी नहीं जब 1977 में एमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा गांधी जी ने लगायी थी **...व्यवधान...** पूरा सुन लीजिए 75 से 77 तक था let me complete don't be in hurry उस समय मैं थी भी नहीं, पर किताबों में उस एमरजेंसी शासन को पढ़ा और उस समय जब पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि हमारा देश किस प्रकार से उस समय दुविधा में जूझ रहा था किस तरह स्टेट पूरी तरह से खत्म पूरी स्टेट की अथारिटी खत्म हो रही है और आज शायद वही स्थिति दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। इसका मैं कुछ एक्जामपल दूंगी। दिल्ली पुलिस, लैंड और पब्लिक आर्डर हमारे पास में नहीं है पर क्या इसका ये मतलब बनता है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता की रक्षा करने के बजाय किसी पालिटिकल पार्टी के पोलिटिकल इंटरेस्ट को कवर करने लगे क्या ये फंक्शन है

दिल्ली पुलिस का अगर हम एक्जामपल लें इसी सदन में बैठे जरनैल सिंह भाई एक जीते जागते सबूत हैं, संजीव झा एक जीते जागते सबूत है जिनके प्रति दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, तो क्या ये काम था दिल्ली पुलिस का अगर हम डीडीए की बात करें। सब सुन लीजिए ये बात। आज जैसा दिनेश भैया ने बोली ये बात आज दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के विकास के लिए, अगर कोई जमीन दिल्ली की सरकार को चाहिए तो दिल्ली की सरकार को वो जमीन नहीं मिलती। दिल्ली सरकार को डीडीए जमीन नहीं देती। तो क्या ये राज्य है। क्या इसे settle structure कहते हैं I don't think so बात यही है आज हम एक मजधार में आकर खडे हैं। डेली हमारे ऑफिस में लोग आते हैं। हमें डेवलपमेंट की बात करनी होती है हमें डेवलपमेंट वर्क करना होता है। मैं आपके माध्यम से एल.जी. साहब से बस ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप दिल्ली में राज करना चाहते हैं अगर आप दिल्ली में राज करना चाहते हैं तो कल से जब हमारे दफ्तर में दिल्ली की जनता हम से सवाल पूछने आयेगी तो हम उन्हें आपके कार्यालय का एडरेस देंगे कि एल.जी. साहब से जाकर जवाब पूछिये, हमसे जवाब मत पूछिए। अगर सम्पर्क माध्यम से एल.जी. साहब दिल्ली को चलाना चाहते हैं। आज तक केवल एक राजनीति की गई है। दिल्ली में अघोषित आपातकाल लागू करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह जरनैल भाई ने कहा, मैं भी यही चेतावनी देती हूं कि यहां पर जो लोग बैठे हैं, मैं इन तीन की बात तो नहीं करती पर इसे 67 लोग जो बैठे हैं, ये अलग ही मिट्टी के बने हैं। यहां पर ये राजभोग करने नहीं आये ये निडर लोग है, आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। अगर आप जरा सा भी... तो विधानसभा के साथ-साथ सड़कों पर, सदन के अंदर ये हमारे चार सिपाही हैं। वहां भी

आवाज उठेगी और दिल्ली में अघोषित आपातकाल जो नरेन्द्र मोदी जी लाना चाहते हैं। वो हम कतई न होने देंगे और ये चेतावनी है आज इनके रवैये से दिल्ली की जनता ने इन्हें दिल्ली की विधानसभा में 3 पर लाकर छोड़ा है और अगर ये आज भी न माने तो 5 साल बाद सदन में ये तीन भी नजर नहीं आयेंगे संसद में भी ये तीन नजर नहीं आयेंगे। ये दावा है हमारा, तो आज ये चेतावनी है, सुधर जाइये। जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद-धन्यवाद विशेष रवि जी। नहीं नहीं एक सेकेण्ड क्या।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी, ये सरिता जी ने पढ़ा जो दिल्ली पुलिस के बारे में बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सबके विषय में है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : नहीं एक मिनट एक सेकेण्ड आप एक स्लिप लिखकर भेज दीजिए। मैं नोट कर लेता हूं प्लीज थोडा सा।

श्री सोमनाथ भारती : आधा मिनट दे दीजिए मेरे को। क्या है कि एक थाना लेवल कमेटी है इसका गठन पूरे दिल्ली के अंदर हर विधान सभा के अंदर होता है। पिछले जब से चुनाव खत्म हुआ है, सरकार बनी है, हम सब विधायक अपने-अपने स्तर के माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आ जाये थाने लेवल कमेटी बन जाये। अगर थाना लेवल कमेटी नहीं बनती है तो जो एक तालमेल बैठना था, जो ट्रस्ट डेफीसिट है एक जनता और पुलिस के बीच में एमएलए और पुलिस के बीच में, वो खत्म नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से और अपने विधायक साथियों के माध्यम से सभी की तरफ से ये बात रखना चाहता हूं कि थाना लेवल कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो, ये एल.जी. साहब के हाथ में है। जिससे कि हर विधान सभा के अंदर जो एक ट्रस्ट डेफीसिट है, उसको कम किया जा सके और ला एंड आर्डर की स्थिति को बेहतर किया जा सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद, विशेष रवि जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात शुरू करने से पहले इस विधानसभा और विधानसभा परिसर को इतने अच्छे से साफ सुथरा रंग-रोगन फाउंटेन्स को दोबारा शुरू करने और पूरी विधानसभा परिसर के सौन्दर्यीकरण करके हम सभी को एक अच्छा वातावरण देने के लिए आप को और पूरी विधानसभा टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा।

जरनैल सिंह जी ने जो एक संकल्प हमारे बीच में रखा है, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। यह बहुत ही एक संवेदनशील एक मुद्दा आज की तारीख में हम सभी के बीच में है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पोस्टिंग को लेकर एसीबी की working को लेकर और पूरी दिल्ली सरकार की कार्यशैली और उनके काम करने के तौर-तरीके में बाधा पहुंचाने और उसमें interference करने की कोशिश चल रही है, इससे इतने बड़े बहुमत से जीतकर आई केन्द्र की भाजपा सरकार की छवि पर एक बड़ा आघात हुआ है। प्रधानमंत्री जी की बातों और उनके आचरण में यह साफ फर्क महसूस किया गया है। कानून और संविधान से अगर हम थोड़ा सा अलग बात करें तो केन्द्र

सरकार पिता तुल्य होती है सभी राज्य सरकारों के लिए और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उसका यह धर्म बनता है कि वो सभी राज्य सरकारों को पूरी मजबूती दे, उनको ताकत दे और उनको पूरी स्वतंत्रता के साथ उनके अपने हिसाब से उनकी नीतियों के हिसाब से काम करने की ताकत दे लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से केन्द्र सरकार का रवैया रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार ने ये ठाना हुआ है कि वो राज्य सरकार को काम नहीं करने देगी। इतने लंबे समय से मैंने और शायद यहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने कभी एलजी नामक किसी वस्तु का नाम भी दिल्ली में नहीं सुना होगा कि एलजी भी कोई होते थे या होते हैं। दिल्ली की सरकार को दिल्ली के कामकाज में कोई उनका रोल रहता है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वो राज्य सरकार की लोकप्रियता उसकी कार्यशैली, उसके परिश्रम, उसकी मेहनत से भयभीत न हो, विचलित न हो। उसके दिमाग में यह न आये की राज्य सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और शायद वह हमारे भी ऊपर हावी हो जाए। आज केन्द्र सरकार को अपनी कार्यशैली पर, अपनी रीति-नीति पर, अपने पुरूषार्थ पर अपने बाजुओं पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर वे अच्छी नीति से काम करेंगे तो जितने बहुमत से आज उनको जनता ने चुना है आने वाले पांच साल बाद दोबारा चुनाव होंगे तो दोबारा भी जनता उनको चुनकर लाएगी। दिल्ली में भाजपा के बहुत बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जिनको भाजपा का आज भी एक-एक कार्यकर्त्ता भगवानस्वरूप मानता है, श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी उन्होंने संसद में दो पंक्तियां कही थी उन्होंने कहा था कि रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा और काल के कपाल पे लिखूंगा मिटाऊंगा। लेकिन केन्द सरकार इसके

बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। वो चुनी हुई सरकार से इस तरह से अपने हक और अधिकार के बीच में ये ठान लिया है ऐसा लगता है कि वो रार ठान के बैठ गयी है। इसके बिल्कुल विपरीत हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी हर बार इस प्रयास के साथ वे एलजी साहब से भी मिलने जाते हैं, वे गृहमंत्री जी से भी मिलने जाते हैं बिना किसी रार के बिना, किसी मन में द्वेष और इगो के। हर बार उनका ये प्रयास रहता है कि दिल्ली की सरकार को एक अच्छा वातावरण मिले ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। लेकिन जिस तरह से अब तक उनका रवैया रहा है, उससे नहीं लगता कि हम लोग काम कर सकें। मेरी विधानसभा के अन्दर चार निगम पार्षद आते हैं। अगर कोई निगम पार्षद अच्छा कार्य करता है तो उससे मैं भयभीत नहीं होता, उससे मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि मेरी योग्यता क्या है। मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा है। इसलिए मुझको उसके किसी भी कार्य से कभी डर नहीं लगता। अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है, सच में, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको आगे आना चाहिए। मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा है, मैं कभी उसके कार्य में टांग नहीं अड़ाता न उसको रोकता हूं, न कोई निन्दा करता हूं। इसी तरह से केन्द्र सरकार को भी अपने आदमियों पर भरोसा होना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि लोकप्रियता या मेन्डेट टांग अड़ाने से नहीं बल्कि काम करने से बनता है। जिस तरह से केन्द्र सरकार अपने आपको भगवान मानकर चल रही है, उसे ये लगता है कि उसकी सरकार केन्द्र में है तो वो जो चाहे, वैसा कर सकती है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर हम एक सरकार हैं तो वो भी एक सरकार ही हैं। हम भले ही दिल्ली की सरकार हैं और वे नई दिल्ली की सरकार हैं लेकिन हमारी जो सोच है और हमारी जो कार्यशैली है और जो जनता का रिस्पॉस है, इससे ये साफ दिखता है कि बहुत जल्द छलांग लगाने

के बाद हम दिल्ली से नई दिल्ली पर आने वाले हैं और नई दिल्ली में बैठी सरकार को शायद ये ढूंढ़ना पड़ जाएगा कि उनकी सरकार कहां है और उसके बाद नई दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी और दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी। जिस तरह से कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं और उनको लगता है कि हम सूर्य की रोशनी को रोक लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि अरविन्द केजरीवाल नामक ये वो सूर्य हैं जो इन सारे बादलों के आगे आने के बाद भी अपनी ताकत से, अपने सूर्य से, अपनी शक्ति से, इन बादलों को हटाएंगे और न सिर्फ देश को बल्कि आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देकर जनकल्याण के लिए कार्य करेंगे। मैं अपनी बात एक छोटे से दृश्य को आपके बीच में शेयर करके खत्म करूंगा। एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही थी हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री की जिसका नाम बॉर्डर था। उसके एक सीन के अन्दर जो थलसेना अध्यक्ष थे और वायुसेना अध्यक्ष थे वो आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि थल सेना ज्यादा मजबूत है या वायुसेना ज्यादा मजबूत है। सनी देवल थलसेना के अध्यक्ष थे और जैकी श्रॉफ वायुसेना के अध्यक्ष थे। सनी देवल अपने तर्क में यह कह रहे थे कि हमारी सेना दुश्मन को घर में घुसकर मारती है, जमीन पर खड़े होकर लड़ती है और जैकीश्रॉफ ये कहकर समझा रहे थे कि हमारी सेना बिना छुए आसमान में जाकर ऊपर से ही दुश्मन को धराशायी कर देती है और जब बहुत देर बहस होने के बाद अन्त में सनीदेवल जो थलसेन अध्यक्ष थे उनका ये वाक्य था जिसको मैं यहां जोड़ना चाहता हूं केन्द्र और हमारी सरकार के साथ उन्होंने ये कहा कि "हम ही हम है तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो" तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दोनों को केन्द्र और राज्य सरकार को दिल्ली पर देश की जनता ने उनकी सेवा के लिए उनके कल्याण के लिए

चुना है। अगर हमारा आपस में सहयोग नहीं होगा तो शायद जिस उद्देश्य के लिए हमें चुनकर भेजा है वो पूरा नहीं हो पायेगा। आपने बोलने का मौका दिया समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वंदेमातरम्।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा की शुरुआत की गई। श्री जरनैल सिंह जी द्वारा, तो मैं सोच रहा था, वे जिस तरह से बोल रहे थे कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है या चोरी और सीना जोरी है। कभी तो लग रहा था कि चोरी और सीना जोरी। कानून का उल्लंघन करो और लोकतंत्र की हत्या करो, अधिकारियों को खुलेआम सार्वजनिक सभाओं में बेइज्जत करो और फिर उसके ऊपर सदन में आकर इस तरह की भाषा में भाषण दो। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की चारदीवारी में अगर इमरजैन्सी की चर्चा की जाये तो यहां जितनी बड़ी इमरजैन्सी लगी हुई है, ऐसी इमरजैन्सी तो देश के आजादी के लगभग 67 सालों में नहीं लगी। सदन के अंदर...

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष जस्टिफाइड आवाज उठाता है। विपक्ष कहता है कि पिछली बैठक में जो इस सदन का सम्मानित मंत्री था, अब वह तिहाड़ जेल में हैं तो मुख्यमंत्री जी, जरा उस पर प्रकाश डालें। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मैटर सब्ज्युडिस्ड है। इस पर चर्चा नहीं हो सकती। और थोड़ी देर के बाद ही इसी सदन के अंदर 21 संसदीय सचिव जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि वे ऑफिस ऑफ प्रोफिट में हैं। मैटर सब-ज्यूडिस्ड है। 1 जुलाई को सुनवाई पर आ रहा

है। 20 मई को दिल्ली सरकार के वकील स्टैण्डिंग काउन्सिल ने कोर्ट को कहा, "जनाब, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं सरकार से पूछकर आता हूं कि हमें क्या जवाब देना है।" अध्यक्ष महोदय, आपकी सरपरस्ती में उस सब-ज्युडिस्ड मैटर को यहां पर ऑफिस ऑफ प्राफिट का एक बिल लाकर विपक्ष को मार्शल्स से उठाकर बाहर फेंक दिया। मुझे कोई कह रहा था, "ऐसा लग रहा था कि बोरियां ढोयी जा रही हैं।" अब ये मार्शल्स सम्मानित सदस्यों को, जिन्दों को ऐसे ले जा रहे थे, या फिर एक ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि बलि के लिए ले जा रहे हैं। ये हालत इस सदन में विपक्ष की, की जा रही है।...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिना चर्चा के हम लोग बाहर बैठकर देख रहे थे। हैरानी हो रही थी। मैं अपने साथियों से कह रहा था कि ये क्या हो रहा है? बिल पर चर्चा ही नहीं हुई। एक भी सदस्य... बिल पेश हुआ। अरे इतना प्रचण्ड बहुमत है, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे इसमें भी। लेकिन इमरजेन्सी लगी हुई है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जो लिखकर दे दिया जाता है, बस वह पढ़ दो। अब कई हैं यहां पर, बड़े दिलेर हैं यहां पर सहरावत जी हैं, पंकज जी हैं, और भी अभी आयेंगे सामने। अभी तोमर जी जब वापस आयेंगे जमानत से तो वे भी सदन में बैठेंगे तो सही। वे भी आपकी पोल पट्टी खोलेंगे कि भ्रष्टाचार तो हम सब ने मिल कर किया था डिग्री का। लेकिन मैं बताऊंगा कि यहां कितने औरों की डिग्री फर्जी है। लेकिन वह सब बाद की बात है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इधर से कोई नहीं बोलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर जाइये प्लीज। इनको बाहर कीजिए बहिन जी को। चलिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऐसे यह चर्चा आगे नहीं बढ़ पायेगी। अगर दर्शक दीर्घा से तालियां बाजेंगी, दर्शक दीर्घा से पार्टिसिपेशन होगा। ये तो और भी विचित्र स्थिति होगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं कुछ नहीं। एक बार रुकिए प्लीज।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिस भी नागरिक को आप रिकमण्ड करें या भेजें, उसे सख्ती से हिदायत दें नो कमेन्टस, नो क्लैपिंग, नो लाफिंग एट ऑल। सख्ती से हिदायत दें, तब उसको रिकमण्ड करें। वो अपनी भावनाओं पर अगर काबू नहीं रख सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक महिला को मुझे बाहर करना पड़ा। इसके लिए जो मुझे स्टेप लेना पड़ा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जब आप हमें बाहर करते हैं, तब आपको अच्छा लगता है?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग मामला है। आप महिला नहीं हैं। आप महिला होती तो मैं बात कह देता।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये तो शुक्र है कि विपक्ष में एक भी महिला सदस्य नहीं है। वरना आपके जितने मार्शल्स हैं, न किसी काम के नहीं थे। एक बहुत जस्टिफाइड विषय इस हद तक जस्टिफाइड...तर्क संगत सार्थक संविधान का खुलेआम खुलेरूप से उल्लंघन हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल करो, तो मंत्री जी जिनको टेबल करनी थी, वह हंस रहे हैं। निश्चित थे कि भैया, हमारा कोई संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान की किताब आपको ही मुबारक। हम तो उसको टेबल नहीं करते। और ज्यादा बोलेगा। ज्यादा तीन पांच करोगे तो...अच्छा कल जब हम सदन में आये तो हम लोग थोड़े परेशान थे। जब हमने विषय रखा और अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा कि हम इस पर चर्चा नहीं होने देंगे। तो हम वेल में आ गये।...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मदन जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अब वेल में आ गये। यहां पर हमने अपनी बात कही। शोर मचाया। बात कहने की कोशिश की। कोशिश की कि हमारी बात सुन ली जाये। लेकिन बड़ी हैरानी हुई। मैंने ओम प्रकाश जी को कहा कि ये तो आज भी मार्शलों का प्रयोग करना चाह रहे हैं। यानी तीसरे दिन लगातार... तो जगदीश प्रधान जी ने मुझसे कहा कि विजेन्द्र जी, इससे पहले कि ये मार्शल बुलायें, आप वाक आउट कर जाओ। कम से कम सदन में दुबारा आने की स्थिति में तो होंगे, ये तो नहीं चाहते कि बजट पेश हो और हम बजट में भी मौजद रहें। हालात ये हैं कि...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रुक जाइये प्लीज। जरनैल सिंह जी। ये मेरा निर्णय है। मैं देखूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 239 एए का खुले रूप में उल्लंघन हो रहा है। अगर अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो मैं ऐसे 50 संगीन मामले, जिसमें ये सरकार भारतीय संविधान का, कानून व्यवस्था का खुले रूप से उल्लंघन कर रही है। खुले रूप से...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : और उसके बावजूद इस सदन में ये दुर्भाग्य है कि सबसे छोटा सदन का काल बजट का मात्र 6 दिन का और उसमें भी चर्चा उन विषयों पर जिनकी कोई सार्थकता नहीं है। सिर्फ राजनीति से प्रेरित। राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित। बहुत दुख और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वास्तविकता तो ये है कि आज जो दिल्ली में घट रहा है, ऐसा देश में किसी राज्य में नहीं घटा। ऐसी एनार्किस्ट गवर्नमैन्ट कहीं नहीं आई है। कानूनों का खुला उल्लंघन करें, अपनी परिधि से बाहर जाकर चीजों को पारित करें और उसके बाद अधिकारियों को प्रताड़ित करें। अधिकारियों का राजनीतिकरण कर दे। बिजली का काम पहले ही प्राईवेट लोगों के हाथ में है, उसमें और आडिटर भी और बाकी लोग भी प्राईवेट ही बैठा दें। यानि की डबल प्राईवेटाईज कर दे। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं। ऐसा आगे कभी हो ना मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि या तो ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे वरना दिल्ली का आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य ही जनता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। राखी बिरला जी। प्लीज।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद करना चाहूंगी जरनैल सिंह जी का भी, कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को सदन के सामने रखा। अध्यक्ष जी, मैं आज समझ नहीं पा रही कि 26 जून को आज के दिन को मैं एतिहासिक दिन कहूं लोकतन्त्र के लिए या फिर लोकतन्त्र के लिए काला दिन कहूं। क्योंकि 26 जून, 1975 को आज के ही दिन देश में अमरजेंसी लगाई गई थी। 25-26 जून को। लगभग 40 साल या इससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन आज एक बार फिर ऐसे हालात पैदा किये जा रहे है, ये हम लोग नहीं कह रहे। देश के पूर्व उप-प्रधान मंत्री और बीजेपी के साईड लाईन वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी जी की ऐसी भावना है। ऐसा उन्होंने कहा है। ये हम नहीं कह रहे। ये बीजेपी के साईड लाईन वरिष्ठ नेता का डर बोल रहा है कि दिल्ली में जैसे हालात पैदा किये जा रहे हैं, उनसे यह आभास लगाया जा सकता है कि पुनः आपातकाल जैसी स्थिति, अमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि केन्द्र में बैठी बीजेपी सरकार के आए दिन के कारनामें इस बात को सत्यापित करते हैं कि शायद उनका तानाशाही जो रवैया है, वो इस देश के अन्दर पुनः इमरजैंसी लगाने की कोशिश कर रहा है जो कि दिल्ली के अन्दर एक ट्रायल बेसिज़ है। दिल्ली में ट्रायल किया जा रहा है। देश की राजनधानी दिल्ली में जनता के द्वारा चुनी हुई, लोकप्रिय सरकार को उसने प्रचण्ड बहुमत देके जिताया है, उसको काम न करने देना। एलजी के माध्यम से बार-बार उन लोगों को परेशान करना ये एक तानाशाही रवैये की ओर इशारा करता है। ये जिस प्रकार का रवैया पिछले कुछ दिनों से केन्द्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में जताया जा

रहा है, करा जा रहा है एलजी के माध्यम से बार-बार, मुख्यमंत्री साहब को पूरी सरकार को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर ओफिसर्स को बार-बार अपने पिट्ठू घोषित करने की जो कोशिश की जा रही है, वो संघीय ढांचे पर प्रहार के साथ-साथ लोकतन्त्र का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बेहद शर्म की बात है केन्द्रीय सरकार के लिए कि उन्हें इतने प्रचण्ड बहुमत के साथ देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा और केन्द्र को चलाने के लिए और केन्द्र की बागडोर उनके हाथ में थमाई। दिल्ली में पैदा हो रही स्थिति को देखते हुए, यह लगता है कि शाायद यह घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। क्योंकि चुनी हुई सरकार को काम न करने देना, चुने हुए मुख्यमंत्री या ये कहें कि दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने पीए की या फिर अपने स्टैनोग्राफर की या फिर अपने और अन्य कर्मचारी की बदली कर सके। दिल्ली के चुने हुए विधायकों पर पुलिस के द्वारा या कहें कि पुलिस को इस तरह से डायरेक्शन दी जा रही है कि वो एक पार्टी जो कि चुनी हुई पार्टी की सरकार है। केन्द्र सरकार तो वे एक विशेष पार्टी की बात को मानते हुए दिल्ली के चुने हुए विधायकों के ऊपर अपने मनमाने तरीके से केस लगाए। जो इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री बीजेपी के, भगोड़े की लगाए। जो इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री बीजेपी के, भगोड़े की अगर, देश के भगोड़े की अगर सहायता करते हैं तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाती है, उनका पूरा बचाव किया जाता है। लेकिन जब दिल्ली के विधायक जनता की सेवा करने के लिए निकलते है उनके हितों में काम करने के लिए निकलते हैं तो बेहद शर्म के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर उलूल-जलूल केस लगाती है, आईपीसी की धारा ठोकती है। इसका जीता जागता

उदाहरण है हमारे बीच में तिलक नगर से विधायक बैठे है भाई जरनैल सिंह जी। ये क्या करने गए थे अपने क्षेत्र में एक अवैध कब्जे को तुड़वाने के लिए जो अवैध रूप से लोग भेजे गए थे। उन्होंने सिर्फ उनसे एक आर्डर ही तो मांगा था, कि आपके पास आर्डर है या नहीं है इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए क्योंकि जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो किसी के खून पसीने से बनाई गई थी, लेकिन क्या मिला इन्हें उसके बदले में। धन्यवाद, सम्मान नहीं मिला। बल्कि इनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बकायदा प्रेस कांफ्रेस करके इस बात को बोला और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इस सदन के माध्यम से आपको अध्यक्ष साहब, कि आपने भाई जरनैल के केस को प्रिविलेज कमेटी को सौंपा, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। और इस लिए आम आदमी पार्टी ने एसीबी का गठन किया। लेकिन केन्द्र सरकार को जैसे ही पता चला कि एसीबी इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके महज चार महीने के अन्दर दिल्ली के अन्दर 53 घूसखोर ओफिसर्स को संस्पेंड कराया और 152 को सस्पेंड करा है 53 लोगों को गिरफ्तार करा है, तो केन्द्र में बैठी बीजेपी सरकार की छाती पर सांप लौट गया। उसे लगा कि कहीं पांच साल बाद जिस प्रकार से दिल्ली में हमारा हश्र हुआ है, कहीं पूरे देश में ऐसा हश्र न हो जाए। आज पूर्ण बहुमत के साथ बैठे है संसद के अन्दर। कहीं हम वहां पर भी तीन पर न सिमट जाएं। इसलिए उन्होंने एसीबी के भी पर कतरने की कोशिश की। ये तमाम उदाहरण अध्यक्ष साहब इस बात की तकसीद करते हैं कि यहां पर अघोषित आपातकाल लगा दिया गया। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक बात

है। केन्द्र सरकार के मंत्री हों या फिर बी.जे.पी के मुख्यमंत्री ये लोग सभी मिल के देश के भगोड़ों की मदद कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं के सांसद अपने वित्त मंत्री के ऊपर, अपने कानून मंत्री के ऊपर ड्राई डे के दिन जब पूरे तरीके से पूरे देश के अन्दर शराब पर बन्दी की जाती है और जब इन्हीं के आज के मौजूदा वक्त में इनके कानून मंत्री हो या इनके वित्त मंत्री हो माननीय अरूण जेटली जी उन पर इन्हीं के सांसद इन्हीं के पार्टी के सांसद माननीय कीर्ति आजाद जी इस बात की एफआईआर कराते हैं ड्राई डे के दिन अरूण जेटली जी ने अपने आईपीएल मैच के दौरान शराब को सर्व किया था। बहुत शर्मनाक बात है। ये वही सरकार है जो नशे को खत्म करने के लिए आई थी। ये वही सरकार है जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आई थी। क्या ये वही सरकार है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आई थी। अरे आप ड्राई डे के दिन शराब सर्व करते हो। आप देश के भगोड़े का समर्थन करते हो। उसके साथ मानवीय आधार पर आपकी विदेश मंत्री उसका साथ देती है और देश के वे लाखों हजारों फौजी जिनको सिर्फ आपने वोट बैंक समझा, वे खून से लिखा आपको पत्र भेजते है और आपका दिल नहीं पसीजता। आपको शर्म आनी चाहिए केन्द्र में बैठे हुए लोगों को। केन्द्रीय सरकार देश में, देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश के अन्दर योग को बढ़ावा देने की बात करती है। वल्ड योगा डे मनाया गया 22 जून को। इतना देश की गाढ़ी कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई को फिजूल खर्ची में उड़ाया गया। टी-शर्ट बांटी गई। इस तरीके के इन्होंने आयोजन किए।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, एक सैकेंड रुकिये जरा प्लीज। आप विषय पर रहिए। एक सेकेंड। कृपया आप विषय पर रहें।

सुश्री राखी बिड़ला : जी अध्यक्ष साहब। केन्द्रीय सरकार योग को तो बढ़ावा देने की बात करती है। लेकिन जब दिल्ली की राज्य सरकार इनसे सहयोग की बात करती है ये लोग आंखें तरेरते है। इन्हें डर लगता है। दिल्ली में बैठी सरकार से, अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व से कि ऐसा न हो ही पांच से पहले ही हमारा बैंड बजा दे। इसी लिए ये ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए बार-बार एलजी के माध्यम से काम नहीं करने दिया जा रहा है, बार-बार समस्याएं उत्पान्न की जा रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिये राखी जी।

सुश्री राखी बिड़ला : अभी सरिता ने बोला कि दिल्ली इस विधान सभा में बैठे 70 लोगों में से अगर तीन लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी 67 लोग ऐसी मिट्टी के बने है, जो अपने देश की आजादी के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर कीमत पर अपनी जान देने के लिए तैयार है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये राखी जी।

सुश्री राखी बिड़ला : केन्द्रीय सरकार को बने हुए अध्यक्ष साहब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं केन्द्र सरकार को बने हुए तेरह महीने हो चुके हैं। लेकिन आज तक उन्होंने अपना एक। एक भी वादा पूरा नहीं किया। मुझे लगता है...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी। मैं दोबारा कह रहा हूं। आप विषय पर जा रही है।

सुश्री राखी बिड़ला : लेकिन वहीं दिल्ली की सरकार है। आप लोग बार-बार ब्रेकर्स लगाते हो उनके आगे, उन्हें बाधित करते हों, लेकिन महज चार से पांच महीने हुए है दिल्ली की सरकार को बने हुए और केजरीवाल की सरकार ने अपने आधे से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राखी जी अब कंकलूड करिए, प्लीज।

सुश्री राखी बिड़ला : सर बिल्कुल। केन्द्र सरकार को ऐसा लगता है कि अगर वे एलजी के माध्यम से अपना शासन चलाकर हम लोगों को परेशान करेंगे, काम नहीं करने देंगे तो इस बात से साबित होता है कि कल माननीय उपमुख्यमंत्री साहब ने जो अपना बजट पास किया है, उससे दिल्ली की जनता में खुशी की लहर है। एक विश्वास पैदा हुआ है। एक आत्मविश्वास बढ़ा है। हर गरीब आदमी का और आम जनता का। उन्हें इस बार लगा है कि हमने सही लोगों को चुना है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते है और उसके लिए बढ़ावा देते है। केन्द्रीय सरकार के तेहरवें महीने में माननीय अध्यक्ष साहब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की चार देवियां केन्द्रीय सरकार का जनाजा निकालने की तैयारी कर रही हैं। उनको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस ऐतिहासिक मुद्दे पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जरनैल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे,
जो इसके विरोध में है वे ना कहे,

अध्यक्ष महोदय : देखिए समय की कुछ सीमाएं रहती है। मेरे पास जो नाम आए, उनके बाद विजेन्द्र जी का आया तो मैंने इंकलूड किया विपक्ष की ओर से। अब और समय नहीं है। नहीं देखिए पुष्कर जी प्लीज। देखिए अभी और विषय है साढ़े पांच बज चुके है।**...(व्यवधान)** इसके बाद लेने है मुझे। दो विषय और है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपसे माफी चाह रहा हूं प्लीज। बैठिए पुष्कर जी।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे,
जो इसके विरोध में है वे ना कहे,
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

As per Rule 106 ये तीनों प्रस्ताव, पुष्कर जी देखिए आप मुझे लिखकर दे दीजिएगा जो भी संशोधन की जरूरत है, मुझे लिखकर दे दीजिए।

श्री पंकज पुष्कर : मैं आग्रह कर रहा हूं, सर**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपने मुझे एक बार भी आग्रह नहीं किया। मुझे फोन कर लेते आप। मैं यहां पर आया हूं, बीच में भी गया हूं। पुष्कर जी प्लीज, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं**..(व्यवधान)...** और ये जितने भी नाम है, मैं नहीं लेता हूं, पार्टी के चीफ व्हिप से आते हैं और दूसरा जो एमएलए बंधु यहां नाम देना चाहते है, मैं उनको स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरे पास नाम नहीं आया। मैंने बार-बार रिक्वैस्ट की। अब इस बात को स्वीकार करिए प्लीज। देखिए पुष्कर जी, प्लीज बैठिए। मैं कई बार कह चुका हूं आप मुझे लिखकर दे दीजिए। मुझे लिखकर दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब इसको रोकिए प्लीज। मैं रूल 106 में, ये जो तीनों प्रस्ताव पारित हुए हैं ये पारित प्रस्ताव

माननीय मंत्रियों को भेजे जाएंगे। and the minister concerned shall inform the House about the Status of the Resolution in the next session.

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इनका बयान तो करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं ये रूल है 106 आप पढ़ लीजिए प्लीज। रूलिंग 106 में ये है जो प्रस्ताव पारित हुए है प्राइवेट मैम्बर्स द्वारा, रूल 106 ले लीजिए एक बार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमेशा यहां पर ये परंपरा रही है जब भी प्राइवेट मैम्बर्स डिसक्शन होता है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे रिप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन per rule मैं चल रहा हूं। आप 89 से ले लीजिए आराम से कोई दिक्कत नहीं। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्पों की सूचना और इसमें कहीं भी ले जाइये। ये यहां एंड होता है 106 पर। copy of Resolution passed to be sent to the Minister. Nowhere is written, the Minister has to reply. लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो रूल है मैं उसके अनुसार चल रहा हूं इसमें क्लीयर लिखा है copy of every Resolution which have been passed by the House shall be forwarded to the Minister concerned and the Minister concerned shall inform the House about the status of the Resolution in the next Session. फिर अगला चैप्टर चालू हो जाता है। फिर भी आप दो मिनट देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हां, आप क्या कह रहे थे? बताइये राजेश जी।

अति विशेष उल्लेख

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बहुत जी जरूरी पब्लिक इंटरेस्ट का विषय उठाना चाहता था। दिल्ली का संसदीय सचिव, स्वास्थ्य होने के नाते, मैं आपको, एक बहुत ही गंभीर समस्या जो मेरे लिए सामने आ रही है अगर आपने देखा होता जैसे ही हमारी सरकार बनी तो पहले एमसीडी फिर डीटीसी और फिर रैजडेंट डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक आपके सामने होती हुई चली आई। इस सिलसिलेवार तरीके होती चली आ रही थी**...(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इन्होंने पहले नोटिस दिया है क्या?

अध्यक्ष महोदय : हां, नोटिस आया था।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 11.00 बजे?

अध्यक्ष महोदय : 11.00 बजे दिया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : किसमें दिया है इन्होंने कौन से नियम में दिया है

श्री राजेश गुप्ता : सर 54 में कह रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 54 में अगर आपने नोटिस दिया है**...(व्यवधान)**

श्री राजेश गुप्ता : सर, वे तो बताएंगे। सर मैंने तो अपनी बात रख दी यहां पर। वे आप उनसे पूछिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर, ये रूल बुक हमारे लिए**...(व्यवधान)**

श्री राजेश गुप्ता : सर ये पब्लिक इंट्रेस्ट में है। प्लीज आप बैठ जाइये। आप दो मिनट सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखो आप, उसके बाद बैठ जाऊंगा...**(व्यवधान)**

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप अगर आज्ञा दें तो मैं **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड रुकिए राजेश जी। ये विजेंद्र जी ठीक कह रहे है। इसमें तीन घंटे पूर्व सूचना आनी चाहिए सदन के आरंभ होने से पहले। रूल 54 में तीन घंटे पहले सूचना आनी चाहिए। बैठिए राजेश जी प्लीज।

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष जी, इन्होंने सुबह ही दे दिया था **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इन्होंने दिया था लिखित में मुझे। मैं वो गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे दिया था लेकिन उस वक्त मैंने रूल 54 को देखा नहीं था कि क्या ये दे गए थे मुझे। मैंने कहा था कि समय मिलेगा तो मैं समय आपको दूंगा। लेकिन इन्होंने जो मुद्द मुझे बताया था, आपकी जानकारी में दे दूं। हॉस्पीटल्स में आज कुछ डॉक्टर्स को पीटा गया है केवल वो मुद्दा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये पब्लिक इंट्रेस्ट की बात है।

अध्यक्ष महोदय : और ये पब्लिक इंट्रेस्ट की बात है। आप कहते है, आप सहमत है तो मैं इसको उठाने की इजाजत देता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फैसला तो आपको लेना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देखिए विजेन्द्र जी। भई राजेश जी, एक सैकेंड। मुझे निर्णय कर लेने दीजिए, एक बार प्लीज। बैठिए जगदीश जी। ये बात ठीक है रूल 54 में मेरे पास चैम्बर में आए थे। कहा कि ये अति महत्वपूर्ण विषय है। मैंने कहा समय मिलेगा, मैं उठाने का समय दूंगा। समय था, आपने ओब्जेक्शन किया, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने रूलिंग दी। उसके बावजूद भी अगर आप सहमत है विषय केवल ये है कि आज हॉस्पीटल के डॉक्टरों को पीटा गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर इसको रिजैक्ट कर देंगे तो सभी सदस्यों को ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई मुद्दा इस तरह का है Calling Attention Motion का तो उसको 11.00 बजे तक देना है।**...(व्यवधान)** स्पीकर सबसे पहले उसका फैसला करते है, जब सदन शुरू होता है सबसे पहले 54 का फैसला होता है, 59 का फैसला होता है। 59 का और 54 का। Calling Attention और काम रोको प्रस्ताव का। इन दोनों का फैसला दो बजे ही होता है कि माना या नहीं माना। 6.00 बजे नहीं सुनाया जाता**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भई, देखिए दो मिनट रुक जाइये प्लीज। ये विषय मेरे पास आया था। मैंने जैसा आपसे कहा। रूल 54 में दिया था। केवल आज 3-4 हॉस्पीटल्स में जो घटना हुई है, उसके विषय में है। मैंने रूलिंग देख ली। आपकी बात स्वीकार की है। जिसका मैंने रूलिंग दिया है। अगर आपको लगता है कि उठाने दें तो उठाने दें, नहीं तो दूसरा रास्ता जो मेरे पास है वे ये है कि कोई ऐसे महत्वपूर्ण विषय आते है, सदन में मैं वोटिंग करवा सकता हूं। लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपकी सहमति चाह रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। हां राजेश जी, प्लीज। संक्षेप में रखिएगा।

श्री राजेश गुप्ता : बहुत संक्षेप में रखूंगा। सिर्फ दो मिनट में रखूंगा। जैसे मैंने अपनी बात की शुरूआत की कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, उसके बाद एमसीडी, डीटीसी और रेजिडेन्टस डॉक्टर्स की सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से हड़ताल हुई तो यह समझ में नहीं आया कि इस तरीके से कौन कर रहा है। इसको इंस्टीगेट कौन कर रहा है और उसके बाद जैसे रेजिडेन्टस डॉक्टर्स की हड़ताल हुई और मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, जब मैं उनसे मिला तो बहुत ही कमाल की बात है कि कुछ आर.एम.एल. हॉस्पिटल के, कुछ सफदरजंग के, कुछ एमसीडी हॉस्पिटल के थे, जिनके डॉक्टर्स हमसे मिलने आये, जो हड़ताल पर थे। वो डॉक्टर्स यह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे या उनको बहकाया गया था क्योंकि मैं नहीं मानता कि डॉक्टर्स को पता नहीं होगा कि हॉस्पिटलस की जो बात कर रहे हैं वो दिल्ली सरकार के अर्न्तगत आते ही नहीं हैं। इसलिये मैं दोबारा कह रहा हूं कि आरएमएल, सफदरजंग और एमसीडी के कुछ हॉस्पिटल के थे। उसके बावजूद हम उनके साथ में बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका संज्ञान लिया और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनका संज्ञान लिया। मीटिंग में बैठे, हमने उनको बुलाया। उन्होंने अपनी 19 डिमाण्डस रखीं और बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने 5 डिमाण्डस साथ के साथ बैठ कर बढ़ा दीं 24 कर दी गई उसके बाद 24 की 24 मान ली गईं। उसको हाथ के हाथ हमारे स्वास्थ्य माननीय मंत्री जी ने टवीट कर दिया कि हम 24 की 24 डिमाण्डस मान रहे हैं। उसके बावजूद वे हड़ताल नहीं रोकी गई। न जाने क्यों रोकी नहीं गई। कोई उसको रोकने के लिए मना कर रहा था कि हड़ताल होनी

चाहिये या किसी के राजनीतिक फायदे के लिये इस हड़ताल को बढ़ाया जा रहा था। यह सोचे समझे बिना कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रही है। उसके बाद मजबूर होकर दिल्ली के लोगों के हित के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एलजी के पास भेजा है कि इसमें एस्मा लगा देना चाहिये। उस एस्मा को लगा दिया गया। उसके बाद वे लोग हड़ताल को छोड़कर वापिस काम पर आ गये। लेकिन जो सबसे गम्भीर विषय है, अध्यक्ष जी यह देखिये कि सिर्फ दो दिन के अन्दर 6 डॉक्टर्स के ऊपर फिजिकल एसोर्ट हुए और बहुत कमाल की बात है, उनमें से कुछ ऐसी भी जगह थीं जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए थे। आज उनके सामने किसी डॉक्टर को थप्पड़ मारा जा रहा है, किसी को घसीटा जा रहा है, ऐसा ये कौन कर रहा है अगर एस्मा लगता है तो मैं आपको एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीयर कर देना चाहता हूं कुछ लोगों को, जो स्ट्राईक को इंस्टीगेट करते हैं, जो उनको भड़का रहे हैं कि एस्मा के अन्दर जो भड़काने वाले हैं, जो इंस्टीगेट करने वाले हैं, उनके ऊपर भी उतना ही गम्भीर आरोप बनता है, उन पर भी कानून उसी तरीके से काम करता है, जैसे डॉक्टर्स पर करेगा जो हड़ताल पर जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, किस हॉस्पिटल में घटना हुई है?

श्री राजेश गुप्ता : सर इसके अन्दर 6 हॉस्पिटल्स थे जिसमें 2 मैं बता देता हूं एक डीडीयू के अन्दर ऐसा हुआ जो पुलिस अधिकारियों के सामने थप्पड़ मारा गया उसको। महावीर के अन्दर ऐसा हुआ। संजय गांधी के अन्दर ऐसा हुआ और लागातार इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है जैसे ये दिखाये देने लग जाये कि जैसे कि ये बार-बार कहते हैं कि अभी भाई जरनैल सिंह जी ने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप करिये, शार्ट करिये। विषय पर रखिये बस।

श्री राजेश गुप्ता : सर मैंने अपनी बात इसके अन्दर रख दी है।

अध्यक्ष महोदय : आरोप-प्रत्यारोप नहीं होता इसमें।

श्री राजेश गुप्ता : ठीक है सर। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज दिल्ली पुलिस अगर यह कह सके कि उन डॉक्टर्स को सुरक्षा दे, हॉस्पिटलस के अन्दर दिल्ली पुलिस लगे और देखे कि इस तरह की घटनायें न हों। जो लोग ऐसी घटनायें कर रहे हैं, जो बाज नहीं आ रहे हैं उसमें एस्मा को उचित तरीके से लगाया जाये। जैसे जो लोग हड़ताल करते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, बहुत संक्षेप में। प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : काफी हद तक राजेश जी ने बात रख दी है। पर मैं बिल्कुल आपको सही जानकारी दे रही हूं क्योंकि हम लोग अरोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष अपने-अपने अस्पतालों के और सब विधायक अध्यक्ष हैं, हमारी आपस में बैठक हुई। जब यह हड़ताल चल रही थी और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को और सक्रिय होने की जरूरत है क्योंकि हमें यह साफ लग रहा है कि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को देखते हुए कुछ लोग बौखला कर हड़तालों के माध्यम से इन्हें राजनीतिक साजिशों के तहत किया जा रहा है। पहले डीटीसी के लोग हड़ताल पर जाते हैं, फिर नगर निगम के जाते हैं फिर उसके बाद नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के लोग चले जाते हैं और फिर डॉक्टरों

की हड़ताल होती है। तो हमें बिल्कुल इसमें ××× की बू आ रही थी तो मैं आपको हकीकत बता रही हूं लाल बहादुर शास्त्री...अध्यक्ष जी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अल्का जी, आप विषय पर आइये।

सुश्री अलका लाम्बा : विषय पर आ रही हूं अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : अल्का जी।

सुश्री अलका लाम्बा : आप नोट करवाइयेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं।

सुश्री अलका लाम्बा : मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी से...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं। यह ××× शब्द हटा दीजिये।

सुश्री अलका लाम्बा : मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि आपने जब डॉक्टर्स की मांगों को माना तो आपने यह भी विश्वास दिलाया कि आप उनकी सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हम लोग खुद रोगी कल्याण समिति के डॉक्टरों को जिनको हम लोगों को जिम्मेदारी दी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल नोट करियेगा रात को साढ़े नौ बजे यह 24 तारीख की घटना है जब हड़ताल खत्म हो जाती है बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गंभीरता से लेते हैं। शनिवार को बुलाया जाता है डॉक्टरों को। रविवार को बुलाया जाता है। बातचीत के लिए डॉक्टर्स

(××× चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।)

नहीं आते। सोमवार को मैं खुद 3 बजे सचिवालय में थी। डॉक्टरों का इन्तजार करते रहे, डॉक्टर्स नहीं आये और सोमवार को खुद डॉक्टरों को बातचीत के लिए हम राजी करते हैं जबकि दूसरी तरफ से आता है कि दूसरे राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं इसलिये आप जारी रखिये। फिर भी अस्मा की धमकी दी गई और वे हड़ताल टूटी और बातचीत हुई और 19 की जगह, 24 मांगों को माना गया। अब मैं आपको बात रही हूं उसके बाद हुआ क्या है। यह हड़ताल खत्म होने के बाद हुआ क्या है, इसे नोट करवाइयेगा। 24 जून को हड़ताल खत्म होने के बाद साढ़े नौ बजे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में डॉक्टर के ऊपर हमला किया जाता है। रात को उसी दिन को 11 बजे बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऊपर हमला करवाया जाता है। 25 जून की घटना। महर्षि बाल्मीकि अस्पताल में रात को साढ़े आठ बजे जूनियर डॉक्टर रेजिडेन्ट जो ऐवेलेबल रहते हैं, उन पर हमला करवाया गया। मैं बिल्कुल इसका जवाब चाहूंगी। भगवान महावीर हॉस्पिटल में, हद हो गई अध्यक्ष जी। सबूत हैं बकायदा सीसीटीवी कैमरे में और वहां के डॉक्टर्स ने जो अपने मोबाईल से लिये। भगवान महावीर अस्पताल में रात को नौ बजे 25 तारीख को ही डॉक्टरों पर पुलिस की उपस्थिति में चार पुलिस वाले कांस्टेबल एक अपराधी को लाते हैं वहां पर जांच के लिये, और अपराधी जो है वो डॉक्टरों पर हमला बोलता है और आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि किस तरह से चार कांस्टेबल पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए ये देखते रहते हैं कि जिस अपराधी को वो जांच के लिए लाए हैं, वो डॉक्टरों पर हमला करता है और इस पर मैं कहना चाहूंगी क्या दिल्ली पुलिस डॉक्टरों की सुरक्षा देने में नाकाम है या वे ××× में शामिल है कि उनकी उपस्थिति में इस तरह का हमला होता है। मंगोलपुरी अस्पताल में भी

(××× चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।)

डॉक्टरों को धमकी दी गई यह वे जानकारियां हैं जो हम लोगों ने हड़ताल के बाद एकत्रित की। हम सब रोगी कल्याण समिति अस्पताल के लोगों ने डॉक्टर्स से सम्पर्क किया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन्हें हिम्मत दी कि अब आपके साथ यह सरकार खड़ी है। आपकी मांगों को मान लिया गया तब यह घटनायें होती हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसे गंभीरता से लेते हुए इन सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करानी चाहिये और जो इस तरीके से डॉक्टरों पर हमला करके एक छवि को खराब करने या साजिश को अन्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए और मैं यकीन दिला सकती हूं क्योंकि कल्याण समिति की अध्यक्ष होने के नाते अरूणा आसिफ अली हॉस्पिटल और बाकी तमाम दिल्ली सरकार की यह सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं उम्मीद करती हूं और बिल्कुल आपकी सुरक्षा सेफ्टी के साथ कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा। कानून के दायरे में सख्त से सख्त कदम उठाये जायेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : नियम 107 के अर्न्तगत जरनैल सिंह जी द्वारा (तिलक नगर) मेरे पास एक विषय आया है, चर्चा के लिये। हां जरनैल सिंह जी बताइये।

नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव

श्री जरनैल सिंह : नियम 107 के अर्न्तगत इस गम्भीर मुद्दे को सदन के समक्ष रखने के लिए सदन में समय देने के लिये धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कुछ समय पहले इस सदन में एक साथी ने एक बात बोली कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उसके बाद इस सदन में जोर-जोर से ठहाके बजने

लगे। लोग हंसने लगे इस बात पर और इस बात पर हंसने की वजह यह थी यह एक जुमला लगा सबको।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : बार-बार भ्रष्टाचार को खत्म करने के खोखले दावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेताओं द्वारा वास्तव में भ्रष्टाचार को लेकिन बीजेपी का क्या रुख है। यह मैं सदन के सामने आज उजागर करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी किस तरह जुलाई 2014 के अन्दर जो एंटीक्रप्शन ब्रान्च है दिल्ली की, जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है, जिसका काम है दिल्ली में होने वाले भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना। वे किस तरह जुलाई, 2014 में केन्द्र सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा कमजोर की गई वो आप सब जानते हैं। जुलाई, 2014 की नोटिफिकेशन के मुताबिक एसीपी दिल्ली, एमसीडी के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती चाहे वे जितना मर्जी भ्रष्टाचार करे। डीडीए के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। केन्द्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। चाहे वे दिल्ली में जितना मर्जी भ्रष्टाचार करें। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने वालों की तो प्रशंसा होनी चाहिये। इनके पर क्यों काटे जा रहे हैं? इनको कमजोर क्यों किया जार रहा है? अध्यक्ष जी, क्रप्शन को रोकने की एक जो मिसाल 49 दिनों की सरकार में आम आदमी पार्टी ने कायम की।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी यह एक तत्कालिक विषय है।

तात्कालिक जो घटना घटी है जो विषय आपने दिया, उसकी चर्चा करिये। सीधा उस आइये। बस।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां लिख कर दें।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी आज सुबह Times of India News की एक कापी है इसमें साफ-साफ यह बताया गया है कि किस तरह जो एक ईमानदार ऑफिसर एमएस यादव जिनकी एसीपी चीफ के रूप में दिल्ली सरकार ने नियुक्ति की थी, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिये कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं। एक जबरदस्ती की क्रिएट की हुई पोस्ट एक भ्रष्टाचार के खुद आरोपी जो रह चुके हैं, मुकेश कुमार मीणा को एसीपी दिल्ली का ज्वाईंट कमीशनर बनाकर उस डिपार्टमेन्ट के ऊपर थोप दिया जाता है और यह जिम्मेदारी दे दी जाती है कि अब यह डिपार्टमेन्ट भ्रष्टाचार को रोक न पाये। इससे सीधी-सीधी अध्यक्ष जी, वो कहावत याद आती है कि भ्रष्टाचारियों की आई बहार, अब की बार मोदी सरकार। बार-बार अध्यक्ष जी एसीपी को कमजोर करने के काम किये जा रहे हैं और 2015 से एसएस यादव जी कितनी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रहे है, वो हम सब जानते हैं। अध्यक्ष जी, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किस तरह बीजेपी सरकार ने मीणा जी को वहां पर ज्वाईंट कमीशनर एल जी साहब के द्वारा फोरसफुली जो पोस्ट है भी नहीं एसीबी के अन्दर ज्वाईंट कमीशनर की कोई पोस्ट भी नहीं है, वहां पर उनको बिठा दिया और किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। यह एक बहुत ही गम्भीर

विषय है। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय का संज्ञान लें और तुरन्त कोई कार्रवाई करें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, दो मिनट बैठिये प्लीज।

अध्यक्ष महोदय : सरिता सिंह जी।

सुश्री सरिता सिंह : धन्यवाद स्पीकर सर, मैं इसी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बहुत संक्षेप में। प्लीज।

सुश्री सरिता सिंह : मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहूंगी। कुछ महीने पहले दिल्ली में एक नारा लगा था। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। हम में से कोई एंटी करप्शन ब्रांच के बारे में जानता भी नहीं था जब 49 दिन की सरकार बनी तो सबको पता चला कि दिल्ली सरकार के पास एक ऐसी पावर है, एंटी करप्शन ब्रांच है, जिससे वे भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। जैसा कि अभी विशेष भाई ने कहा कि एलजी नामक एक वस्तु जो अचानक उभरी जो शायद पहले कभी भी नहीं थी तो जिस तरह केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली के सरकार की पावर को छीनना चाह रही है, एंटी करप्शन ब्रांच कर क्या रही थी। एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश कर रही थी ना कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। एमसीडी में भ्रष्टाचार हो रहा था उसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो पावर वापिस ले लिया गया। डीडीए में अगर कोई चोरी होती है तो एसीबी कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस में अगर कोई चोरी होती है तो एसीबी कुछ नहीं कर सकती। उन सब पर भी समझौता किया गया और

आज जो न्युज पेपर में आया है, अगर हम उसे देखें तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। एक ईमानदार ऑफिसर अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन कर रहा है। एलजी महोदय को अचानक से ध्यान आता है कि एक एडीश्नल पोस्ट बना देना चाहिये। एक नया पोस्ट बना देना चाहिये और मीणा जी का एपाईटमेंट किया जाता है, आखिर एलजी साहब को ऐसा क्यों लगा। एक नये पोस्ट बनाने की जरूरत क्यों आ गई। इसमें दाल में तो कुछ काला है। कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्रांच एलजी साहब ने जो करप्शन किया था उसको उजागर करने वाली थी और उसको कैसे रोका जाये। एलजी साहब ने उसको रोकने लिये मीणा जी को भेजा कि अब जाओ, तुम मेरे दूत बन के। एसीबी कोई भी भ्रष्टाचार ना रोक पाये अब तुम जाकर वहां काम करो जिस तरह से एसएस यादव जी को परेशान किया जा रहा है, ये सदन इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ईमानदार ऑफिसर वहां पर काम कर रहा है यह हमारी ड्यूटी है अगर आज हम चुप रहे तो देश में ईमानदारी खत्म हो जायेगी। देश में ईमानदार ऑफिसर काम करना बंद कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, एलजी साहब से ये अनुरोध करना चाहती हूं निवेदन करना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार को काम करने दें एंटी करप्शन ब्यूरो को काम करने दें और आप इसका संज्ञान लें। जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई जरूर करें। एक ईमानदार ऑफिसर अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे हम प्रोत्साहन दें ना कि उसके मनोबल को हम डाउन करें। बस यही सदन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि एसएस यादव जो आज ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एलजी जो अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उनका कोई भ्रष्टाचार उजागर ना हो, एक

एडीशनल पोस्ट बनाया इसको जो इलीगल तरीके से पोस्ट बनाया इस पर कार्रवाई से सदन करे। ये अपील है आपसे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेश गुप्ता।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, जैसा कि बाकी मेरे कुछ साथी इस पर बोल ही चुके हैं। मेरे पास में उसका एक डाकूमेन्ट्री प्रूफ है। मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथी मुझसे ये ले लें और मीडिया में भी चलायें और अखबारों में भी जितना मरजी छापें। जिस आदमी के ऊपर 01.05.2015 को preliminary enquirey के लिए कह दिया गया हो जो आदमी हवाला के कांड के अंदर जिसके ऊपर पूरी पूरी आपके सामने ही है रिपोर्ट मेरे पास में जो खबर छपी हुई है पूरा का पूरा है जिसके बारे में साफ लिखा हुआ है जो आदमी कम्पलेंट लिखवाता है, वो कहता है voice recording of entire communication took place between us ऐसे आदमी को एसीबी के ऊपर बिठाना ये दिखाना कि एसीबी की गरिमा को खत्म करना है किसलिए ये चाहते क्या थे ये सदन ये जानना चाहता है कि किस तरीके के मजाक बनाया जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो का यहां पर। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर ये जान बूझकर बार-बार ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं कि एसीबी की गरिमा ही खत्म हो जाये कि एसीबी काम करने के लायक ही नहीं है। एसएस यादव के बारे में आपने सुना, एक ईमानदार अधिकारी उसके ऊपर एक ऐसे आदमी को बैठा देना, एक असंवैधानिक पोस्ट को क्रीएट कर देना। इसका मतलब क्या है। मैं बहुत संक्षेप में इस बात को रखना चाहता हूं और आपसे यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सदन से कि किस तरीके से ऐसे कब तक चलेगा जिसके

डाकूमेन्ट्री प्रूफ हैं। मैं मीडिया के साथियों को बार-बार कह रहा हूं कि प्लीज इसे आप अखबार में छापियेगा। इसे आप मीडिया में दिखाइये। इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिखाईये कि क्या हो रहा है और मैं फिर जानना चाहता हूं देश की जनता इनको तो जवाब देगी आपके माध्यम से, आप भी देखिये देश के अंदर क्या हो रहा है प्लीज। थैक्यू।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंद : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। इस चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 25 मई, 2015 को माननीय हाई कोर्ट से एक जजमेंट आता है जिसका पैरा नम्बर 44 है। which clearly says कि ACB जो है उसका jurisdiction ACB is under the jurisdiction of Delhi Govt. which clearly says ACB is in the jurisdiction of Delhi Givt. उसके बाद भी जिस प्रकार का षडयंत्र हो रहा है इस देश के अंदर। इस दिल्ली के अंदर, सारे देश की जनता देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, एसीबी का अगर इतिहास उठाकर देखें सबसे पहले इसका लोहा तब माना जब आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार 49 दिनों के लिये बनी थी। उससे पहले एसीबी को कोई नहीं जानता था देश के अंदर। उससे पहले एसीबी को कोई नहीं जानता था दिल्ली के अंदर। पहली बार उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो वो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया इसके लिए हमें फर्क है। 49 दिन में हमने देखा कि एसीबी ने एक नायक की

भूमिका निभाई। सारे देश के लिए मिसाल साबित हुआ। हम लोगों ने 49 दिनों के अंदर कोई ताजमहल बनाने का काम नहीं किया था बल्कि जो प्रेजेंट व्यवस्था थी, उसको ठीक करने का काम किया था। उसके अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया था और मुझे याद है वे 49 दिन जिसके अंदर एमसीडी का सफाई कर्मचारी से लेकर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक कांपते थे कि ना जाने कब उनके ऊपर एसीबी की तलवार लटक जाये। वो व्यवस्था हमने स्थापित की थी। जिसका ट्रेलर सारे देश की जनता ने देखा। जिसका ट्रेलर सारी दिल्ली की जनता ने देखा। जिसका नतीजा हुआ कि हमारी सरकार को इतनी स्वीकृति मिली, भाई अरविंद केजरीवाल को इतनी एक्सेप्टेंस मिली कि हमें दिल्ली के अंदर पुरजोर इतना बड़ा बहुमत मिला जो कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था, 67 सीट से हमारी सरकार चुनकर आई। खेल सारा का सारा यहीं से शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब 49 दिनों के अंदर एसीबी ने अपनी ताकत दिखाई, अंबानी के खिलाफ केस किये। बड़े-बड़े नेताओं के खिलाफ केस किये तो केन्द्र की सरकार हिल गई थी। जिसका प्रमाण है इस बात का कि 16 तारिख को 16 मई को जब मोदी की नई सरकार बनी तब प्राथमिकता में उनके यही था कि एसीबी का हम सबसे पहले पर कतर दें। जिसका नतीजा है कि 16 मई को सरकार बनती है और 23 मई को एक फैसला आता है कि केन्द्र की सरकार ने जितने भी कर्मचारी हैं।

अध्यक्ष जी : संक्षेप करें प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद : बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मैं आपसे सिर्फ दो मिनट का समय और मांगूंगा।

अध्यक्ष जी : संक्षेप करें प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद : 23 तारीख को ये फैसला आता है कि केन्द्रीय कर्मचारी को भी एसीबी के अंडर नहीं आयेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को क्या चोरी, क्या चोर इस बात से होता है दिल्ली की जनता टैक्स पेयर है जिसकी बदौलत केन्द्र की सरकार चलती है, दिल्ली की सरकार चलती है। अगर उसको कोई लूटेगा तो उसमें क्या हम ये देखेंगे कि कौन केन्द्र का इम्प्लाई है और कौन स्टेट का इम्प्लाई है। कौन लोकल बाडी का इम्प्लाई है। इससे बड़ी ज्यादती हो सकती है दिल्ली की जनता के ऊपर और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मीणा साहब का जिक्र कर रहे हैं उनका इतिहास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है मुझे बहुत सारे मीडिया के साथियों ने बताया है कि एसीबी इनके ऊपर कार्रवाई करने वाली थी जिस पर्दा घोटाले का ये जिक्र कर रहे थे लेकिन उससे पहले केन्द्र सरकार ने साजिश रच के एलजी के माध्यम से एक नया पोस्ट को क्रीयेट किया और जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारे एसीबी के चीफ एसएस यादव साहब उनके ऊपर से बैठाने की कोशिश की है। यहीं तक नहीं मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि पैरा मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके हमारे ऑफिस के ऊपर जबर्दस्ती कब्जा करके करने का षडयंत्र रचा जा रहा है ताकि एसएस यादव के ऑफिस को खाली करवाया जा सके और वहां जबर्दस्ती मीणा को बैठाया जा सके और उसी प्रकार से काम किया जा सके जैसे केन्द्र की सरकार एलजी को मुखौटा बनाकर के दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रही है। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा एलजी साहब, ये सब कुछ किसके लिये हो रहा है। ये

सब कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बेनिफिट्स के लिये हो रहा है। ये उनको बचाने के लिये हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि 49 दिनों के अंदर जो एसीबी के माध्यम से हमने करामात किया दिल्ली के अंदर, जो हमने गवर्नेंस को सुधारा जिसकी वजह से दिल्ली को 67 सीटें मिलीं। एक अपार बहुमत वाली सरकार मिली। कहीं इसका मैसेज पूरे देश में ना चला जाये और सारे देश से इनका सूपड़ा ना साफ हो जाये, इसके लिए ऐसा षडयंत्र रच रहे हैं। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मैं अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, अब कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद : मैं आपके माध्यम से क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूरा सदन इसका संज्ञान लें और जितनी जल्दी हो सकें, दिल्ली की जनता को एसीबी की बहुत जरूरत है क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा, एक-एक पाई सही जगह पर इस्तेमाल हो, हमारे पैसे की चोरी न हो, इसके लिए एसीबी की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उस अहंकारी सरकार को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अहंकार में मत रहना, अहंकार तो उस रावण का नहीं चला, जिसकी लंका सोने की थी, अहंकार उन अंग्रेजों का नहीं चला जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, जिन अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था उनके वायसराय के कपड़े हिन्दुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं तो यह जनतंत्र है। यहां पर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जनता के वोट से राजा पैदा होता है और इस जनतंत्र में, जिसने जनता की इज्जत नहीं की, उसको जनता उठाकर पटक देती है। इसके इतिहास में आपको कई प्रमाण मिलेंगे जैसा कि भाई जरनैल सिंह जी ने कहा कि इंदिरा

गांधी ने इमरजेंसी इसी सोच के साथ इम्पोज किया था कि उसके बाद उसको शायद पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन ठीक 19 महीने के बाद जब चुनाव हुए तो उठाकर के पटक दिया था और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं इतिहास में ऐसे आपको दर्जनों एग्जाम्पल मिलेंगे, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो मुझे मौका दिया इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए इसका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हालांकि आपने इसको नियम-107 में प्रस्ताव को अलाउ किया इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जो यहां पर चर्चा में नहीं आने चाहिए एक अधिकारी का नाम लेकर के इसमें साफ रूप से लिखा है इसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त, उनके आचरण या चरित्र का उल्लेख नहीं होगा। लेकिन यहां सब हो रहा है और कुल मिलाकर एक सरकारी व्यवस्था के एक विभाग का यहां पर राजनीतिकरण किया जा रहा है लगातार एसीबी के नाम पर पिछले कई महीनों से राजनीति हो रही है, राजनीति रंग दिया जा रहा है, हम बार-बार यह विषय उठा चुके हैं कि वो 35 लोग जिनके होर्डिंग्स लगाये गये, पब्लिसिटी की गई वो 152 लोग जिनकी पब्लिसिटी की गई, उनकी सूची दी जाये, उनके शिकायतकर्ता द्वारा किस तरह की शिकायत की गई, फिर क्या कार्रवाई हुई, कैसे उनको पकड़ा गया, ये सारे व्याख्यान सदन के सामने आने चाहिए। लेकिन वो भी मैं नहीं समझता कि कहीं किसी के पास कोई जानकारी है या सामने आई है। उसके बाद एक pick and choose बेसिस पर कार्रवाई हो रही है और एसीबी, ने 1031 फोन नं. पर जब कंप्लेंट्स

गई तो उसमें जितेंद्र सिंह तोमर के अगेंस्ट भी कम से कम 20-25 कंप्लेंट दर्ज कराई गई थीं कि मंत्री की डिग्री फर्जी है। लेकिन एक बार भी एसीबी ने जांच करने की आज तक भी कोशिश नहीं की। क्यों नहीं हुई, अगर एसीबी का राजनीतिकरण सरकार ने नहीं किया है तो फिर सरकार के पक्ष में बैठे हुए लोग या सरकारी कामकाज द्वारा जो भी त्रुटियां सामने आ रही हैं, जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, उस पर एसीबी ने आज तक कोई cognizance क्यों नहीं लिया यानि कि सरकार और सरकार के मंत्री अगर किसी चीज पर कार्रवाई चाहते हैं तो उस पर एसीबी काम करने की कोशिश करती रही है और शायद ऐसा महसूस होता है कि एसीबी व्यवस्था से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी के, मंत्री जी के इशारे पर काम कर रही है। आज जो विषय आया है यहां पर, अधिकारियों का नाम लेकर, वे सरकार के अधिकारी है या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है इसमें अब अंतर करना मुश्किल हो गया है। मेरी जानकारी में आया है कि रोजनामचा जो थाने में होने चाहिए, इसकी कस्टडी एसएचओ के पास होनी चाहिए। वे रोजनामचा कोई उच्च अधिकारी अपने पास दबाकर बैठ जाये और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार स्वयं लेने की कोशिश करें और अगर कोई उच्च अधिकारी इस बारे में कोई हिदायत दे तो फिर एक इमोशनल ब्लैकमेल का जो पूरा दौर आज चला है सुबह से, जो पत्र-व्यवहार हो रहा है, और फिर आज इस सदन में अचानक 107 में जो चर्चा यहां पर प्रारम्भ हुई है, मैं तो खुद हैरान था कि अचानक 107 में एसीबी की चर्चा कैसे शुरू हो गई नियम-107 में कोई घटना इस तरह की जो अधिकारियों के बीच का मामला है, वे यहां पर इस ऑनरेबल हाउस में discuss होगा ऐसे और 107 के तो इसमें आठ, नौ कंडीशन्स हैं। उसमें से आधी overrule की गई है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की

बात है कि अगर इसी तरह से अधिकारियों का राजनीतिकरण होता रहा, ये मेरा अधिकारी, ये तेरा अधिकारी, ये मेरा, ये तेरा, इस रूप में काम होता रहा तो एक vertical division अधिकृत रूप से अधिकारियों में करने की कोशिश सरकार खुद कर रही है। सरकार खुद को रिवार्ड कर रही है, खुद को पनिश कर रही है और कुछ को अपना बता रही है, किसी को पराया बता रही है, जबकि अधिकारी तो सरकार का अंग है और सरकार के कार्यों के लिए यहां पर उपस्थिति है। सरकारें तो आती जाती रही हैं। सरकारें क्या, सरकारें तो हर पांच साल बदलती है, बीच में भी बदलती हैं लेकिन एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, आप सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं, सिस्टम को कहीं न कहीं हिट कर रहे हैं। सिस्टम को कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत करिये। मेरा अनुरोध है कि ऐसे रिजोल्यूशन यहां लाकर के इस अगस्त हाउस को आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाइये। जो हमारे जिम्मे काम हैं, उसको आप करिये बाकी मंत्रियों पर छोड़िये, मुख्यमंत्री जी को फैसला करने दीजिए, उपराज्यपाल को फैसला करने दीजिए और अधिकृत कार्य जो अधिकारिक तौर से होने वाले ऑफिशियल वर्क है, उनको उसी तरह से करिये, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करके, जिसको कहते हैं कि एक अनाधिकार चेष्टा मत कीजिए। इसलिए इस प्रस्ताव का अध्यक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है यह वापस होना चाहिए। यह इस सदन में चर्चा का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया इसका धन्यवाद। मैं गहरे से सुन रहा था अपने साथी

विजेन्द्र गुप्ता जी को। कहना क्या चाह रहे हैं, दो अधिकारियों का मामला है, vertical divide हो जाएगा। एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार 67 सीट लेकर आई, एक मेनडेट लेकर आई, वह किसके जरिये काम करेगी, काम करने का जरिया अधिकारी हैं, जो चुनावी वायदे हम करके आये हैं, उसको पूरा करने के लिए उसका जरिया अधिकारी हैं। उस पर गहरी राजनीति किन कारणों से हो रही है? क्यों किया जा रहा है? उस पर किसी को कोई चिंता नहीं है। कभी भी हमने अपने भाजपा के साथियों को इस पर कोई चिंता करते नहीं देखा। क्या दिल्ली इनकी नहीं है ये तीन सदस्य दिल्ली से चुनकर नहीं आये हैं। इनकी allegiance किस तरफ है? क्या चाहते हैं? एंटी करप्शन ब्राच पर सदन में, मैं पहले भी बोल चुका हूं 22 साल तक एंटी करप्शन ब्रांच किसी को मालूम तक नहीं था। अचानक किन कारणों से जून, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, किसको बचाने की तैयारी चल रही थी, ये कारण क्या है, अभी दो-तीन दिन पहले मैं किसी चैनल पर था, वहां पर बातचीत चली कि आइडियोलॉजी क्या है आम आदमी पार्टी की? आइडियोलॉजी क्या है? मैंने पूछा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों की आइडियोलॉजी क्या है और कौन सी आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हो? उसका जवाब नहीं है। किसी किताब में लिखा होगा, किसी ने पढ़ा भी नहीं, किस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं तो आइडियोलॉजी तो आम आदमी पार्टी की सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाना है और वे भ्रष्टाचार किसी भी जगह पर हो। आम आदमी पार्टी कमिटिड है। इस हाउस के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो, चाहे अपने ही घर में क्यों न हो, उसको हम हटाकर दम लेंगे, हर जगह हटाएंगे। चाहे municipality में हो

municipality किस कदर भ्रष्टाचारी है, आज तक भाजपा के साथियों ने कभी नहीं कहा कि नगर निगम का कर्मचारी क्यों सफाई नहीं कर रहा। क्या Councilors भाजपा के हों, चाहें कांग्रेस के हों, उन्होंने जो इस तरह की सम्पत्तियों को इक्ठ्ठा कर रखा है disproportionate इक्ठ्ठा कर रखा है, उसकी जांच कौन करेगा कितनी तनख्वाहें एक councilor की। 100 करोड़, 1000 करोड़ तक की प्रोपर्टी बना चुके हैं। मैंने इसी सदन में दो दिन पहले एक पेपर फ्लैश किया था। उसपर न तो मीडिया के साथियों ने कोई संज्ञान लिया। शेलेन्द्र सिंह मोंटी जी भाजपा के कॉउंसलर हैं 'दी रोज' नाम का होटल चलाया, डीडीए के लैंड पर एंक्रोच करके...

...(व्यवधान)...

श्री सोमनाथ भारती : अब आपको बता तो रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी प्लीज विषय पर रहिए।

श्री सोमनाथ भारती : जो भ्रष्टाचारियों की एक नैक्सस है इसमें भाजपा, कांग्रेस, क्रप्ट पुलिस ऑफिसर, क्रप्ट ब्यूरोक्रैटस, ये सब सम्मिलित हैं। उन सबके पेट में बार-बार दर्द होता है जब अरविंद केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिल्ली दूध की रक्षा करेगी तो दूध कहां से बचेगा, ये मीणा साहब को अपाइंट कर दिया, हमारे सिर के ऊपर डाल दिया। इसके ऊपर खुद पर इल्जाम है, उसके बगैर अब।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नाम नहीं कोड किया।

श्री सोमनाथ भारती : जिन अधिकारी को बनाया गया आज बात इस कदर तक पहुंच गई कि एक जिम्मेदार, ईमानदार ऑफिसर कह रहा है कि मैं आत्म हत्या कर लूंगा छलांग लगा दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा इतना तंग कर दिया आपने उसको। अरे भाई थोड़ी सी शर्म करो, हटा लो मीणा साहब को। पहले उनकी दामन साफ कर लो। उस अधिकारी को हटा लो चलो और ये जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि पिक एंड चूज इतनी तत्परता दिखाई दिल्ली पुलिस ने, हमारे एक लॉ मिनिस्टर के मामले में, इतनी तत्परता क्यों नहीं दिख रही ईरानी जी के मामले में? क्यों नहीं दिख रही? क्यों नहीं दिख रही इतनी तत्परता? हम तो हर करपट के खिलाफ हैं। ये जो तत्परता दिखाने की बात कर रहे थे, वो जरा बता दिजिए हम लोगों को भी। और ये जहां तक बार-बार हमारे 67 साथी कहते रहते हैं कि ये तीन सदस्य, तीन सदस्य हो सकता है हमारे साथ रहते-रहते पांच साल रहते रहते आप भी थोड़ा सुधर जाएं, तो सम्भावना है तो**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी आप विषय पर रहिए प्लीज, बहुत गम्भीर विषय है। इसलिए आप विषय पर रहिए आप।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी वो थोड़ा गम्भीर हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लाईट कर दूं उन्हें। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री बैठे हैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत चिंतित हैं कि जिस ऑफिसर को एसीबी सौंपा गया है आज वो ऑफिसर एक ऐसी मानसिक अवस्था से गुजर रहा है, अब किसको कारण गुजर रहा है, यह हम

सबको पता है, हम सब चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें पूरे सदन की तरफ से, मैं इस बात को आगे रखना चाहता हूं कि हम सब कमेटिड हैं, जो ईमानदार ऑफिसर को एसीबी सौंपा गया है उसको और ताकत दी जाए जिससे की दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बन सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अल्का लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जरनैल सिंह जब एमरजैंसी पर बोल रहे थे तो बीजेपी के हमारे साथियों ने यह कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे की सारा देश ही यहां से चल रहा है। इन्होंने ठीक कहा मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था जब आदरणीय मनीष सिसोदिया जी स्वराज बजट पेश कर रहे थे तो पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश की नजर थी उस बजट पर। तो मुझे भी लगता है ये दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का बजट हो और जब उस बजट में की दिल्ली पूर्ण शिक्षित राज्य बनाने की बात तो ये भी हमारा वायदा था कि दिल्ली को पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना हमारा ये सपना है ये जिद्द भी, दिल्ली वालों से किया गया वायदा कि, दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पर कुछ भी बात करने से पहले मैं दो लाइनें पढ़ूंगी। किसकी तरफ मैं क्या इशारा है, किस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हूं समझदार है सदन, सब लोग समझेंगे–

दिल्ली एक गुलिस्तां की तरह है, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर साख पर उल्लू बैठा हो तो अंजामें गुलिस्तां क्या होगा। तो

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जब बात होती है तो अध्यक्ष जी उम्मीद की जाती है कि ऐसे अधिकारी को...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, प्लीज इतना गंभीर विषय है आप समझें जरा।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदाय, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जब बात होती है तो अध्यक्ष जी उम्मीद की जाती है कि ऐसे अधिकारी को इस शाखा का अध्यक्ष बनाया जाए, उसकी जो पहचान हो, वो इमानदारी हो, न कि उसकी पहचान उसकी बेईमानी या भ्रष्टाचार से हो, यहां पर भी ऐसा होता दिख रहा है कि एलजी के द्वारा एंटी क्रप्शन ब्रांच का अध्यक्ष जो थोपा गया है, मैं उनका इतिहास बताना चाहती हूं क्या मजबूरी रही कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को एंटी क्रप्शन ब्रांच का अध्यक्ष बनाने पर मजबूर हुए? क्या कारण रहे, क्या फायदे किसी को पहुंचाना चाह रहे थे? इसका जवाब हम चाहते हैं कि एक भ्रष्ट अधिकारी को एंटीक्रप्शन ब्रांच का अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष जी, ये एक अखबार में खुलासा हुआ। ये जानकारी हमें कैसे मिली, ये 'द हिन्दु' न्यूज पेपर है आज जिसकी हैड लाइन है कि दिल्ली दरबार anti ACB Chief threatens ACB chief इससे जाहिर होता है कि एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक तलवार पहले से थी। दूसरी एलजी के द्वारा डाली जा रही है। जिस पर आज ये हंगामा हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो एलजी के नियुक्त किए हुए एंटी क्रप्शन ब्रांच के अध्यक्ष हैं, हमारे मुकेश कुमार मीणा जी, इनके बारे में कहा गया कि 2005 में Principal of Public Training School रहे, 2005 का जिक्र आता है। 2005 में अध्यक्ष जी, इन पर आरोप लगता है कि

20 लाख पर्दा घोटाला, आज तक हमने सुना था कोयला घोटाला, टूजी घोटाला, ताबूत घोटाला, 206 करोड़ का महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री बीजेपी की सरकार आंगनबाड़ी घोटाला भी करती है। पहली बार पता चला कि पर्दा घोटाला भी होता है और ये किसी और से न ही बल्कि एलजी द्वारा नियुक्त किये हुए एंटी क्रप्शन ब्रांच के अध्यक्ष मुकेश कुमार मीणा जी द्वारा होता है। इसमें ये कहा गया कि ये जो जांच है 2005 में ये घोटाला होता है जिसमें 20 लाख रुपये के पर्दे और उसकी रॉड खरीदी जाती है। अध्यक्ष जी उस समय जो खुलासा हुआ उन पर्दों का जो मार्केट रेट है, 50 रुपये से 75 रुपये मीटर था लेकिन खरीदा कितने में गया? एंटी क्रप्शन ब्यूरो ब्रांच के अध्यक्ष द्वारा, जो एलजी द्वारा नियुक्त किये गये। 590 रुपये दिया जो पर्दा 50 या 75 रुपये मीटर में था उसे 590 रुपये में खरीदा ये जो जांच सौंपी गई, उस जांच में है। इसमें जो जांच का समर्थन है किसी और ने नहीं पूर्व कमीश्नर श्री केके पॉल जी और श्री डडवाल जी ने कहा कि हां, ये भ्रष्टाचार का मामला लगता है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। 2005-06 में ऐसी सरकारें रहीं, ऐसे लोग एंटी क्रप्शन ब्रांच में रहे और अब तक एलजी के माध्यम से भी अब तक इसे हमेशा दबाते रहा गया और इसकी जांच नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि एक जाबांज सिपाही ने इनका नाम जो है जवाहर लाल है वो मुख्यमंत्री को मिलते हैं जो उस समय मीणा जी के अधीन थे, कास्टेबल के तौर पर थे, प्रिंसिपल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में वे दिल्ली के मुख्यमंत्री को जा के मिलते हैं और वे सारे सबूत देते हैं और वे मांग करते हैं। दिल्ली सरकार का मैं धन्यवाद करती हूं कि वे इन भ्रष्टाचार के मामलों को आप हल्के में ना लेते हुए आपने विजिलेंस को इसकी जांच का काम सौंपा। अब ये मालूम भी हैं कि तथ्य है सबूत भी हैं खुद पूर्व के कमीश्नर एंटी क्रप्शन ब्रांच के जो चीफ

नियुक्त किये गये एलजी के द्वारा, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले स्वीकार करते हुए, उसकी जांच उस पर कार्रवाई कर चुके हैं और आज वे मामला जब पूरी उम्मीद है जब विजिलेंस एंटीक्रप्शन ब्यूरो ब्रांच को सबूतों के साथ सौंपने वाला है। उसी समय क्या होता है, उस समय यह सब तमाशा होता है। मीणा जी ये कहते हैं कि मुझसे पूछे बिना कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इतिहास में पहली बार होगा कि इनसे पूछे बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उसके बाद यादव जी के साथ जी डिस्पूट है, वे यहां दिखता है कि उनका इन्ट्रस्ट भ्रष्टाचार खत्म करने में नहीं है। एलजी द्वारा नियुक्त किये हुए एन्टी करप्शन ब्रान्च के जो चीफ है, उनका इन्टररेस्ट सिर्फ उन फाइलों में हैं। अध्यक्ष जी, जिससे खुलासा हुआ है कि उनका इन्टरेस्ट सिर्फ उस फाइलों में है, जिन फाइलों में एलजी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वे 2002 का सीएनजी फिटनेस कैम्प हो, एलजी जिसमें नियुक्त हैं, जिसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के नियुक्त हैं, उसकी जांच के नाम पर सिर्फ एन्टी करप्शन ब्रान्च की वो फाइलें मंगायी जा रही हैं। वो फाइलें मंगवायी जा रही हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के सिर्फ बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज है और ये बार-बार एलजी द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी के खिलाफ एन्टी करप्शन ब्रान्च जांच नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं कि अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह कहा कि नहीं, बिल्कुल एन्टी करप्शन ब्रान्च को दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने का, जांच करने का और उन्हें सजा देने का हक हैं तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जब ये फैसला आया तो मीणा जी का इन्टरेस्ट सरकार की उन फाइलों में है, एन्टी करप्शन के उन फाइलों में बढ़ गया कि वो ऐसी सारी फाइलों को अपने कब्जे में लें जो दिल्ली

पुलिस, एलजी या मैं कहूंगी कि जो उनके पूर्व दिल्ली सरकार में मंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जांचें चल रही हैं, उनको अपने कब्जे में ले लें। मैं आपसे इस डर को बिल्कुल जता रही हूं। कोयला घोटाले की फाइलें गायब हो जाती है, जला दी जाती है। इसलिए केस भी जो हैं, वो बन्द भी हो जाते हैं। मैं आपसे चिन्ता जताती हूं और अध्यक्ष जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि यह हमारा सपना नहीं है, यह हमारा वायदा है। एन्टी करप्शन ब्रान्च के जो एलजी द्वारा नियुक्त किये गये मीणा जी की मंशा है कि उनके खिलाफ भी जो एन्टी करप्शन ब्रान्च में एफआईआर होने वाली है विजलेंस के बाद में, जो पर्दा घोटाला है, उसे न होने दिया जाए। फाइलों को गायब कर दिया जाए, फाइलों को जला दिया जाए और भ्रष्टाचार के मामलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।

अध्यक्ष जी, हाथ जोड़कर निदेवदन करूंगी कि इसे हल्के में मत लीजिएगा और अब तो यहां तक नौबत आ गयी है कि मिस्टर सुरेन्द्र सिंह यादव जी एन्टी करप्शन ब्रान्च के पहले से ही चीफ थे, यहां तक कि अखबार में लिखा है, कहना पड़ता है कि नौबत यहां तक आ चुकी है कि, यहां तक ह्रास और परेशान किया जा रहा है कि मैं आत्म हत्या कर सकता हूं। उन्होंने इस बात की भी चिन्ता जतायी है कि इसे गम्भीरता से लीजिएगा कि एक अधिकारी ये कहता है कि मुझ पर हमला करवाकर मुझे जान से मरवाया जा सकता है, मेरा एक्सीडेन्ट करवाया जा सकता है। मुझसे वे फाइलें हासिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहूंगी कि जो एलजी द्वारा थोपे गये एन्टी करप्शन ब्रान्च के चीफ मुकेश कुमार मीणा जी को इस सदन की अगर ताकत

हो तो इस सदन में प्रस्ताव पास करके इन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए ताकि एन्टी करप्शन ब्रान्च को कमजोर करने की जो इनकी मंशा है उन्हें हम कामयाब न होने दें और अध्यक्ष जी, लास्ट में मैं कहूंगी कि यादव जी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है एक अधिकारी अपने आत्म हत्या की बात करता है, उसे डर है कि उसे मरवा दिया जाएगा और इतना ही नहीं जबरन उन्हें उनके ऑफिस में खींचकर बाहर करने की बात भी अखबार में सामने आयी है कि सीआरपीएफ फोर्सेज द्वारा किस तरीके से उन्हें अपने कमरे से बाहर धकेलना, उनके हाथ में जो फाइलें जो वे नहीं ठीक समझते कि उनके हाथ में जाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के केस है, उन्हें जो है नहीं होना चाहिए जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। मैं सरकार से, आपसे, सदन से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि इस सभी बातों को हल्के में न लेते हुए सदन में प्रस्ताव लाकर एलजी द्वारा नियुक्त एन्टी करप्शन ब्रान्च के अध्यक्ष मुकेश कुमार मीणा जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। जय हिन्द। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमुख्यमंत्री जी।

माननीय उपमुख्यमंत्री : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत मौका देता हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एसीबी करके उन अफसरों को

हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और ये जो सारा यहां वातावरण बन गया है दिल्ली के अन्दर जो भी थाना है, जो भी नोटिफिकेशन आया, हर थाना एलजी साहब के अण्डर है और ये जो विधान सभा का थाना है इसको यदि मुख्यमंत्री जी चलाना चाहते हैं तो क्यों चलाना चाहते हैं? क्या उनकी मंशा है, मैं नहीं जानता लेकिन ये जो राजनीतिक द्वंद का अखाड़ा बना दिया है विधान सभा को, ये पूरा का पूरा सदन नियम 107 का आश्रय लेकर और सब उनके पक्ष में आप अपने बहुमत का फायदा उठाकर के एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं। अगर केवल मानसिक स्थिति किसी की खराब हो गयी है, सबसे पहला काम उनको छुट्टी पर भेजो और उनका इलाज कराओ और जब से स्वस्थ हो जाएं तब उनसे काम लो। लेकिन आप ये चीजों को और गड़बड़ाते जा रहे हैं। कल को यादव साहब के साथ दुर्घटना हो गयी तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे और पूरा सदन होगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप बोलिए

...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : एक सेकेण्ड, एक सेकेण्ड और लूंगा। ये जो सारा का सारा मामला यहां बात हो रही है कि एसीबी और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पूरी की पूरी सरकार, सरकार के सदस्य छाती पीट पीटकर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए यहां आये हैं। ये पूरी तौर से छाती पीट पीटकर कह रहे हैं और मैं आपसे बार-बार हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का ठेका आपने लेना है तो सबसे

पहले ये आपको बताना होगा कि मैं और आप सब मिलकर भ्रष्टाचारी नहीं हैं इसीलिए बार-बार जो ये कहा जा रहा है कि मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं कि कितने लोगों पर अपराधिक मुकदमे हैं लेकिन हर अखबार में जब ये बार-बार आ रहा है कि बहुत से लोगों की डिग्रियां जाली हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि सब सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं भी इस सदन का सदस्य हूं इस सदन की गरिमा के लिए हमको खुद ये सर्वसम्मति से पास करना चाहिए कि सत्तर के सत्तर लोगों की डिग्री की जांच हो और इस अग्नि परीक्षा में से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग सही सुरक्षित निकलें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : हो गया ओम प्रकाश जी, प्लीज हो गया। ये कोई भाषा है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सबसे पहले जो भ्रष्टाचार के नाम पर छाती पीट रहे हैं सबसे पहले आप इस सदन का शुद्धिकरण करें तथा बाद में दूसरे काम करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ठीक हो गया। चलिए। अब सोमनाथ जी कोई बात नहीं बैठिए। ये भाषा प्लीज। नहीं, आपको शोभा नहीं देती।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां एसीबी को लेके यहां सदन में चर्चा हुई है छोटी सी। ये एसीबी दिल्ली सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और ये विजलेन्स डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत डाईरेक्टोरेट ऑफ विजलेन्स है, उसके

अण्डर में आता है। डाईरेक्टोरेट ऑफ विजलेन्स का जो डायरेक्टर ऑफ विजलेन्स है वो इसके मुखिया हैं। अध्यक्ष जी, एक तो इनको बता दीजिए, याद दिला दीजिए। गिनती में थोड़े से कमजोर हैं, दिल्ली की जनता को इनको तीन पर...**(व्यवधान)**।

उप-मुख्यमंत्री : दिल्ली की जनता ने इनको तीन सीटें दी हैं और ये बोलते इतना है जैसे तीस सीटें दे रखी हों। इनको थोड़ा समय भी उतना ही दिया जाए मेरी आपसे भी थोड़ी शिकायत है।

तो मैं ये बता रहा था कि ये एसीबी डाईरेक्टोरेट ऑफ विजलेन्स के तहत आती है और डाईरेक्टर ऑफ विजलेन्स इसका आफिसियेटिव मुख्या होता है और ये हमेशा से हुआ है कोई नया नहीं हैं। जब से एसीबी बनी है तब से डाईरेक्टोरेट ऑफ विजलेन्स इसका एचओडी रहता रहा है। अभी इसका गठन जो है, इसकी स्थापना पीसी एक्ट के तहत की गयी है प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट में यही है कि कोई करप्शन करेगा तो ये संस्था उसको पकड़ेगी। जैसी आईटी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट बना है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब जब इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये डिपार्टमेन्ट बना है जो इनकम टैक्स का डिपोर्टमेन्ट है तो ये नहीं देखता कि राज्य के जिस आदमी ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी की, इनकम टैक्स की चोरी की वो राज्य का आदमी था या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का आदमी था ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट का काम है। मर्डर कोई करे कहीं भी किसी राज्य में कोई मर्डर करें, कही भी कोई भी मर्डर करें तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में मर्डर करने वाले को सीआरपीसी में आईपीसी में पुलिस ये देखेंगी कि कोई राज्य की पुलिस होगी या सेन्ट्रल की पुलिस होगी पर वे

पहले ये नहीं देखेगी कि राज्य का है तो ये पकड़ेगा सेन्ट्रल का है तो ये पकड़ेगा। देश के किसी कोने में भी अगर कोई मर्डर करेगा तो उस पर जो भी धाराएं लगेंगी उसके हिसाब से उस पर राज्य की पुलिस वहां की पुलिस पकड़ेगी। ये नहीं देखा जाता कि साहब ये सेन्ट्रल डिवीजन है ये इसका डिवीजन्स है। तो एसीबी का भी काम जो है यही है कि वे भ्रष्टाचारियों को पकड़े, प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। जिस मामले को भी भ्रष्टाचार माना जाता है उसको पकडे और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में अगर पिछले 49 दिन की सरकार के दौरान भी और इस सरकार के आने के बाद भी भ्रष्टाचार में कमी आयी तो इसी वजह से आयी कि एसीबी में ईमानदारी से काम हुआ और एसीबी को खुली छूट दी गयी। सरकार ने एसीबी में इन्टरवेन्शन बन्द किया और ईमानदार अधिकारियों को यहां पर लाया गया। बाद में दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि एसीबी ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को पकड़ा। दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वो सिपाही जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट गया और कहा कि साहब एसीबी मुझे नहीं पकड़ सकती। उस सिपाही के साथ-साथ दिल्ली पुलिस का पूरा का पूरा महकमा बहुत बड़े-बड़े लॉयर्स के साथ अदालत पहुंच गया कि साहब इनको जमानत दे दो। ये तो बेईमान थे इनको नहीं पकड़ना चाहिए था। राज्यों के बेईमान थे उनको पकड़ना चाहिए था। अरे! बेईमान चोर तो चोर है जी। क्यूं पीछे पड़े उसके? क्यूं उसको बचाने में लग रहे हो? लेकिन बड़ी इन्टरेस्टिंग बात ये थी कि हाई कोर्ट ने उस आदेश में जिसका जिक्र यहां अल्का जी ने भी किया कि साफ-साफ लिखा कि एसीबी के बारे में केन्द्र सरकार के अब तक जो कदम है, वह बहुत ही तर्कहीन है और बल्कि सरप्राईज भी व्यक्त किया आश्चर्य व्यक्त किया होईकोर्ट ने ये कैसे हे सकता है। उस हाईकोर्ट के बाद केन्द्र

सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी और वहां मामला अभी चल रहा है लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश को कहीं स्टे नहीं किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के तहत एसीबी दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के अधीन है सीधे-सीधे। उस आर्डर को कहीं स्टे नहीं किया गया उसके बावजूद एलजी साहब की तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से उसके बाद हाईकोर्ट का आर्डर आया इनको। अध्यक्ष जी, इनको तारीख बता दीजिए 21 मई के बाद इनकी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट का आदेश दोनों आदेशों को, केन्द्र सरकार के दोनों आदेशों को खारिज करता है। केन्द्र सरकार के दोनों आदेशों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि एसीबी स्टेट गवर्नमेन्ट के अधीन आती है और इस पर कोई स्टे नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने एक ऐसे अधिकारी को जो पद ही नहीं है एसीबी में, उस पद पर लाकर बिठाने की कोशिश की एक फर्जी आदेश पारित करवाया। दिल्ली सरकार ने जैसे ही संज्ञान में आया तुरन्त रद्द किया, तुरन्त वापस किया। आज की तारीख में दिल्ली सरकार का आदेश ये है कि यहां तो ज्वाइन्ट कमिश्नर नाम का पद ही नहीं है फिर उस पर नियुक्ति कैसे हो सकती है, किस व्यक्ति की बात की जा रही है, वे दिल्ली पुलिस में ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर तैनात है वे जबरदस्ती एसीबी के दफतर में आकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि वहां एक कागज अभी इन्होंने दिखाया कि वो पर्दा घोटाला का आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर और साथ-साथ पहली मई को हवाला काण्ड में शामिल होने का एक आरोप लगा हुआ है। पहली मई को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। ये कागज हैं अब। पहली मई को

उनके खिलाफ एसीबी में जांच हो रही है, उसी एसीबी में लाकर उनको बैठा दिया गया। उसका मुखिया बनाने की कोशिश की जा रही है कहीं न कहीं तो साजिश तो दिखती है। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें हैं एसीबी में, हवाला के मामले में शिकायत है, उस व्यक्ति को यहां पर मुखिया बनाकर पेश करने की कोशिश क्यूं की जा रही है? यह साफ है कि हवाला कारोबारियों से कहां कहां के तार जुड़े हुए हैं। ये हवाला कारोबारियों को हवाला के घोटालाबाजों को बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को एसीबी का मुखिया ऐसे पद पर बैठाकर जो पद एक्जिस्ट नहीं करता, वहां पर बिठाया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हवाला कारोबारी इस फैसले के पीछे है। उनको वहां का मुखिया बनाया जाए। क्या इस देश के हवाला कारोबारी इतने ताकतवर हो गए इस देश के हवाला के घोटालेबाज इतने ताकतवर हो गए कि एन्टी करप्शन का मुखिया ऐसे आदमी को बना देंगे जो उसमें शामिल है। जिस पर आरोप लगे हुए है और यहां पर आकर जो पद नहीं है, उस पद पर बिठवा दिया जाता है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? कौन खरीद के बैठा हुआ है हमारी सरकारों को और कौन खरीद के बैठा हुआ है डिसीजन मेकर्स को? कौन हमारे ऊपर जबरदस्ती एसीबी के ऊपर चीफ लादने की कोशिश कर रहा है? जो पद ही एक्जिस्ट नहीं करता, इनके जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन को सूचना के लिए क्योंकि सदन चिंतित था, मैं इस चिंता से सहमत हूं और क्योंकि कोई सरकार की ओर से ऐसा कोई जवाब और सवाल नहीं था। जवाब नहीं केवल सूचना के लिए बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीक्रेट नोट माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय को भेजा है। इस सारे घटनाक्रम पर किस तरह से हवाला से पर्दा घोटाला तक के मामले इसमें शामिल है और उनको किस

तरह से साजिश के तहत वे भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुए अपना कोई निर्णय लेंगे और सख्त कदम उठायेंगे। मैं सदन की सूचनार्थ यह रखना चाहता था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : यह संकल्प नहीं है। यह चर्चा हो गयी है। मैं आदरणीय विजेन्द्र गुप्ता जी, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और नेता विपक्ष भी हैं मुझे ये मालूम नहीं कि दिल्ली में एसीबी का गठन कब हुआ था कितना पुराना है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 1993 में जब मैं विधायक था और ये दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस वक्त भी, विजेन्द्र जी मैं दिल्ली की जनता के हित की बात कर रहा हूं भ्रष्टाचार आप भी बार-बार कहते है कि समाप्त होना चाहिए। हम भी कहते हैं, केन्द्र की सरकार भी कहती है। लेकिन एसीबी के अधिकारों पर उस वक्त भी कुठाराघात नहीं किया गया था और तब से लेकर कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही केन्द्र में तब भी कुछ भी एसीबी को नहीं छेड़ा गया लेकिन यह प्रश्न मेरे सामने भी है। मैं भी आज तक समझ नहीं पा रहा हूं दिल्ली की जनता भी समझ नहीं पा रही है कि एसीबी पर ऐसी कौन सी विशेष आजादी के इतने वर्षों बाद बात आ गयी कि मई मास 2014 में केन्द्र के अधिकारियों पर एसीबी कोई एक्शन नहीं लेगी। ये नोटिफिकेशन आजादी के इतने सालों बाद कहीं तो ये बात आती है कि इस ढंग की संस्थाओं को और अधिकार दिए जाएं, उनको और स्वतन्त्र किया जाए और कहां इस वक्त आजादी के इतने वर्षों बाद उनके पर कतरे जाते हैं। यह कहां तक उचित है? और ये दिल्ली की जनता विचार कर रही है। गली-गली में चर्चा है इस बात

पर, पार्कों में चर्चा है। ओम प्रकाश जी, एक सेकेन्ड। बहुत गंभीर विषय है यह। नहीं मैं कोई पार्टी नहीं बना रहा हूं। मैं इस विषय पर। नहीं आ रहा हूं एसीबी में जो हुआ उस विषय पर लेकिन ये विषय मैं इतिहास में जा रहा हूं कि कभी किसी ने एसीबी के पर कतरने का प्रयास नहीं किया। उसके और अधिकार बढ़ाए है और इस सदन को इसकी चिंता है। मैं सदन से सहमत हूं। दिल्ली की जनता की चिंता से सहमत हूं इस पर जो भी कानून के अन्तर्गत विचार विमर्श किया जा सकेगा, वे हम करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।

अब 29 जून को सोमवार 2 बजे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 29 जून, 2015 अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई)